लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 9.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 11 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol.XI contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 22, बुधवार, 13 दिसम्बर, 1967/22 अग्रहायण, 1889 (शक)

No. 22, Wednesday, December 13, 1967/Agrahayana 22, 1889 (Saka)

विषय	SUBJECT	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		पृष्ठ/PAGES
631. चीन समर्थक विदेशी नेताओं का कलकत्ता का दौरा	Visit by Foreign Pro-Chinese Leaders to Calcutta ..	3049—3052
632. पश्चिम बंगाल में हड़ताल	Hartal in West Bengal ..	3052—3054
633. भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स-वादी) का सतर्कता दल	Vigilance Force of C. P. I. (Marxists) ..	3054—3058
634. प्रादेशिक भाषाओं का विकास	Development of Regional Languages ..	3058—3059
635. बिहार के सीमा क्षेत्रों में गड़-बड़ी पैदा करने के कथित प्रयत्न	Alleged attempt to create unrest in the Border Areas of Bihar ..	3059
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. Nos.		
13. अन्तर्राष्ट्रीय अनाज करार, 1967	International Grains Agreement, 1967 ..	3060—3062
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
636. विद्रोही मिजो लोगों को चीन तथा पाकिस्तान की सहायता	Sino-Pak. help to Mizo Hostiles ..	3062
637. हिन्दी तथा अंग्रेजी में विधेयकों तथा संशोधनों का पुरःस्थापन	Introduction of Bills and Amendments in Hindi and English ..	3062—3063
638. हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Himachal Pradesh Government Employees ..	3063

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
639. राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अनुसन्धान परियोजनाओं का पुनर्गठन	Re-organisation of Research Projects in National Laboratories ..	3063—3064
640. त्रिपुरा के पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोही मिजो लोगों द्वारा पुलिस कर्मचारियों पर आक्रमण	Mizo Attack on Police Personnel in Tripura Hill Areas ..	3064
641. मृत्यु दण्ड का हटाया जाना	Abolition of Capital Punishment ..	3064—3065
642. सी० आई० ए० के एजेण्टों द्वारा सामूहिक खेती कार्यक्रम को असफल बनाने की चेष्टा	C. I. A. Agents sabotaging collective Farming Programme ..	3065
643. विधायकों तथा प्रशासन के बीच सम्बन्धों के बारे में संहिता	Code on Relationship between Legislators and Administration ..	3065—3066
644. अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन की खरीद	Purchase of land in Scheduled Areas ..	3066
645. जम्मू और काश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज का फहराना	Hoisting of National Flag in Jammu and Kashmir ..	3066
646. दिल्ली की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकतायें	Transport Needs of Dehli ..	3066—3067
647. नये राज्यपालों की नियुक्ति तथा उनका कार्यकाल	Appointment and Tenure of New Governors ..	3067
648. पूर्वी रेलवे क्षेत्र में अराजकता	awlessness on the Eastern Railway Belt..	3067—3068
649. आसाम के बारे में पाकिस्तान के बुरे इरादे	Pakistani Designs on Assam ..	3068
650. सरकारी क्षेत्र में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती	Recruitment by the U. P. S. C. in Public Sector ..	3069
651. पुलिस वालों के असन्तोष को दूर करने के लिये विचार-गोष्ठी	Seminar on Policemen's Grievances ..	3069
652. बड़े पत्तन	Major Ports ..	3069—3070
653. सरकारी कर्मचारियों के पूर्ववृत्त की जांच	Verification of the Antecedents of Government Employees ..	3070
654. पी० एल० 480 के अन्तर्गत माल के आयात के लिये भारतीय जहाजों का उपयोग	Indian Flag Ships for PL 480 Imports ..	3070—3071

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
655. चण्डीगढ़ का भविष्य	Future of Chandigarh ..	3071
656. शिक्षा तथा आर्थिक विकास के लिये संचार उपग्रह के प्रयोग की परियोजना	Project for the use of communications satellite for Educational and Economic Development ..	3071—3072
657. पश्चिम बंगाल में सरकारी सम्पत्ति को क्षति	Govt. Property damaged in West Bengal..	3072
658. आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठ	Pakistani Infiltration in Assam ..	3072
659. पश्चिम बंगाल में हिंसा	Violence in West Bengal ..	3073
660. शारदा उकिल स्कूल आफ आर्ट, नई दिल्ली के विद्यार्थियों की शिकायतें	Grievances of students of sharda ukil school of art New Delhi ..	3073—3074
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3967. साम्प्रदायिक झगड़े	Communal Riots ..	3074
3968. भारत के साम्यवादी दल (मार्क्सिस्ट) द्वारा नेपाली में पुस्तिका का जारी किया जाना	CPI (M) Pamphlet in Nepali ..	3075
3969. प्रतियोगितार परीक्षायें	Competitive Examinations ..	3075—3076
3970. विदेशों में पढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के छात्र	Students from U. P. Studying Abroad ..	3076
3971. केन्द्रीय स्कूल संगठन	Central Schools Organisation ..	3076
3972. काश्मीर को निःशुल्क यात्रा की सुविधा	Free Travel facility to Kashmir ..	3076—3077
3973. विमान चलाने वाले कर्मचारियों के लिये होटलों में रहने की व्यवस्था	Accommodation for Flying Crew	3077
3974. होटल उद्योग को ऋण	Loans to the Hotel Industry ..	3077
3975. एयर सिकनैस बैग	Air Sickness Bags ..	3077—3078
3976. केन्द्रीय सड़क निधि से महाराष्ट्र के लिये राशि का नियतन	Allocation from Central Road Fund for Maharashtra ..	3078
3977. शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा रक्षा नौकाओं की खरीद	Purchase of Life Boats by Shipping Corporation of India ..	3078—3079

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
3978. गुजरात में प्राचीन स्मारक	Ancient Monuments in Gujarat	..	3079
3979. बड़ौदा में स्मारक	Monuments in Baroda	..	3079—3080
3980. सीमा सड़कें	Border Roads	..	3080
3981. नर्मदा नदी पर पुल	Narmada Bridge	..	3080—3081
3982. राजस्थान में नये हवाई अड्डे	New Airports in Rajasthan	..	3081
3983. शिक्षा के माध्यम के बारे में ज्ञापन	Memorandum on Medium of Instruction	..	3081
3984. मदुरे धनुष कोडी राजपथ को मिलाने वाली सड़क	Bye pass Road to Madurai Dhanuskodi Highway	..	3081—3082
3985. मद्रास राज्य में पमबन पर पुल	Bridge at Pamban, Madras State	..	3082
3986. उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश	Judges in Orissa High Court	..	3082
3987. कांडला पत्तन	Kandla Port	..	3082—3083
3988. दिल्ली के स्कूलों में भूगोल	Geography in Delhi Schools	..	3083
3989. दिल्ली में राजनीतिक पीड़ित व्यक्ति	Political Sufferers in Delhi	..	3083—3084
3990. इण्डियन असेम्बली आफ यूथ	Indian Assembly of Youth	..	3084
3991. चीनी राजनयिकों का जालंधर जाना	Visit of Chinese Diplomats to Jullundur	..	3084—3085
3992. पुलिस द्वारा जयपुर में गोली चलाया जाना	Police Firing in Jaipur	..	3085—3086
3993. सी० आई० ए० की निधियां	C. I. A. Funds	..	3086
3994. अध्यापकों की उपलब्धियां	Emoluments of Teachers	..	3086
3995. शिक्षा पद्धति में सुधार करना	Reorientation of Education System	..	3086—3087
3996. दिल्ली निगम में अध्यापकों की नियुक्ति	Movement of Teachers in the Delhi Municipal Corporation	..	3087
3997. ललितकला आकादमी	Lalit Kala Academy	..	3087
3998. रायपुर में अन्य धर्मों के अनुयायियों का ईसाई बनाया जाना	Conversions to Christianity in Raipur	..	3088

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3999. ईसामसीह के दफनाये जाने के बारे में विवाद	Controversy Re : Burial of Jesus Christ ..	3088
4000. गान्धी हरिजन विद्यालय, मदनगीर, नई दिल्ली	Gandhi Harijan Vidyalaya, Madangir, New Delhi ..	3088—3089
4001. जम्मू और काश्मीर में इंजीनियरी कालेज	Engineering Colleges in J and K ..	3089
4002. राजनैतिक दलों द्वारा बनाई गई सेनाएं	Armies raised by Political Parties ..	3089
4003. पश्चिमी बंगाल में चीन समर्थक किसानों की संख्या	Pro-China Farmers' Association in West Bengal ..	3089—3090
4004. स्वतंत्रता सेनानियों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Freedom Fighters ..	3090
4005. खेलों पर खर्च	Expenditure on Sports ..	3090
4006. जम्मू और काश्मीर राज्य में सम्पत्ति की खरीद	Purchase of Property in Jammu and Kashmir State ..	3091
4008. मानहानि के मुकदमे	Defamation Cases ..	3091
4009. न्यायाधीशों द्वारा सरकारी नौकरी स्वीकार करने का प्रतिबन्ध	Ban on Judges to accept Government Employment ..	3091—3092
4010. अमरीका के गुप्तचर विभाग के एक विशेषज्ञ का भारत आना	Visit of U. S. Intelligence Expert ..	3092
4011. राची में शस्त्रास्त्रों के लिये तलाशी	Search for Arms in Ranchi	3092
4012. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इन्टरव्यू	Interviews by U.P.S.C.	3092
4013. नौकरी प्रधान योजना	Job orientation Scheme	3093
4014. भारतीय क्रांति सम्बन्धी पुस्तक	Book on Indian Revolt ..	3093
4015. हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप	Allegations against Former Chief Minister of Haryana ..	3093—3094
4016. नेता जी सुभाष चन्द्र बोस	Netaji Subhas Chandra Bose	3094

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4017. हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया जाना	Statehood for Himachal Pradesh ..	3094—3095
4018. काशी विद्यापीठ के कुलपति को पारिश्रमिक	Remuneration to Chancellor, Kashi Vidyapeeth ..	3095
4019. सेंट्रल हिन्दू स्कूल वाराणसी	Central Hindu School, Varanasi ..	3095—3096
4020. अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1951 तथा 1965	Aligarh Muslim University (Amendment) Acts, 1951 and 1965 ..	3096
4021. न्यायापालिका के बारे में केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य	Statement of Kerala Chief Minister about Judiciary ..	3097
4022. भारतीय समाचार पत्रों के लिये अमरीकी सेंट्रल इंटेलीजेन्स एजेन्सी से धन	C.I.A. Money for Indian Newspapers ..	3097
4023. गोवा के गिरजाघर	Churches of Goa ..	3097
4025. दिल्ली में विक्री-कर प्रणाली	Sales Tax System in Delhi ..	3098
4026. शहीदों की स्मृति में स्मारक	Memorial in Memory of Martyrs	3098
4027. जम्मू तथा काश्मीर राज्य को राजसहायता	Loans and Subsidies to J and K State ..	3098—3099
4028. बाल भवन, नई-दिल्ली में बाल रेलगाड़ी की दुर्घटना	Train Accident at Bal Bhavan New Delhi	3099
4029. मनीपुर से बिक्री-कर का वसूल किया जाना	Sales Tax Collection from Manipur ..	3099
4030. सैक्सन आफिसरों की वरिष्ठता में संशोधन	Revision of Seniority of Section Officers ..	3100
4031. अनुभाग अधिकारियों (सेक्सन आफिसरों) को वरिष्ठता	Seniority of Section Officer ..	3100—3101
4032. अम्बाला में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां	Activities of Ambala Christian Missionaries ..	3101
4033. मनीपुर राज्य परिवहन	Manipur State Transport ..	3102
4034. लोहा और इस्पात के निर्यात के लिये बड़े पत्तनों में माल जमा करने की सुविधायें	Storage facilities at Major Ports for Iron and Steel Exports ..	3102

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4035. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के लिये ऋण	Loans to Outstanding Students for Technical Education ..	3102—3103
4036. हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज	Hindi Teachers training colleges ..	3103—3104
4037. हिमाचल प्रदेश में विश्व-विद्यालय स्तर की शिक्षा	University Education in Himachal Pradesh ..	3104
4038. उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा	Free Education Upto Higher Secondary Level ..	3104—3105
4039. दिल्ली में पब्लिक स्कूल	Public Schools in Delhi ..	3105
4040. कोलाघाट पर राष्ट्रीय राज-पथ संख्या 6 पर पुल	Bridge at Kolaghat at N. H. 6 ..	3105—3106
4041. उड़ीसा के अध्यापकों का वेतनमान	Pay scales of Orissa Teachers ..	3107
4042. जम्मू तथा काश्मीर में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये लोग	Persons detained under D.I.R. in J and K.	3107
4043. भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत जम्मू और काश्मीर में समाचार-पत्रों पर प्रतिबन्ध	Ban on Newspapers under D.I.R. in J and K. ..	3107—3108
4045. हिन्दी सहायक	Hindi Assistants ..	3108
4046. सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में सेवा निवृत्त लोगों की नियुक्ति	Appointment of retired persons in public and private sector undertakings ..	3108—3109
4047. मिजो युवकों से बरामद हुए विस्फोटक पदार्थ	Explosives recovered from Mizos ..	3109
4049. भारत में कैथोलिक गिरिजा-घरों की व्यवस्था	Administration of Catholic Churches in India ..	3109—3110
4050. तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में हुई घटना	Incident in Tihal Jail (New Delhi) ..	3110
4051. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	Central Government Employees ..	3110
4052. दिल्ली में बेला रोड पर स्थित लदाखी संस्था	Ladakhi Institute at Bela Road, Delhi ..	3110—3111

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4054. सिंदिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी	Scindia's Steam Navigation Co. ..	3111
4055. दिल्ली में हत्याएं	Murders in Delhi	3111
4056. भ्रष्टाचार के मामले	Corruption Cases ..	3111—3112
4057. राजभाषा (संशोधन) विधेयक	Official Languages (Amendment) ..	3112
4058. अंदमान की आदिवासी आदिम जातियां	Aboriginal Tribes of Andaman ..	3112—3113
4059. विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय	Indians Studying Abroad ..	3113—3114
4060. कन्याकुमारी में पर्यटकों के लिये सुविधायें	Tourist facilities at Kanyakumari	3114
4061. कन्याकुमारी में पर्यटकों के लिये सुविधायें	Tourist facilities at Kanyakumari ..	3115
4062. दिल्ली में अपने देश के पर्यटकों के सुविधाओं की व्यवस्था	Facilities for Home Tourists in Delhi	3115
4063. शिक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक वार्ता	Informal Talks of Education Ministers ..	3115—3116
4064. विद्रोही मिजो लोगों का पाकिस्तान जाना	Hostile Mizos crossing over to Pakistan ..	3116
4065. दिल्ली में विषाक्त खाद्य पदार्थ खिलाये जाने की घटनायें	Food Poisoning Cases in Delhi	3116
4066. आर्थिक प्रशासन संबंधी प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission on Economic Administration ..	3117
4067. मिडिल और मैट्रिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा	Free Education upto Middle and Matric Examinations ..	3117—3118
4068. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई आशुलिपियों की परीक्षा	Stenographers Exam. held by U.P.S.C. ..	3118
4069. सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच	Investigations against Government Employees	3119
4070. विद्रोही मिजो लोग	Mizo Hostiles ..	3119—3120

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4071. पाकिस्तानी नागरिकों का मध्य प्रदेश में जाना	Pakistani Nationals Visiting Madhya Pradesh ..	3120
4072. अलीगढ़ में माओ की लाल पुस्तक का बेचा जाना	Sale of Mao's Red Book at Aligarh ..	3120—3121
4073. विदेशियों को भारत छोड़ कर जाने का आदेश दिया जाना	Foreigners ordered to leave India ..	3121
4074. पत्राचार द्वारा हिन्दी पढ़ाना	Hindi Teaching through correspondence..	3121
4075. इन्जीनियरिंग कालेजों में भेदभाव	Discriminations in Engineering Colleges ..	3121—3122
4076. प्राचीन मन्दिरों की मरम्मत	Repairs of Ancient Temples ..	3122
4077. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य	Members of U.P.S.C. ..	3123
4078. इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की अगस्त, 1967 में हड़ताल के कारण हानि	Loss on account of I.A.C. Strike in August, 1967 ..	3123
4079. 150 मिजो की गिरफ्तारी	Arrest of 150 Mizos ..	3124
4080. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दीक्षक (विजिटिंग) समिति	Visiting Committee of U.G.C. ..	3124—3125
4081. मरमागाओ पत्तन	Marmagao Harbour ..	3125
4082. दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents in Delhi ..	3125—3127
4083. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद सुरक्षित करना	Reservation for S.C. and S.T. in Public Sector Undertakings ..	3127—3128
4084. इंजिनियरिंग संस्थाओं में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी	Shortage of Trained Teachers in Engineering Institutes ..	3128—3129
4085. दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	Jawaharlal Nehru University in Delhi ..	3129
4086. पावटे समिति का प्रतिवेदन	Pavate's Committee Report ..	3129
4087. पत्राचार पाठ्यक्रम	Correspondence Courses ..	3130—3131
4088. एरणाकुलम फेरोक तटवर्ती सड़क	Ernakulam Feroke coastal Road ..	3131

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

4089.	एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के वायुयान चालकों के वेतन	Emoluments of Air India and I.A.C. Pilots	3131—3132
4090.	स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा का मध्यम	Medium of instruction in School and Universities	3132
4091.	स्कूल पाठ्यक्रम समिति	School Curriculum Committee	3132—3133
4092.	आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों से नेपालियों का प्रव्रजन	Nepali Migrants from Assam Hill Areas	3133
4093.	मेटिक राज्य समिति की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां	Hostile activities of Meitic State Committee	3133—3134
4094.	इम्फाल में भूमि का आवंटन	Allotment of Land in Imphal	3134—3135
4095.	पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ का भविष्य	Future of Punjab University Chandigarh	3135
4096.	इंजीनियरिंग शिक्षा के स्तर का गिरना	Deterioration in Engineering Education Standards	3135
4097.	भारत प्रतिरक्षा अधिनियम और निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां	Arrests under Defence of India Act and Prevention Detention Act	3135—3136
4098.	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रतिनियुक्त मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी	Madhya Pradesh Employees on Deputation to the Central Government	3136
4099.	भारत प्रतिरक्षा नियम	Defence of India Rules	3136
4100.	भूतपूर्व सैनिक अधिकारी	Ex-Service Officers	3136—3138
4101.	असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Employees of Civil Aviation Department	3138—3139
4102.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषण परिषद् के महानिदेशक द्वारा टाटा के विमान का प्रयोग किया जाना	Use of Plane from Tatas by D.G. C.S.I.R.	3139—3140
4103.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थानों के आरक्षण के बारे में उच्चतम न्यायालय का फैसला	Supreme Court Judgement on Reservation for S.C and S.T.	3140

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4104. मध्यप्रदेश में स्कूलों के अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	National Award to School Teachers in Madhya Pradesh ..	3140
4105. मध्य प्रदेश में पर्यटकों के आकर्षण के स्थान	Places of Tourist Interest in Madhya Pradesh ..	3141
4106. मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय	High Court of Madhya Pradesh ..	3141
4107. दहेज पत्तन	Dahej Port ..	3141
4108. गाजीपुर में गंगा नदी पर पुल	Bridge over River Ganga at Ghazipur ..	3142
4109. संसद् सदस्यों के निवास-स्थानों में चोरियां	Theft in M. Ps' Residences ..	3142—3143
4110. दिल्ली में सड़कें	Roads in Delhi ..	3143
4111. रूस में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	Scholarships for Studies in U.S.S.R. ..	3143—3144
4112. अन्दमान, निकोवार द्वीपसमूह में स्थायी औद्योगिक कर्मचारी	Permanent Industrial Staff in Andaman ..	3144
4113. पश्चिमी बंगाल में गोपनीय दस्तावेजों का पकड़ा जाना	Seizure of Secret Documents in West Bengal ..	3144—3145
4114. पश्चिमी बंगाल में हथियारों के लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Arms Licences in West Bengal ..	3145
4115. जन शिकायत आयुक्त	Commissioner for Public Grievances ..	3145—4146
4116. जन शिकायत आयुक्त	Commissioner for Public Grievances ..	3146
4117. बम्बई-आगरा सड़क	Bombay Agra Road ..	3146
4118. पंजाब में मध्यावधि चुनाव	Mid Term poll in Punjab ..	3147
4119. कलकत्ता होकर जाने वाले विमानों का मार्ग बदलना	Diversion of Air Services touching Calcutta ..	3147
4121. शनिवार की छुट्टी	Saturdays as Holidays ..	3147—3148
4122. कोठारी आयोग का प्रतिवेदन	Kothari Commission Report	3148
4123. जम्मू और काश्मीर में राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियां	Anti National Activity in Jammu and Kashmir ..	3148—3149
4124. उत्तर कचार हिल्स में नागाओं का हमला	Attack by Nagas in North Cachar Hills ..	3149

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4125. राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12	National Highway No. 12 ..	3149
4126. पाकिस्तानियों द्वारा एक भारतीय राष्ट्रिक का अपहरण	Kidnapping of an Indian National by Pakistanis ..	3150
4127. धालपुर और पालेसर (उड़ीसा) के बीच पुल का निर्माण	Bridge between Dhalpur and Palesar (Orissa) ..	3150—3151
4128. उड़ीसा में बांध और कियाकेट के बीच पुल का निर्माण	Bridge between Bandha and Kiyakate (Orissa) ..	3151
4129. संघ लोक सेवा आयोग का अनुसूचित जाति का सदस्य	S.C. Member of U.P.S.C. ..	3151
4130. आसाम नागालैंड सीमा का पुनर्निधारण	Re-Demarcation of Assam Nagaland Boundary ..	3152
4131. बड़े पत्तनों पर मालवाहक जहाजों से माल उतारने में विलम्ब	Delay in Clearance of Cargo Ships at Major Ports ..	3152—3153
4132. पुराने अभिलेखों का अनुसंधान	Research in Old Records ..	3153
4133. महिलाओं के पोलिटेकनिक	Women Polytechnics ..	3154
4134. पश्चिमी बंगाल में प्रौढ़ शिक्षा के लिए सहायता	Assistance for Adult Education in West Bengal ..	3154
4135. विमान भाड़ा	Air Fares ..	3154—3155
4136. वानस्पतिक उद्यान	Botanical Gardens ..	3155
4137. भारत सुरक्षा नियमों और निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत हुई गिरफ्तारियां	Arrests under D.I.R. and preventive Detention Act ..	3155—3156
4138. नारनौल और सिंघाना के बीच सड़क	Road between Narnaul and Singhana ..	3156
4139. दिल्ली पुलिस में महिला कर्मचारी	Lady personnel in Delhi police ..	3157
4140. मंगलौर बन्दरगाह परियोजना	Mangalore Harbour Project ..	3157—3158
4141. क्लबों में जाति भेद	Racial Discrimination in Clubs ..	3158—3159
4142. यात्रा और पर्यटन सम्बन्धी अनौपचारिक सम्पर्क समिति	Informal Liaison Committee on Travel and Tourism ..	3159

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

4143.	पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायत्तशाली लेखा परीक्षा	Auditing of Accounts of Autonomous Corporation under the Ministry of Tourism and Civil Aviation ..	3159
4144.	शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायत्तशासी निगमों के लेखों की जांच	Auditing of Accounts of Autonomous Corporations under the Ministry of Education ..	3159—3160
4145.	परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायत्तशासी निगमों का लेखा परीक्षा	Auditing of Accounts of Autonomous Corporation under the Ministry of Transport and Shipping ..	3160
4146.	शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के स्वायत्तशासी निगम	Public Sector Autonomous Corporations under the Ministry of Education ..	3160—3161
4147.	पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी निगमों द्वारा विज्ञापन	Advertising by Autonomous Corporations under the Ministry of Tourism and Civil Aviation ..	3161
4148.	परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायत्तशासी निगमों द्वारा विज्ञापन	Advertising by Autonomous Corporations under the Ministry of Transport and Shipping ..	3161
4149.	दिल्ली के न्यायालयों में साहूकारों द्वारा दायर की गई जाली डिक्रियां	Fraudulent decrees filed by money lenders in Delhi Courts ..	3162
4150.	विद्यार्थियों के लिए विमान यात्रा में रियायत	Air Travel Concession for Students ..	3162
4151.	मंगलौर बन्दरगाह परियोजना	Mangalore Harbour Project ..	3162—3163
4152.	विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्रध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संशोधित वेतनमान दिये जाना	Revised U.G.C. Scales for University and College Teachers ..	3163
4153.	नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता	National Library, Calcutta ..	3164
4154.	कोसी परियोजना में पाकिस्तानी जासूस	Pak agent in Kosi Project ..	3164
4155.	भूतपूर्व पंजाब के कर्मचारी	Employees of Former Punjab ..	3164—3165

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4156. भारत के नौवहन निगम द्वारा पुराने जहाज का खरीदा जाना	Purchase of second hand ship by Shipping Corporation of India ..	3165—3166
4157. भारतीय सीमा क्षेत्रों पर पाकिस्तानी हमले	Pakistani Raids on Indian Border Areas ..	3166—3167
4158. भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा का भारतीय प्रशासन सेवा में विलय	Merger of I.F.A.S, with I.A.S. ..	3167—3168
4159. जम्बो बोइंग विमान खरीदने के लिए ऋण	Loan for Jumbo Boeings ..	3168
4160. आयातित वस्तुओं को जहाजों द्वारा लाना	Shipping of Imported goods ..	3168—3169
4161. निर्यात व्यापार के लिये जहाज	Vessels for Export Trade ..	3169
4163. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की विशेष भर्ती	Special recruitment of I.A.S. officers ..	3169—3170
4165. भारत जर्मन करार	Indo German Agreement ..	3170
4166. अन्दमान परिवहन विभाग	Andamans Transport Department ..	3170—3171
4167. अन्दमान विशेष वेतन	Andaman special pay ..	3171
4168. घोंघे निकालने के लाइसेंस की नीलामी	Shell Fishing license Auction ..	3171—3172
4169. संसद् भवन के निकट गिरफ्तार किये गए व्यक्ति	Persons arrested near Parliament House ..	3172
4170. पश्चिमी बंगाल में हिंसा	Violence in West Bengal ..	3172—3173
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	3174—3175
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha ..	3175
गैर-सरकारी सदस्यों के विषयों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions ..	3175
सत्रहवां प्रतिवेदन	Seventeenth Report ..	3175
भूकम्प के कारण कोयना नगर और परियोजना को पहुंची क्षति के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Damage to Koynanagar and Project due to Earthquake ..	3175—3178
डा० कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao ..	3175—3178

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal explanation by Member	.. 3178
श्री राम मूर्ति	Shri P. Ramamurti	.. 3178
राजभाषा (संशोधन) विधेयक तथा राजभाषा के बारे में संकल्प	Official Languages (Amendment) Bill and Resolution Re: Official Languages	.. 3179—3196
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	.. 3196
डा० मैत्रेयी बसु	Dr. Maitreyee Basu	.. 3179
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	.. 3179—3180
डा० एम० संतोषम	Dr. M. Santosham	.. 3180—3181
श्रीमती लक्ष्मीकन्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	.. 3181—3182
श्री मुरासौली मारान	Shri Murasoli Maran	.. 3182—3183
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh	.. 3183
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	.. 3183—3184
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	.. 3184—3185
श्री रवी राय	Shri Rabi Ray	.. 3185—3186
श्री अरुमुगम	Shri R. S. Arumugam	.. 3186—3187
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	.. 3187
श्री अ० सी० सहगल	Shri A. S. Saigal	.. 3187—3188
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri M. Muhammad Ismail	.. 3188—3189
श्री कृ० गु० देशमुख	Shri K. G. Deshmukh	.. 3189—3190
श्री जे० मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohamed Imam	.. 3190—3192
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	.. 3192
श्री महन्त दिग्विजय नाथ	Shri Mahant Digvijai Nath	.. 3192—3193
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	.. 3193—3194
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	.. 3194—3196
चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion Re: Fourth Five Year Plan	.. 3196—3199
श्री श्री चन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	.. 3196—3197
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	.. 3198—3199

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त

अनुदित संस्करण

बुधवार, 13 दिसम्बर, 1967 । 22 अग्रहायण, 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
	(एक) अतारांकित प्रश्न संख्या 4170 तथा सभा पटल पर रखे गये पत्र `शोर्षों` के बीच में शोर्षक - `गृह-कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य` पढ़िये ।
	(दो) उसी के सामने अंग्रेजी शोर्षक 'Statement by the Minister of Home Affairs पढ़िये ।
3059	तारांकित प्रश्न 635 के अंग्रेजी पाठ के स्थान पर निम्नलिखित हिन्दी रूपान्तर पढ़िये :

`बिहार के सीमा क्षेत्रों में अशान्ति पैदा करने का कथित प्रयास

635 श्री ओंकार लाल बैरवा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 अक्तूबर, 1967 को बिहार के एक मंत्री द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि राज्य को दूसरा वियतनाम बनाने के लिये साम्यवादियों द्वारा बिहार के सीमा क्षेत्रों में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इन गतिविधियों का निर्देशन तुलसी लाल अमात्य नामक एक नेपाली कर रहा है जिसे नेपाल से निकाला गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 13 दिसम्बर, 1967/22 अग्रहायण, 1889 (शक)
Wednesday, December 13, 1967/Agrhayana 22, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चीन-समर्थक विदेशी नेताओं का कलकत्ता का दौरा

*631. **श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले बर्मा, नेपाल और श्रीलंका के चीन समर्थक तीन प्रमुख उग्रवादी नेता चीनी दूतावास के अधिकारियों के साथ कलकत्ता गये थे और उन्होंने पश्चिम बंगाल में उन लोगों की एक गुप्त बैठक की थी जो उनके सिद्धान्तों को मानने वाले थे;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक की मुख्य बातें क्या थीं;

(ग) क्या सरकार इस बात का पता लगा सकी है कि इस बैठक में किन-किन भारतीयों ने भाग लिया था; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीनी दूतावास पेकिंग रेडियो प्रसारणों की सहायता से भारत विरोधी प्रचार कर रहा है जो कि भारतीय प्रजातन्त्र तथा

प्रभुसत्ता को अस्तव्यस्त करने के समान है, क्या सरकार चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध तोड़ना चाहती है और सारे देश में चीनी राजनयिकों के घूमने पर रोक लगाना चाहती है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : राजनयिक सम्बन्धों के विच्छेद करने के बारे में इस सभा में कई बार नीति स्पष्ट कर दी गई है । जहां तक चीनी राजनयिकों पर प्रतिबन्ध लगाने का सम्बन्ध है, हाल ही में, सितम्बर, 1967 में चीनी दूतावास पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं । पहला प्रतिबन्ध निमन्त्रणों के बारे में है जो कि चीनी दूतावास द्वारा उन व्यक्तियों को जारी किये जाते हैं जिन्हें भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है । दूसरा प्रतिबन्ध भारतीय लोगों को भेजे जाने वाले निमंत्रणों के सम्बन्ध में है; निमन्त्रित व्यक्तियों की सूची को पहले से स्वीकार कराना पड़ता है । तीसरा प्रतिबन्ध चीनी दूतावास में गैर-चीनी व्यक्तियों के बारे में है । उन पर ये सब प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ।

श्री हेम बरुआ : चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा एक ही तर्क दिया जाता है कि पेकिंग में हमारा राजनयिक प्रतिनिधिमण्डल एक झरोखे का काम करता है । परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में चीन के राजयनिक प्रतिनिधि मण्डल का होना उनके लिये घुसपैठ के द्वार के समान है । क्या यह सच नहीं है कि नक्सलवाड़ी में तथाकथित विद्रोह के पूर्व भारत में चीनी दूतावास के तृतीय सचिव ने सिलिगुड़ी का दौरा किया था और वह उग्रवादी साम्यवादियों के नेता श्री कानु सान्याल से मिले थे ? क्या यह भी सच नहीं है कि नेपाल में चीनी दूतावास के प्रथम सचिव भारत-नेपाल सीमा तक आये और नक्सल-वाड़ी विद्रोह को प्रेरणा देने के लिये वहां पर 3 दिन तक ठहरे ? इन सब बातों के सम्बन्ध में हमने क्या किया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : यह सच नहीं है कि चीनी दूतावास के प्रथम और तृतीय सचिव सिलिगुड़ी या नेपाल की सीमा पर गये । चीनी दूतावास के प्रथम और तृतीय सचिव मई के महीने में कलकत्ता गये थे । यह सच है कि उस समय वे साम्यवादी दल (मार्क्सिस्ट) के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिले । सीमावर्ती क्षेत्रों में उनके आने की बात हमारी जानकारी के अनुसार सच नहीं है । उन्होंने कहा कि चीनी दूतावास यहां पर चीन के विचारों का प्रचार कर रहा है । यह बात तो सारे संसार पर लागू होती है । विचारों का मुकाबिला विचारों से ही किया जायेगा ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या भारत सरकार चीन विरोधी भावों पर ही पनपना चाहती है जैसा कि चीन भारत विरोधी भावों पर ही हमेशा पनपता है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं समझता कि हमने चीन के साथ लड़ाई के दौरान भी कभी चीन विरोधी रवैया अपनाया हो ।

श्री सु० कु० तापड़िया : उग्रवादी साम्यवादी देश में सशस्त्र विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं । उनके पास 15,000 लोग पहले से ही हैं । हाल ही में कुछ पैम्फलैट पकड़े गये थे जिनमें

दिया गया था कि पुलों और रेलगाड़ियों को किस तरह उड़ाना है। इन सारी राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार साम्यवादी दल (मार्क्सिस्ट) पर रोक लगायेगी।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : साम्यवादी दल पर रोक लगाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shri Rabi Ray : Is there any proposal to ban the Congress Party ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : परन्तु स्वयं वामपन्थी दल में उग्रवादियों की उत्पत्ति एक गम्भीर चीज है जिसकी ओर हमने ध्यान दिया है।

श्री स्वैल : किसी देश के साथ राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद करने के सम्बन्ध में क्या सरकार के पास कोई मापदण्ड है ;

श्री यशवन्तराव चह्वाण : निश्चय ही विदेश मंत्रालय के पास कुछ मापदण्ड हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : चीनी दूतावास पाकिस्तान उच्चायोग के सहयोग से कार्य कर रहा है। भारतीय एकता को भंग करने के लिये चीनी और पाकिस्तानी उच्चायुक्तों द्वारा जो षडयन्त्र रचे जा रहे हैं, क्या सरकार को उसकी जानकारी है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : विदेशी राजनयिक दूतावासों के बारे में किसी प्रश्न का उत्तर मेरे लिये बहुत कठिन होगा। जहां तक इस मंत्रालय के कृत्य और जिम्मेदारी का सम्बन्ध है, हम इसके प्रति पूरी तरह सचेत हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या होने वाला है।

Shri Madhu Limaye: Is the Hon. Minister in a position to give the names of the Naxalbari Group leaders with whom one secretary of Chinese Embassey had met so as to ascertain whether they are amongst their big leaders?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : क्योंकि वहां पर स्थिति बदलती हुई हालत में है, इसलिये नाम आदि का ब्योरा देना मेरे लिए सम्भव नहीं है। जैसा कि मैंने बताया मार्कसवादी दल में उग्रवादी साम्यवादियों का उत्पन्न होना ही एक बदलती हुई चीज है। हम सही-सही नहीं जानते कि वहां पर कौन किस तरफ है। इस समय मैं कोई ब्योरा नहीं बताना चाहता।

Shri Madhu Limaye: You may not disclose the names, but at least tell whether they are from amongst the Communist Marxist leaders or the Naxalbari Group leaders.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : निश्चय ही, मैं बता दूं कि जब वे सचिव वहां गये, तो यह साफ है कि नक्सलबाड़ी ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच भेद स्पष्ट नहीं था। इसीलिये मैंने सामान्य वक्तव्य दिया कि वे साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के सदस्यों से मिलें।

Shri Prakash Vir Shastri: Keeping in view Shri Ajoy Mukerjee's letter which was lately widely discussed—as the heading of this question says visit by Foreign Pro-Chinese leaders to Calcutta—may I know whether arms were sent there and whether it is only in regard to Assam and Bengal or the incidents in the Kashmir area have also been brought to light ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस बारे में मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है।

Shri B. S. Sharma: Are Government aware that a new party by the name of Extremist Communist Party has been formed in Calcutta which has openly declared that it would overthrow the Government by blood revolution and then form its own Government? May I know whether this Party came into being before or after the socalled meeting in Calcutta of the Communist representatives from Nepal, Burma and Ceylon?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : प्रश्न का मुख्य आधार यह है कि कलकत्ता में तीनों देशों की बैठक हुई और इसके बारे में हमने पहले ही कहा है कि हमारे पास जानकारी नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री अजय मुकर्जी के पत्र का इस सदन में कई बार उल्लेख किया गया है । श्री अजय मुकर्जी ने एक वक्तव्य जारी किया है कि उन्होंने एक पत्र लिखा था, परन्तु उसे केन्द्र को कभी नहीं भेजा गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि वह पत्र केन्द्र को कभी नहीं भेजा गया, केवल श्री थरुन कान्ती घोष द्वारा कपट द्वारा उसकी एक प्रति लेकर प्रकाशित की गई थी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे देखना होगा कि क्या वह पत्र प्राप्त हुआ था, बिना जानकारी के मैं कुछ नहीं कह सकता । परन्तु एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि इस पर कोई अपत्ति उठाई जानी है तो वह स्वयं अजय बाबू की ओर से आनी चाहिये । प्रश्न यह नहीं है कि पत्र वास्तव में भेजा गया था या नहीं, प्रश्न यह है कि अजय बाबू के मन में वास्तव में ये शंकाएं थीं या नहीं ।

पश्चिमी बंगाल में हड़ताल

*632. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम बंगाल की सरकार के भूतपूर्व सूचना मंत्री द्वारा संवाददाताओं को दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वह यह चाहते हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारी 24 अगस्त, 1967 को सारे पश्चिम बंगाल में होने वाली हड़ताल में भाग लें ।

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के मंत्री द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए सुझाये गये इस तरीके को केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त है विशेषकर इस बात को देखते हुए कि इन कर्मचारियों में अखिल भारतीय सेवाओं के व्यक्ति भी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो राज्यों में सरकार द्वारा प्रायोजित इस प्रकार की हड़तालों के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) पश्चिम बंगाल की सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के कार्मिक संघ के पूरे अधिकार दिये हुए थे और यह उनके ऊपर था कि वे हड़ताल में भाग लें या न लें । यह जानकारी पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व सूचना मंत्री ने 24 अगस्त, 1967 को हड़ताल के सम्बन्ध में पत्रकार द्वारा पूछे गये एक

प्रश्न के उत्तर में दी थी। उन्होंने आगे चलकर कहा : कार्मिक संघ के एक सदस्य के रूप में मैं चाहूंगा कि प्रस्तावित सामान्य हड़ताल शत प्रतिशत सफल हो।

(ख) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार हड़तालों जैसी कार्यवाहियों से सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध रखने को अच्छा नहीं समझती।

(ग) हाल ही में सभी राज्य सरकारों को एक पत्र भेजा गया है जिसमें सभी उनके सांवैधानिक कर्तव्यों की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है।

श्री चपला कान्त भट्टाचार्य : क्या पश्चिम बंगाल सरकार में प्रति नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी सदस्य ने वास्तव में तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकार के 24 अगस्त को हड़ताल करने के आह्वान पर हड़ताल में भाग लिया था ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री चपला कान्त भट्टाचार्य : क्या स्वयं केन्द्रीय अधिकारियों को विशेष हिदायतें जारी की गई हैं कि उन्हें ऐसी हड़तालों में शामिल नहीं होना है, चाहे हड़तालें उस राज्य सरकार द्वारा ही प्रायोजित क्यों न हों जिसमें वे प्रतिनियुक्त हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सेवा की मूल शर्तों में से यह एक है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पिछले सत्र में 'टाईम्स आफ इन्डिया' में एक शरारत भरा लेख छपा था कि पश्चिम बंगाल से साम्यवादी संसद् सदस्य एक चीनी सचिव के साथ चीन की सीमा पर गये थे।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उसी पर आ रहा हूं। पश्चिम बंगाल में जब संयुक्त मोर्चे की सरकार सत्तारूढ़ थी, तो कांग्रेस दल ने, कम से कम खाद्य मंत्री की घोषित नीति के विरुद्ध कि समाहार आरम्भ किया जाना चाहिये ; गांव-गांव में जाकर जोतदारों को कहा कि वे पैसा खर्च करें और समाहार को रोकें और चावल का एक दाना भी न दें ? क्या यह सच नहीं है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि माननीय सदस्य का वक्तव्य सही नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन् वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य का प्रश्न केवल यही है कि क्या कांग्रेस दल ने या किसी अन्य दल ने समाहार के कार्यक्रम में बाधा डाली। यह बात सही नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister just now stated that a communication has been addressed to the State Governments drawing their attention to their Constitutional obligations in the matter. What is the reaction of the State Governments to that letter and

has any complaint been received from the State Government to the effect that protection was not afforded to the central property and if so, what preventive measures are proposed to be taken.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वास्तव में मैं सांवैधानिक स्थिति की ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाना चाहता था। वास्तव में उनसे यह आशा की जाती है कि वे इससे अवगत हैं। मैंने इसलिये इसकी ओर ध्यान दिलाना आवश्यक समझा कि भविष्य में वे इसको मद्दे नजर रखें। स्वभावतः मैं उनसे किसी उत्तर की आशा नहीं कर रहा था, केवल यही आशा करता हूं कि वे इसको पालन करें।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या राज्य सरकार से उस पत्र के उत्तर में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं अपनी याद से ही कह सकता हूं। कम से कम मुझे कोई अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

Shri O. P. Tyagi: Sir, these strikes are hampering our efforts of production. Have Government applied its mind to give labour a share in the profits with a view to ending the strikes ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न श्रम मंत्री को सम्बोधित किया जाना चाहिये।

भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का सतर्कता दल

+

*633. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अक्तूबर, 1967 के स्टेट्समैन में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मार्क्सवादी साम्यवादी दल ने अपना एक सतर्कता दल बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) केरल सरकार ने बताया है कि कन्नानोर जिले में स्वयंसेवकों को गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, परन्तु भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) को कोई सतर्कता दल उनकी जानकारी में नहीं आया है। उन्होंने हमें यह भी सूचना दी है कि उनकी जानकारी में कोई अनाचार भी नहीं आया है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : राजनीतिक दलों द्वारा इस प्रकार के दल बनाये जाने का भारतीय लोकतन्त्र पर बुरा असर पड़ेगा। मैं 13 अक्तूबर के 'स्टेट्समैन' से कुछ पंक्तियां उद्धरित करना चाहता हूं :

"इस साम्यवादी स्वयंसेवक दल के 35 अधिकारियों का पहला ग्रुप पहले ही कालीकट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और छः अन्य ग्रुपों को कालीकट और कन्नानोर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षार्थियों को वर्दी दी जाती है और उन्हें आत्मरक्षा के तरीके बताये जाते हैं। वाम-पन्थी साम्यवादियों की प्रत्येक जिले में कम से कम 10,000 स्वयंसेवकों को रखने की योजना है और प्रत्येक गांव में कम से कम 20 होंगे।"

इसका परिणाम यह हुआ है कि साम्यवादी दल की इन सेनाओं से रक्षा के लिये अन्य दलो ने भी ऐसा करना आरम्भ कर दिया है। उसी समाचार-पत्र में आगे कहा गया है :

"मार्क्सवादियों से अपने आपको बचाने के लिये कुट्टानाड़ के किसानों ने पहले ही 1,500 व्यक्तियों का एक दल बना लिया है।"

यह भी कहा गया है :

"तमिलनाड में, कांग्रेस दल ने भी ऐसी सेना बनाना आरम्भ कर दिया है।"

अतः मार्क्सवादी साम्यवादी दल का यह उद्देश्य है कि भारतीय लोकतन्त्र के टुकड़े हों और लोग एक दूसरे से लड़ें। अतः विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सेनाएं बनाये जाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक स्वयंसेवी संगठनों का सम्बन्ध है, प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना स्वयंसेवी संगठन है। मार्क्सवादी साम्यवादी दल की भी प्रत्येक जिले में अपनी स्वयंसेवी सेना रखने की नीति है। यह सच है और उन्होंने खुले आम यह कहा है।

श्री सु० कु० तापड़िया : सेना।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : ऐसी घोषणाएं हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं अपितु केवल जानकारी दे रहा हूं। अधिकांश राजनीतिक दलों के अपने अपने स्वयंसेवी संगठन हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मार्क्सवादी साम्यवादी दल भी स्वयंसेवी संगठन रखने की इस आवश्यकता के प्रति अधिक जागरूक हो गई है। उन्होंने अपना गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में कम से कम 10,000 स्वयंसेवक होंगे। इसके साथ ही इन संगठनों के कृत्यों और उद्देश्यों के बारे में भड़काने वाले भाषण खतरनाक चीजें हैं। यदि किसी राजनीतिक दल का उद्देश्य सतर्कता दल या समानान्तर पुलिस दल बनाने का है तो भारत सरकार भी चौकन्नी रहेगी।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : राजनीतिक दलों के इन संगठनों को अन्य स्रोतों से किस हद तक वित्तीय सहायता प्राप्त होती है ?

इससे पता चलता है कि हमारे यहां का साम्यवाद दल किस निराले तथा संदेहजनक ढंग से कार्य कर रहा है। सरकार यह पता लगाने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है कि इन अर्ध्य सैनिक संस्थाओं को धन कहां से प्राप्त हो रहा है तथा इसमें विदेशी सरकारों का कितना हाथ है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि विदेशी एजेंसियां इन स्वयं सेवी संस्थाओं को किस प्रकार धन दे रही हैं। मैं इसका पता लगाऊंगा।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या मार्क्सवादी साम्यवादियों की यह सैनिक संस्था लाल रक्षकों की भांति है तथा क्या इन्होंने कालीकट के मंचोरा मैदान में 29-10-67 को प्रदर्शन किया था ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इन्हें सैनिक संस्था तो नहीं कहूंगा। हमें इनको देखना होगा।

श्री नायनार : हमारा दल स्वयं सेवकों को इसी प्रकार प्रशिक्षण दे रहा है जैसे कांग्रेस स्वतन्त्र तथा जनसंघ दल अपने स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम तो अपने बचाव के लिये प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या सरकार को पता है कि विभिन्न राजनीतिक दल अपने स्वयंसेवकों को शस्त्रों तथा भालों से प्रशिक्षण दे रहे हैं और यदि हां तो वह इस मामले में क्या कार्यवाही करने वाले हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सदस्य महोदय को नाराज नहीं होना चाहिये। इनके चिल्लाने से मुझे भी संदेह होने लगता है। इस संस्था के लोगों ने कुछ उत्तेजनात्मक बात कही हैं जिसके खतरनाक परिणाम निकल सकते हैं।

श्री मनुभाई पटेल : क्या सरकार इसके विरुद्ध कुछ कार्यवाही करेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी नहीं।

Shri Rabi Ray: When the Home Minister visited Sangli some agitators of the opposition parties staged a demonstration and they were beaten up by the volunteers of Congress. Is it permissible that peaceful demonstrators should be beaten up?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इसके बारे में मेरे पास कोई सरकारी सूचना नहीं है। कांग्रेस दल के लोगों ने वहां किसी प्रदर्शनकारी पर आक्रमण नहीं किया। झगड़ा तो पुलिस तथा प्रदर्शन कारियों के बीच था। पत्थर फेकने के उत्तर में पुलिस को कार्यवाही करनी पड़ी।

श्री तिरुमल राव : क्या सरकार को उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करनी चाहिये जो माओ की तस्वीर को विजयवाड़ा तथा केरल में लगायें ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह तो प्रश्न नहीं, वक्तव्य है।

श्री विश्वनाथ मेनन : क्या स्वतन्त्र दल केरल में पौरा समिति के नाम की स्वयंसेवी संस्था चला रहा है और यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस सम्बन्ध में केरल सरकार से सूचना प्राप्त करूंगा ।

Shri Ramavtar Shastri: There are quarrels in this country between the millowners and labourers. Is it illegal to keep such organisations for one's protection from the goondas which the mill owners engage ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह प्रश्न नहीं है अपितु मेरा परामर्श चाहते हैं ।

श्री बलराज मधोक : कुछ राजनीतिक दल स्वयंसेवी दल नहीं अपितु एक प्रकार की सेना तैयार कर रहे हैं ताकि वहां भी वियतनाम जैसी परिस्थितियां तैयार की जा सकें । क्या सरकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐसी संस्थाओं पर रोक लगायेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । यह राजनीतिक प्रश्न है और इस संदर्भ में श्री मधोक को ही अधिक सोचना चाहिये ।

श्री श्रीधरन : क्या सरकार ने कोई ऐसा तरीका अपनाया है जिससे यह पता चले कि कोई संस्था देश के विरुद्ध कार्य कर रही है और यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सरकार देश विरोधी प्रत्येक संस्था का पता रखती है ।

Shri Charanjeet Yadav: Is Government aware of the existence of R.S.S. which has taken part in many communal riots and they have infiltrated into the Government services too and which are a danger to the secularism too ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को एक राजनीतिक दल समझते हैं तथा किसी भी सरकारी नौकर का इसमें भाग लेना मना है ।

श्री चेंगलराया नायडू : केरल में लाल रक्षक नहीं अपितु लाल फीते की संस्था हैं । क्या सरकार इसे समाप्त करने के बारे में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जब तक कोई स्वयंसेवी संस्था एक सीमा में कार्य करेगी, हमें उसे स्वीकार करना होगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta: Sir, he has levelled wrong charges agaist a political party....*

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरे पास लिखकर भेजिये कि आप यह उठाना चाहते हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai.....*

---

*अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया ।

*Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : इनको लिखा न जाये ।

Shri A. B. Vajpayee : Sir, you should give us an opportunity that we write to you about it. It is not proper for the Home Minister to say such things.

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी सदस्य को कुछ पूछना है तो वह मेरे पास लिखकर भेजे । मैं फिर उस पर विचार करूंगा । इस समय कोई वचन नहीं दे सकता ।

प्रादेशिक भाषाओं का विकास

+

*634. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**

श्री सूपकार :

श्रीमती तारा सप्रे :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये प्रत्येक राज्य को किन विशिष्ट शर्तों के अन्तर्गत एक करोड़ रुपया दिया गया है ; और

(ख) क्या वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के मानकीकरण के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) इस कार्य के लिये किसी भी राज्य सरकार को अब तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

(ख) कार्यक्रम का विवरण विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र के मुख्य परामर्शों के अनुसार तैयार किया जायेगा ।

श्री सूपकार : क्या वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों के पाठ्य पुस्तकों का कोई संदर्भ ग्रंथ, जिसे पहले ही क्षेत्रीय भाषाओं में छापा जा चुका है, भारत सरकार ने तैयार किया है तथा भारत सरकार अंग्रेजी से विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के बारे में कहीं दोहरा काम न हो, इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शेर सिंह : हम पहले से छपी विभिन्न विषयों पर क्षेत्रीय भाषाओं में छपी संदर्भ पुस्तकें तैयार कर रहे हैं ।

श्रीमती तारा सप्रे : क्या सरकार उनसे हिन्दी अनुवाद के बारे में भी कहेगी ?

श्री शेर सिंह : जी हां, अवश्य ।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि इस बारे में कोई राशि नहीं दी गई । देश में उर्दू भाषा के विकास के बारे में सरकार ने क्या किया है ?

श्री शेर सिंह : उर्दू सहित सब क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किया जायेगा ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सरकार राज्यों को हिदायत देगी कि पाठ्य पुस्तकें न केवल क्षेत्रीय भाषाओं में छापें अपितु अन्य बड़ी-बड़ी भाषाओं में भी छापें जैसे आसामी, अंग्रेजी तथा बंगला में ?

श्री शेर सिंह : आसामी तथा बंगला तो क्षेत्रीय भाषा हैं परन्तु अंग्रेजी नहीं है ।

Shri S. C. Jha : What steps are Government taking to develop Maithili language and whether it will be included in the Eighth Schedule of constitution ?

Shri Sher Singh : State Governments are taking steps in this connection.

Alleged attempt to create unrest in the Border Areas of Bihar

*635. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement made by a Minister of Bihar on the 23rd October, 1967 to the effect that a plot is being hatched by the Communists in the border areas of Bihar to make the State another Vietnam ;

(b) if so, whether it is a fact that such activities are being guided by a Nepali, Shri Tulsi Lal Amatya, who has been expelled from Nepal ; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) 24 तारीख, 1967 के "इंडियन नेशन" में मार्क्सिस्टों की छापामार आधार तैयार करने की योजना—गुप्त दस्तावेजों का पकड़ा जाना शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर खिचा है ।

(ख) राज्य सरकार के ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Onkar Lal Berwa : Whether some Indian communists are also connceted with Amatya ? Is it also a fact that some communists got standing crops harvested by spreading violence there ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : उत्तर विहार के कुछ जिलों में संघर्ष के समाचार प्राप्त हुए हैं परन्तु यह ठीक पता नहीं लग सका कि उसमें नेपाल के साम्यवादियों का भी हाथ है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Have some documents been got into possession ? Are you making inquiries about it and have some persons also been arrested ?

Shri Y. B. Chavan : No documents have been caught. To the other part I have already replied to the main question.

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

अन्तर्राष्ट्रीय अनाज करार, 1967

अ०सू०प्र० सं० 13. श्री रवि राय : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय अनाज करार, 1967 पर हस्ताक्षर करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) कितनी अवधि से भारत इस संगठन का सदस्य है तथा इस संगठन का सदस्य होने के नाते भारत को क्या लाभ पहुँचा है; और

(ग) इस करार का देश में वस्तुओं के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क). जी हां । भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय अनाज प्रबन्ध, 1967 के गेहूँ व्यापार कन्वेंशन पर 30 नवम्बर, 1967 को हस्ताक्षर किये थे ।

(ख) और (ग). क्योंकि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय अनाज प्रबन्ध के अधीन गेहूँ व्यापार कन्वेंशन पर 30 नवम्बर, 1967 को ही हस्ताक्षर किए हैं और यह प्रबन्ध भी पहली जुलाई, 1968 से लागू होगा, इसलिए, इसके लाभ और मूल्यों पर इस प्रबन्ध के प्रभाव का इस समय मूल्यांकन करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता । तथापि, भारत अन्तर्राष्ट्रीय गेहूँ करार का 1949 से सदस्य रहा है और इससे इन करारों के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों पर सदस्य देशों से गेहूँ की खरीदारी कर पाया है। अन्तर्राष्ट्रीय गेहूँ करार का अब अन्तर्राष्ट्रीय अनाज प्रबन्ध स्थान लेगा ।

Shri Rabi Ray: The chairman of this Agreement has called it unsatisfactory. It is also stated that prices have not come down. I want to know what effect it had on prices?

श्री शिन्दे : इसका सम्बन्ध वाणिज्यिक खरीद से है और इस कारण इसका आन्तरिक मूल्यों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

Shri Rabi Ray: What effect will the Agreement have on the commercial purchases from abroad and what will be its effect on current food-aid?

श्री शिन्दे : इस समझौते की मुख्य बातें यह हैं : यदि हमें वाणिज्यिक आयात करना है तो इसका 70 प्रतिशत उन देशों से करना होगा जो इस समझौते में शामिल हैं। इस समझौते का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें और कहीं से अन्न न प्राप्त हो । समझौते में न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य भी निश्चित किये हुए हैं । वैसे पी० एल० 480 के समझौते के अन्तर्गत हमें 2 लाख टन अन्न वाणिज्यिक श्रेणी के अन्तर्गत आयात करना है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या इस समझौते के अन्तर्गत जो संस्था कायम की है उसने हमें यह

भी बता रखा है कि हमें अन्न कुछ विशेष क्षेत्रों से ही प्राप्त करना है तथा हमारे देश के लिये यह संस्था क्या विशेष कार्य कर रही है ?

श्री शिन्दे : यह समझौता केवल गेहूँ के लिये है, चावल के लिये नहीं है। इसके अनुसार यह देखना है कि गेहूँ उचित तथा स्थाई मूल्यों पर प्राप्त होता रहे। इसकी एक मुख्य बात यह भी है कि गेहूँ तथा गेहूँ आटे का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता रहे तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता रहे।

Shri Madhu Limaye: According to the Economic Times the text of the agreement will not be published. In the light of this I want to know the main features of the Agreement and the reason for not publishing it. I also want to know the difference between the prices of wheat which we will have to purchase under P. L. 480 and that under the commercial rates ?

श्री शिन्दे : इस समझौते की प्रति हमने पुस्तकालय में रख दी है क्योंकि हम सदस्यों से कुछ छिपाना नहीं चाहते। पी० एल० 480 के अन्तर्गत हम जो खरीद करते हैं उसके लिये हमारा वाशिंगटन स्थित इंडिया सप्लाई मिशन टेंडर छोड़ता है और उसके मूल्य बाजार के उस समय के मूल्यों पर आधारित होते हैं। जो नया करार हुआ है उसमें एक मेट्रिक टन के लिये 63.5 अमरीकी डालर देने पड़ते हैं तथा न्यूनतम और अधिकतम में 40 सेंट का अन्तर है।

Shri Madhu Limaye: What is the difference in price of the purchase you make by tender in U. S. A. and those under this agreement ?

श्री शिन्दे : मुझे इसके लिये अलग नोटिस चाहिए।

Shri Ram Sewak Yadav: What amount you had to pay as interest for the difference in prices of foodgrains which you bought since entering the agreement in 1949. I also want to know the difference between the price at which Government purchases foodgrains in U.S.A. and at which it sells in India ?

श्री शिन्दे : पी० एल० 480 के अन्तर्गत की गई खरीद के बारे में मुझे नोटिस चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri: While entering into this agreement did you take into consideration the prospects that we will have a good harvest this year as stated by Shri Jagjivan Ram. Also in view of the possible good harvest will you finish the food zones ?

The Food and Agriculture Minister (Shri Jagjiwan Ram): This agreement does not compel us to buy foodgrains.

Regarding food zones we will keep them as long as we do not have atleast 30 lakh tons of foodgrains in our stock and the difference between the procurement price and those of the open market are narrowed down to the minimum plus we have good harvest for the year following when we finish these zones.

श्री एस० कुण्डू : यह करार 1 जुलाई से लागू होगा। क्या 1 जुलाई को गेहूँ आना आरंभ हो जायेगा। और यदि हाँ, तो उसकी मात्रा कितनी होगी ?

श्री जगजीवन राम : इस करार में हमें अवश्य खरीदने के लिये बाध्य नहीं किया गया है।

Shri Maharaj Singh Bharati : Will the price which we pay for puchases outside be more or less than what we pay to our own farmers?

Shri Jagjiwan Ram : We have been purchasing at a low price wheat from abroad.

Shri Onkar Lal Berwa : Why are we selling it at higher priees when we purchase it at lower prices?

Shri Jagjiwan Ram : We are selling at subsidised prices and not even at high prices.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विद्रोही मिजो लोगों को चीन तथा पाकिस्तान की सहायता

*636. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**
श्री रवि राय :
श्री ब० कृ० दास चौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो विद्रोही लोगों ने हाल ही में एक पत्रक बांटा है, जिसमें उन्होंने सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को गालियां दी हैं और यह भी धमकी दी है कि चीन तथा पाकिस्तान उन्हें स्वतन्त्रता दिलाने में सहायता करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दी तथा अंग्रेजी में विधेयकों तथा संशोधनों का पुरःस्थापन

*637. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** **डा० सूर्य प्रकाश पुरी :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री रामजी राम :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधेयकों तथा उनके संशोधनों को हिन्दी तथा अंग्रेजी में पुरःस्थापित करने और उन्हें उसी प्रकार से इन दोनों भाषाओं में पारित करने तथा प्रमाणित करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के कब तक कार्यान्वित होने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मामला अभी भी विचाराधीन है ।

(ख) इस समय कोई ठीक-ठीक तिथि बताना सम्भव नहीं है ।

Demands of Himachal Pradesh Government Employees

*638. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the non-gazetted employees of the Government of Himachal Pradesh have sent memoranda to the Central Government for Introduction of Central scales of pay and for linking of Dearness Allowance with the cost of living index; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes Sir.

(b) The demand cannot be accepted.

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अनुसन्धान परियोजनाओं का पुनर्गठन

*639. **श्री मरंडी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् की अनुसन्धान परियोजनाएं देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने में असफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने बेकार और अनुत्पादक परियोजनाओं को समाप्त करने के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अनुसन्धान परियोजनाओं को पुनः संगठित करने का निर्णय किया है; और

(ग) पुनर्गठन से इस सम्बन्ध में किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं । अनुसंधान की उपयोगिता ऐसे साधनों की संख्या पर जैसे औद्योगिक विकास की स्थिति, सरकारी नीतियां तथा कई अन्य आर्थिक प्रौद्योगिकीय और सामाजिक उपादानों पर निर्भर करती हैं। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा विकसित प्रक्रियाओं तथा उत्पादनों की उपयोगिता सम्बन्धी सूचना निम्न पुस्तकों में दी गई है :

'अनुसंधान तथा उद्योग 1964' और 'अनुसंधान उपयोगिता सम्बन्धी डाटा (आंकड़े) 1965' जिनकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के मौजूदा कार्यक्रमों को व्यावहारिक दृष्टि से वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिये उनके मूल्यांकन का निश्चय किया है । यह भी विचार है कि प्रयोगशालाओं के भावी अनुसन्धान कार्यक्रम प्राथमिकता-प्रणाली के अनुसार होने चाहिए ।

(ग) अनुसंधान कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा उनकी संचालन कार्यक्षमता सुधारने के लिए मशीनी सामग्री की व्यवस्था करना सतत कार्य है ।

त्रिपुरा के पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोही मिजो लोगों द्वारा पुलिस कर्मचारियों पर आक्रमण

*640. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री भगवान दास :**
श्री स० च० बेसरा : **श्री निहाल सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही मिजो लोगों द्वारा 16 नवम्बर, 1967 को त्रिपुरा के जामपुई पहाड़ी क्षेत्र में एक पुलिस कैम्प पर किये गये हमले में 6 पुलिस कर्मचारी मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि विद्रोही मिजो लोगों ने इस राज्य में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और वे गांव से जबरन रुपया वसूल कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग) . एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

(घ) सुरक्षा उपाय दृढ़ कर दिये गये हैं ।

विवरण

(क) से (ग). 16 नवम्बर, 1967 को रात्रि के एक बजकर 50 मिनट पर त्रिपुरा में हमारी वांधमन पुलिस चौकी पर लगभग 100 सशस्त्र मिजो विद्रोहियों ने हमला किया था । दोनों ओर से गोलियां चलने में 7 पुलिस के सिपाही मारे गये और विद्रोहियों द्वारा चौकी लूट ली गई । मौके पर कुमक भेजी गई और अगली सुबह ही चौकी पर कब्जा कर लिया गया था । सुरक्षा दल की एक टुकड़ी ने हरीपा के स्थान पर विद्रोहियों का मुकाबिला किया और जवाबी गोलियों में 4 विद्रोही मारे गये । अब तक 43 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । त्रिपुरा में लोगों से रुपया ऐंठने के बारे में अभी तक कोई समाचार नहीं मिला है । तथापि मिजो विद्रोहियों के गिरोह पहले भी यहां आये थे, त्रिपुरा में उनकी गहन गतिविधियों का कोई संकेत नहीं है ।

मृत्यु दण्ड का हटाया जाना

*641. **श्री रणधीर सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दण्ड संहिता से मृत्यु दण्ड हटाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव मिले हैं; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं। भारत में मृत्यु दण्ड को समाप्त करने का प्रश्न विधि आयोग के विचाराधीन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

C. I. A. Agents Sabotaging Collective Farming Programme

*642. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the report appearing in the press that the C. I. A. agents have tried their best to make the Collective Farming Programme a failure in India in order to increase the supply of American foodgrains to India ; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) I have already made a statement on 20th November, 1967 on this subject.

विधायकों तथा प्रशासन के बीच सम्बन्धों के बारे में संहिता

*643. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1967 में संसद् सदस्यों, विधायकों और प्रशासन के बीच सम्बन्धों को नियमित करने की संहिता का मसौदा तैयार किया गया था और सभा-पटल पर रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर संसद् में विभिन्न राजनीतिक दलों और ग्रुपों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई है;

(ग) क्या इस मामले में राज्य सरकारों की राय भी मांगी गई है; और

(घ) क्या ऐसी किसी संहिता का किसी राज्य द्वारा अपने आप औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से अनुसरण किया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां।

(ख) जुलाई, 1966 में पिछली लोक-सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मामले पर एक बार बातचीत हुई थी और उनकी राय मांगी गई थी। तथापि, वर्तमान संसद् में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ फिर चर्चा की जायेगी।

(ग) संसद् में प्रारूप संहिता पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होने के पश्चात राज्य सरकारों का परामर्श लिया जायेगा।

(घ) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

Purchase of Land in Scheduled Areas

*644 **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government passed any orders after the Independence that nobody who is not a resident of the Sixth Schedule areas of Assam can buy land ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether these orders would not come in the way of free intercourse of these tribals with the rest of the people in the country ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c). Whereas neither the Government of India nor the State Government of Assam has made any such order, District Councils in exercise of powers conferred under para 3 (1) (a) of the Sixth Schedule have made laws providing for control over transfer of land within their jurisdiction. Under these laws, no land within the jurisdiction of a District Council can be sold, mortgaged, leased, bartered, gifted or otherwise transferred by a tribal to a non-tribal or by a non-tribal to another non-tribal except with the previous sanction of the District Council. The purpose of such restrictions is only to provide a measure of protection to those who may not be capable of safeguarding their own interest. It is not considered that such restrictions should necessarily come in the way of free intercourse between the people of these areas and the rest.

Hoisting of National Flag in Jammu and Kashmir

*645 **Shri Sharda Nand :** **Shri Yajna Datt Sharma :**
Shri A. B. Vajpayee : **Shri N. S. Sharma :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is no uniformity in Jammu and Kashmir State in regard to the hoisting of National flag on Government buildings ;

(b) whether it is a fact that only one National Flag is hoisted on the Assembly building in Jammu while two flags, National and State, are hoisted on the Assembly building in Srinagar and on the Secretariat buildings also two flags are hoisted ; and

(c) If so, the action being taken by Government to bring about uniformity in regard to the hoisting of National flag in Jammu and Kashmir ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c). According to information available broadly there is uniformity in Jammu and Kashmir State in regard to hoisting of National Flag on Government buildings. Section 144 of the Constitution of Jammu and Kashmir provides for a separate State Flag. The State Flag is in no sense a rival to the National Flag, which occupies the supreme position and has the same status and position as in any other part of India.

दिल्ली की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकतायें

*646. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली ने दिल्ली की परिवहन सम्बन्धी

भावी आवश्यकताओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और राजधानी को परिवहन सम्बन्धी समस्या को हल करने के लिये संस्था ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इस संस्था की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). संस्थान के अनुसार इसने अभी तक दिल्ली की परिवहन आवश्यकता का सर्वेक्षण नहीं किया है । तथा मैट्रोपोलिटन परिवहन दल ने अनुरोध किया है कि यह दिल्ली प्रशासन की ओर से ऐसा एक अध्ययन आरम्भ करे । प्रशासन द्वारा निधियां उपलब्ध कराने पर संस्थान अध्ययन आरम्भ करेगा ।

नये राज्यपालों की नियुक्ति तथा उनका कार्यकाल

*647. **श्री रवि राय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों के राज्यपाल कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् इस मास या आगामी मास सेवानिवृत्त होने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से राज्य हैं; और

(ग) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव है कि किसी व्यक्ति को राज्यपाल केवल एक ही बार नियुक्त किया जाये और उसका कार्यकाल न बढ़ाया जाये ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). आसाम और नागालैंड और उड़ीसा के राज्यपाल अगले वर्ष के आरंभ में, ज्यों ही उनके उत्तराधिकारी, जिनको नियुक्त किया गया है, पद ग्रहण करने के लिये तैयार होंगे, सेवानिवृत्त होंगे ।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 156 (3) के अन्तर्गत राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा ।

परन्तु अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी राज्यपाल अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा । इस उपबन्ध का पालन किया जा रहा है और राज्यपालों को दूसरी अवधि के लिये नियुक्त नहीं किया जा रहा है ।

पूर्वी रेलवे क्षेत्र में अराजकता

*648. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या उनका ध्यान पूर्वी रेलवे क्षेत्र में बढ़ती हुई अराजकता के कारण रेलवे सम्पत्ति की हानि के बारे में पूर्वी रेलवे के जनरल मैनेजर द्वारा कलकत्ता में हाल में किये गये संवाददाता सम्मेलन की ओर दिलाया गया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ऐसी अवस्था में क्या कार्यवाही करेगी जबकि किसी राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाये और जिससे उस राज्य में लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाये; और

(ग) पूर्वी भारत में अराजकता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को कठोरता से दबाने के लिये केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) पूर्वी रेलवे के महाप्रबन्धक द्वारा किसी ऐसे सम्मेलन के किये जाने का सरकार को पता नहीं है। पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी रेलों के महाप्रबन्धकों ने 12 सितम्बर, 1967 को पश्चिम बंगाल सरकार के साथ रेल सेवा पर प्रभाव डालने वाली विधि तथा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार समाज विरोधी तत्वों का दमन करने के लिये राजी हो गई।

(ख) और (ग). संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार आभ्यान्तरिक अशांति से प्रत्येक राज्य का संरक्षण करना तथा प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाई जाये, यह सुनिश्चित करना संघ का कर्त्तव्य होगा। हाल ही में सभी राज्य सरकारों को एक पत्र भेजा गया है जिसमें उनका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 में दिये गये उनके सांवैधानिक कर्त्तव्यों की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे केन्द्रीय अभिकरणों के सुचारु कार्य और केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करें।

आसाम के बारे में पाकिस्तान के बुरे इरादे

*649. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री ओ० प्र० त्यागी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के मुख्य मंत्री ने आसाम के विरुद्ध पाकिस्तान के बुरे इरादों की ओर संकेत किया है;

(ख) क्या उन्होंने श्री भुट्टो के इस लेख पर टिप्पणी की है कि आसाम पाकिस्तान का अभिन्न अंग होना चाहिये और पाकिस्तान सरकार को राज्य की गैर-हिन्दू जनसंख्या से सम्बन्ध बनाये रखने की विशेष नीति अपनानी चाहिये; और

(ग) पाकिस्तान के संभाव्य बुरे इरादों का मुकाबला करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया गया है।

Recruitment by the U. P. S. C. in Public Sector.

*650. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the responsibility of recruiting employees for industries in public sector is to be handed over to U. P. S. C. ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether a separate wing is to be created in the Commission for the said recruitment ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

पुलिस वालों के असन्तोष को दूर करने के लिये विचार-गोष्ठी

*651. **डा० रानेन सेन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस वालों के असन्तोष को दूर करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में हुई विचार-गोष्ठी में यह सुझाव दिया गया था कि पुलिस के सभी वर्गों के सामूहिक शिकायतों और दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के लिये एक 'फोरम' की स्थापना की जाये;

(ख) क्या सरकार ने उन सुझावों का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). गोष्ठी के सुझाव प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जायेगा ।

बड़े पत्तन

*652. **श्री अदिचन :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में बड़े पत्तनों के विकास के लिये तैयार किये गये कार्यक्रम की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी धनराशि का नियतन किया गया है; और

(ग) अब तक कितनी राशि का उपयोग किया जा चुका है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-1976/67**]

(ख) बड़ी बन्दरगाहों के विकास के लिये चतुर्थ योजना के प्रारूप में 234 करोड़ रु० का उपबन्ध किया गया था ।

(ग) 1966-67 में 23.66 करोड़ रु० व्यय किये गये थे और आशा है 1967-68 के दौरान 36.30 करोड़ रु० व्यय होंगे।

सरकारी कर्मचारियों के पूर्व-वृत्त की जांच

*653. **श्री मेघ चन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों के पूर्ववृत्त की पुलिस द्वारा जांच कराने की प्रणाली समाप्त की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में यह प्रणाली समाप्त कर दी गई है तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल और केरल सरकार ने उनके अधीन नौकरी प्राप्त करने वालों में केवल राजनीतिक पूर्ववृत्त की जांच कराना बन्द कर दिया है । अन्य पूर्ववृत्त और चरित्र की जांच जिला के सिविल और पुलिस अधिकारियों द्वारा अब भी होती है। इस सम्बन्ध में नीति बनाना राज्य सरकार का काम है और केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी ।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत माल के आयात के लिये भारतीय जहाजों का उपयोग

*654. **श्री दामानी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में पी० एल० 480 के अन्तर्गत जितना माल भारत में लाया गया, उसमें से कितना माल भारतीय जहाजों में लाया गया था; और

(ख) भारतीय जहाजों द्वारा अधिक माल ढोया जाये, इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) अमरीकी पी० एल० 480 विनियमों में अपेक्षित है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात किया गया 50 प्रतिशत अनाज अमरीकी जहाजों में लाया जाये। शेष 50 प्रतिशत में भारतीय जहाजों का भाग इस प्रकार रहा है :

1964-65	1%
1965-66	.6%
1966-67	5%
1967-(8 महीने)	25%

इन सारे वर्षों के दौरान कपास के मामले में भारतीय जहाजों द्वारा 30 से 35% तक माल लाया गया था और तेल और चरबी 13 से 16% तक लाई गई थी ।

(ख) भारतीय जहाजों को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है और अपेक्षित स्थिति में भारतीय जहाज उपलब्ध न होने की हालत ही में विदेशी जहाज किराये पर किये जाते हैं।

चन्डीगढ़ का भविष्य

*655. **श्री देवेन्द्र सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ की समस्या के हल के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिये राष्ट्रपति परिषद् की स्थापना करने का है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) अभी तक ऐसा हल निकालना सम्भव नहीं हो सका है जो पंजाब और हरयाना दोनों सरकारों को स्वीकार हो। हरयाना में मध्यावधि चुनाव होने के पश्चात इस दिशा में फिर से प्रयत्न किये जायेंगे।

(ख) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Project for the use of Communications Satellite for Educational and Economic Development

*656. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri S. C. Besra :
Shri Mayavan :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether a five-member UNESCO team recently visited India to study the feasibility of starting a pilot project on the use of communications satellite for educational and economic development;

(b) if so, the details of talks held with them ; and

(c) the outcome thereof?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement is placed on the Table of the House.

Statement

During the discussions with the UNESCO Mission the feasibility of the project was examined from all aspects. The engineering and technological problems involved were also discussed. The UNESCO Team discussed how the satellite could serve the requirements of India in the field of information, education and mass communication geared to economic development. (Education and information were used in a broad sense including in and out of school education, adult education, education and information for promotion of agriculture, health and community development etc.) The definition of requirements in the promotion of telecommunication and broadcasting, and the utility of the satellite for extension of the existing programmes in the field of education and mass communication were also discussed.

The outcome of the Mission's visit will be known only after UNESCO takes a decision on the Mission's report which is yet under preparation. Only a feasibility study has been made and neither the Government of India nor UNESCO are committed to the project at this stage.

पश्चिम बंगाल में सरकारी सम्पत्ति को क्षति

*657. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री देवेन सेन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त मोर्चे की सरकार को हटा दिये जाने के बाद कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल के अन्य नगरों में हाल में हुई हिंसात्मक कार्यवाहियों में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई है; और

(ग) क्षतिग्रस्त सम्पत्ति को ठीक अवस्था में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठ

*658. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में पाकिस्तानियों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लगभग दो लाख घुसपैठिये अभी भी आसाम में हैं; और

(ग) यदि हां, तो अग्रेतर घुसपैठ को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं । जनवरी से अक्तूबर, 1967 के बीच केवल 1012 पाकिस्तानी आसाम में घुस आये थे । उन सबको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था ।

(ख) जी नहीं । उनकी संख्या लगभग 80,000 है ।

(ग) पाकिस्तानी घुसपैठियों का पता लगाने और घुसपैठ को रोकने के लिये समुचित उपाय किये गये हैं । उनमें सीमा चौकियों का मजबूत करना, उनकी संख्या बढ़ाना, गश्त को गहन करना, अतिरिक्त कर्मचारियों को रखना शामिल है ।

पश्चिम बंगाल में हिंसा

*659. **श्री सूपकार :**

श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में संयुक्त मोर्चे के कुछ नेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसा को उकसाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संयुक्त मोर्चे के नेताओं और संयुक्त मोर्चे के कई भूतपूर्व मंत्रियों ने सार्वजनिक सभाओं में कई बार हिंसा को प्रोत्साहन दिया है ।

(ख) सरकार सतर्क है और हाल ही में सभी राज्य सरकारों को एक पत्र जारी किया गया है जिसमें उनका ध्यान उनके सांवैधानिक कर्तव्यों की ओर आकृष्ट किया गया है ताकि संसद् द्वारा बनाये गये कानूनों और उस राज्य में लागू होने वाले कानूनों के पालन किये जाने को सुनिश्चित किया जा सके ।

शारदा उकिल स्कूल आफ आर्ट, नई दिल्ली के विद्यार्थियों की शिकायतें

*660. **श्री मधु लिमये** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली कालेज आफ आर्ट में प्रवेश के बारे में शारदा उकिल स्कूल आफ आर्ट के विद्यार्थियों की शिकायतों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि ये विद्यार्थी 13 नवम्बर, 1967 से हड़ताल पर हैं; और

(ग) यदि हां, तो विवाद को हल करने और विद्यार्थियों की शिकायतें दूर करने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

व्यावहारिक कला में इण्टरमीडियेट पाठ्यक्रम चालू करने के प्रश्न पर तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद द्वारा विचार किया जायेगा । तथापि एक अन्तरिम उपाय के रूप में प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी दिल्ली कालेज आफ आर्ट में दाखिले के लिए पात्र हैं ।

विद्यार्थियों की अन्य मांगों का सम्बन्ध फीस में कमी करने, सामग्री और मोडल देने, अध्यापकों की व्यवस्था, पुस्तकालय से पुस्तकों के दिये जाने, पहिचानपत्रों के दिये जाने और छात्र संघ को मान्यता देने से है ।

पुस्तकालय से पुस्तकें देने और पहिचानपत्र देने के सम्बन्ध में प्रबन्धकों ने विद्यार्थियों की मांगों को स्वीकार कर लिया है । प्रिंसिपल के परामर्श से औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद छात्र संस्था को मान्यता देने पर भी प्रबन्धकगण सहमत हो गये हैं ।

फीस में कमी करने के सम्बन्ध में प्रबन्धकों ने वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसको स्वीकार नहीं किया है । तथापि तिमाही की बजाय प्रतिमास फीस लेना स्वीकार कर लिया गया है ।

स्कूल अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मोडल और सामग्री विद्यार्थियों को उपलब्ध कराये जाते हैं परन्तु कुछ सामग्री स्वयं विद्यार्थियों द्वारा ही दी जाती है ।

साम्प्रदायिक झगड़े

3967. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1967 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों में कितने साम्प्रदायिक झगड़े हुए;

(ख) अल्प संख्यक सम्प्रदायों के कितने लोग (एक) मारे गये (दो) घायल हुए तथा (तीन) कितने व्यक्तियों की सम्पत्ति की हानि हुई;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ अफगान राष्ट्रिकों को भी जान और माल की क्षति पहुंची;

(घ) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और दण्ड दिया गया था; और

(ङ) क्या इन झगड़ों के शिकार व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया गया था और कितने अफगान राष्ट्रिकों को मुआवजा दिया गया था ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क), (ख) और (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-1977/67]**

(ग) जी, नहीं ।

(ङ) आन्ध्र और मध्यप्रदेश की सरकारों ने जानकारी दी है कि उन्होंने क्रमश: 20,000 रु० और 5,500 के अनुग्रहीत अनुदान दिये हैं । अन्य सरकारों से जानकारी प्राप्त की जा रही है । किसी अफगान राष्ट्रिक ने कोई मुआवजा प्राप्त नहीं किया ।

भारत के साम्यवादी दल (मार्क्सिस्ट) द्वारा नेपाली में पुस्तिका का जारी किया जाना

3968. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारत के साम्यवादी दल (मार्क्सिस्ट) द्वारा नेपाली में जारी की गई उस पुस्तिका की ओर दिलाया गया है जिसमें नक्सलबाड़ी के विप्लववादियों के बारे में यह बताया गया है, छोटे भू-स्वामियों की भूमि पर बलात् कब्जा करके उन्हें विप्लववादियों द्वारा जोतदारों में शामिल होने के लिये बाध्य कर दिया है; और

(ख) क्या इन छोटे भू-स्वामियों की सहायता करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 अगस्त, 1967 को जिला के मार्क्सवादी साम्यवादी दल ने नेपाली में एक पर्चा जारी किया था। उस पर्चे में नक्सलबाड़ी के किसान आन्दोलन की आलोचना की गई थी और यह भी कहा गया था कि छोटे भूमालिकों और बागानों में काम करने वाले मजदूरों की भूमि पर भी कब्जा कर लिया गया था।

(ख) जबरदस्ती कब्जा करने के सभी मामलों में राज्य सरकार ने आवश्यक कदम उठाये और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की।

प्रतियोगिता परीक्षायें

3969. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों में देहाती क्षेत्रों से आये उम्मीदवारों की संख्या क्या थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान लिखित परीक्षा को पास करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की संख्या क्या थी;

(ग) इस अवधि में साक्षात्कार में सफल हुए और इस प्रकार प्रतियोगिता में अर्हता-प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) उक्त अवधि में जिन अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को नौकरी दी गई थी उनकी संख्या क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उम्मीदवारों के साक्षात्कार में असफल रहने के कारणों की जांच कराई है; और

(च) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों के असफल रहने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर न तो सरकार द्वारा और न ही संघ लोक सेवा आयोग द्वारा,

उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में बैठने के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जाती है। उपलब्ध रिकार्ड से यह जानकारी प्राप्त करना भी सम्भव नहीं है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में पढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के छात्र

3970. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962 से लेकर अक्तूबर, 1967 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश से कितने छात्र और आगे अध्ययन के लिये विदेश गये;

(ख) ये छात्र किन-किन देशों में गये; और

(ग) उनके अध्ययन के विषय क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना केवल मार्च, 1967 तक उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी 1962-63 से 1966-67 तक की अवधि में बाहर गए उनका एक विवरण देशवार वितरण सम्बन्धी तथा दूसरा विषयवार वितरण सम्बन्धी सभा-पटल पर रखे जाते हैं [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-1978/67**]

केन्द्रीय स्कूल संगठन

3971. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 से लेकर आज तक केन्द्रीय स्कूल संगठन ने देश भर में राज्यवार, कितने स्कूल चालू किये गये हैं; और

(ख) इन स्कूलों में, राज्यवार, कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-1979/67**]

Free Travel Facility to Kashmir

3972. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to provide facility of free travel to Kashmir in order to strengthen the relations between Kashmir and other States;

(b) if so, how the expense of this free travel facility would be borne by the Centre and the Government of Jammu and Kashmir ; and

(c) the number of persons State-wise to whom this facility will be provided ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Does not arise.

विमान चलाने वाले कर्मचारियों के लिये होटलों में रहने की व्यवस्था

3973. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न नगरों में कितने और कौन-कौन से होटल हैं, जिनमें एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चलाने वाले कर्मचारियों को रात को ठहरने के लिये स्थान दिया जाता है और उनका वहां रहने का होटलवार तथा नगरवार प्रतिदिन और प्रति व्यक्ति कितना खर्च होता है;

(ख) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रत्येक होटल को एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने कितनी-कितनी धनराशि के बिलों का भुगतान किया और उन होटलों के नाम क्या हैं तथा उक्त वर्ष में प्रत्येक होटल में कितने-कितने विमान चलाने वाले कर्मचारियों को स्थान दिया गया था; और

(ग) मितव्ययिता के विचार से विमान चलाने वाले कर्मचारियों के सरकारी होटलों में रहने की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

होटल उद्योग को ऋण

3974. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दस वर्षों में सरकार ने होटलों को कितनी धनराशि के ऋण और गारन्टी दी तथा उन होटलों के क्या नाम हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : फिलहाल होटल स्थापित करने के लिए निजी उद्योग चालकों को वित्तीय सहायता इंडस्ट्रियल फाइनैंस कारपोरेशन या स्टेट फाइनैंस कारपोरेशनों के द्वारा उपलब्ध होती है, सीधे सरकार से नहीं ।

परन्तु, होटल डेवलेपमेण्ट लोन फण्ड से ऋण देने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं । ऋण देने की शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

एयर सिकनेस बैग

3975. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1962 को समाप्त हुए गत पांच वर्षों में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने पृथक-पृथक प्रति वर्ष कितने मूल्य के और कितने 'एयर सिकनेस बैग'

विमान यात्रा जन्य अस्वस्थता के समय उपयोग में आने वाली थैलियां खरीदीं; और

(ख) प्रत्येक बैग का औसत मूल्य और सप्लाई करने वालों के नाम क्या हैं तथा प्रति वर्ष प्रत्येक ने कितने मूल्य के और कितने बैग सप्लाई किये तथा ये ठेके किस ढंग से दिये गये थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1980/67**]

Allocation from Central Road Fund for Maharashtra

3976. **Shri Deorao Patil**: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the total amount allocated by Government to the Maharashtra State under the head 'Central Road Fund' in the Third Five Year Plan;

(b) the actual amount paid so far;

(c) whether the Maharashtra Government have requested the Central Government to release the remaining amount; and

(d) if so, the action taken in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) Rs. 167.09 lakhs.

(b) Rs. 261.02 lakhs during the Third Plan period. This includes amount paid for expenditure on carry-over works from the Second Plan period also.

(c) and (d). No specific requests have been received in this regard. But the State Government's demand, from time to time, has been in excess of what has actually been paid to them. It has not been possible to meet the demand in full, in view of the financial stringency and the inadequacy of the provision made in the budget in each year.

शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा रक्षा नौकाओं की खरीद

3977. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया ने ऐसे तीन जहाजों के लिये क्रयादेश दिये हैं जिनमें देश में बनी इस्पात की रक्षा नौकाओं की अपेक्षा अल्यूमीनियम फाइबरग्लास की रक्षा नौकाओं का प्रयोग करने का विचार है;

(ख) क्या देश में बनी इस्पात की रक्षा नौकाएं आयातित नौकाओं का स्थान ले सकती हैं और कानूनी आवश्यकताएं पूरी कर सकती हैं;

(ग) यदि हां, तो इस्पात की रक्षा नौकाओं के भारतीय निर्माताओं, जिन्होंने भारतीय पूंजी लगा रखी है तथा भारतीय मजदूर नियुक्त कर रखे हैं, की सहायता करने के क्या कारण हैं क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी; और

(घ) अल्यूमीनियम फाइबरग्लास की तथा इस्पात की रक्षा नौकाओं की कुल आवश्यकता को पूरा करने में अलग-अलग कितना खर्च आयेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) भारतीय नौवहन निगम ने बताया है कि वाई काऊंट 168-170 तीन जहाजों के लिये, जिनके लिये जहाज निर्माण कारखाने को क्रयादेश दिये गये हैं, उसे फाइबरग्लास/एल्यूमीनियम नौकाओं की आवश्यकता होगी ।

(ख) और (ग). परिवहन निगम ने इन नौकाओं को इस्पात की नौकाओं के मुकाबले में तरजीह दी है क्योंकि इस्पात की नौका की संधारण लागत इनकी अपेक्षा अधिक है क्योंकि वे बिना मरम्मत के 10 से 12 वर्ष तक चलती हैं । उन्होंने यह भी कहा है कि उन नौकाओं को देश में बनाने की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिये ।

तथापि, इन तीन जहाजों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में मामला अभी शिपयार्ड और भारतीय परिवहन निगम के बीच विचाराधीन है । मामला सरकार के भी विचाराधीन है ।

(घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात में प्राचीन स्मारक

3978. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में प्राचीन स्मारक उपेक्षापूर्ण स्थिति में है;

(ख) क्या यह सच है कि पुरातत्वीय विभाग का ध्यान वहां के स्मारकों की उपेक्षित हालत की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). स्मारकों की मरम्मतों के लिए समय-समय पर भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण से प्रार्थनाएं की गई हैं और सर्वेक्षण द्वारा प्राथमिकता और राशि की उपलब्धता के अनुसार तात्कालिक मरम्मतें कराई गई थीं । 1962-63 से 1166-67 तक पांच वर्ष की अवधि में इन स्मारकों पर 5,97,765/- रुपये खर्च किए गए हैं । 1967-68 वर्ष के दौरान लगभग 38,000/- रुपये खर्च किए जाने की सम्भावना है ।

बड़ौदा में स्मारक

3979. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के बड़ौदा जिले में अब तक कितने प्राचीन मन्दिरों और मस्जिदों की

मरम्मत की जा चुकी है;

(ख) उनकी मरम्मत पर क्या खर्च हुआ;

(ग) क्या अभी भी कुछ ऐसे प्राचीन मन्दिर और मस्जिद हैं जिनको मरम्मत की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) बड़ौदा जिले के जिन 11 प्राचीन स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है उनमें कोई मन्दिर या मस्जिद नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमा सड़कें

3980. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात की सीमाओं पर सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण का कार्य राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है जिसके फलस्वरूप सड़कों के निर्माण कार्य की गति बहुत धीमी और मन्द है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन सड़कों का निर्माण कार्य प्रतिरक्षा मंत्रालय को सौंपने का है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां। गुजरात राज्य में सीमावर्ती सड़कों का निर्माण-कार्य राज्य के लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है, परन्तु इसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्य शिथिल नहीं पड़ा है।

(ख) कार्य राज्य के लोक निर्माण विभाग को सामान्य रीति के अनुसार सौंपे गये हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

नर्मदा नदी पर पुल

3981. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भड़ौंच के पास नर्मदा नदी पर एक नया सड़क पुल बनाने के लिये किसी योजना को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस काम को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). जी हां। जादेस्तर के निकट नर्मदा नदी पर एक सड़क का पुल बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। पुल के लिये 362.3 लाख रु० का एक अनुमान हाल ही में गुजरात सरकार से प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है।

New Airports in Rajasthan

3982 **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that new airports are proposed to be built in Rajasthan during the next Five Year Plan ;

(b) if so, the names of places at which they are proposed to be built ;

(c) whether Sawai Madhopur is also one of these places ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c). There are three aerodromes under the control of the Civil Aviation Department in Rajasthan, viz., Jaipur, Kotah and Udaipur. There is no proposal to build a new aerodrome in Rajasthan during the Fourth Plan.

(d) The Indian Airlines Corporation do not plan to operate through Sawai Madhopur in the near future. There is also no other requirement of Civil Aviation for an aerodrome at Sawai Madhopur.

शिक्षा के माध्यम के बारे में ज्ञापन

3983. **श्री किरुतिनन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल स्तर पर भाषा के अध्ययन के बारे में थमियहागा आरासू (मद्रास सरकार) के शिक्षा विभाग से सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) स्कूल स्तर पर भाषा सिखाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई नया निर्णय नहीं किया गया है।

मदुरै धनुष-कोडी राजपथ को मिलाने वाली सड़क

3984. **श्री किरुतिनन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदुरै-धनुष कोडी राष्ट्रीय राजपथों को मिलाने वाली सड़कों का निर्माण करने के लिये मद्रास राज्य के रामनद जिले में मान मदुरै और पर्थिहानूर के निकट भूमि अर्जित की गई है;

(ख) क्या भूमि को अर्जित करने की कार्यवाही पूरी हो चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) अपेक्षित निधियां उपलब्ध होने पर कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

मद्रास राज्य में पमबन पर पुल

3985. **श्री किरुतिनन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में पमबन पर सड़क तथा रेल पुल बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार ने राज्य सरकार को कोई निदेश जारी किया है; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस स्थिति में है और इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश

3986. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा उच्च न्यायालय के विचार से वहां पर इस समय कार्य कर रहे न्यायाधीशों की संख्या अपर्याप्त है; और

(ख) क्या मामलों की बढ़ती हुई संख्या और अनिर्णीत मामलों के अतिरिक्त भारी संख्या में चुनाव सम्बन्धी विचाराधीन मामलों को देखते हुए सरकार का विचार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक और स्थायी न्यायाधीश के पद को बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

कांडला पत्तन

3987. **श्री त० रा० परमार** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि कांडला पत्तन के निर्माण कार्य में आरम्भ

से लेकर काम पूरा हो जाने तक जो मजदूर काम पर लगाये गये थे, वे अधिकतर पश्चिम पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित हरिजन थे;

(ख) क्या यह सच है कि पत्तन का निर्माण-कार्य पूरा हो जाने के बाद इन मजदूरों को कोई और काम नहीं दिया जा रहा है और इस कारण अब वे बिना रोजगार के हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें पत्तन के श्रम सम्बन्धी कार्यों में काम दिलाने का है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). कांडला में बड़ा पत्तन कार्य ठेकेदारों द्वारा कराया गया था। इन ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाये गये श्रमिकों में पश्चिम पाकिस्तान के हरिजन भी थे। 1961 में कार्य समापन के पश्चात् ठेकेदारों ने धीरे-धीरे अपने मजदूरों को हटा दिया जिनमें हरिजन भी शामिल थे। कांडला पत्तन न्यास इस समय विभागीय रूप से किसी बड़े निर्माण-कार्य को आरम्भ नहीं कर रहा है। तथापि, लगभग 1900 हरिजन श्रमिक, जो कांडला पत्तन न्यास सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा रखे गये थे, गोदी क्षेत्र में इस समय विभिन्न पत्तन कार्यों पर लगाये गये हैं। इस समय नियमित पत्तन कार्यों के लिये अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली के स्कूल में भूगोल

3988. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दिल्ली प्रशासन के अधीन उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में भूगोल को अध्ययन के एक विषय के रूप में लेने की अनुमति नहीं दी जाती; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में राजनीतिक पीड़ित व्यक्ति

3989. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पंखा कालोनी तथा कुछ अन्य कालोनियों में राजनैतिक पीड़ित व्यक्तियों के लिये कुछ प्लाटों की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या राजनैतिक पीड़ित व्यक्तियों के लिये ये प्लाट नीलाम भी किये जाते हैं अथवा एलाट किये जाते हैं;

(घ) विभिन्न कालोनियों में राजनैतिक पीड़ित कितने व्यक्तियों को प्लाट दिये गये हैं;

(ङ) क्या राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों से इसके लिए आवेदन-पत्र मांगे गये हैं; और

(च) यदि नहीं, तो आवेदन-पत्र कब मांगे जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). निम्न आय वर्ग के लोगों को लॉट द्वारा निश्चित दरों पर 200 गज के रिहायसी प्लाट अलाट करने की दिल्ली विकास प्राधिकार की योजना में कुछ प्लाट उन राजनीतिक पीड़ितों के लिये रक्षित किये गये हैं, जो निहित शर्तों को पूरा करते हैं। इस योजना के अन्तर्गत एक राजनीतिक पीड़ित को एक प्लाट आवंटित किया गया है।

(ङ) जी हां।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन असेम्बली आफ यूथ

3990. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० गोपालन : **श्री उमानाथ :**
श्री चक्रपाणि : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि इंडियन असेम्बली आफ यूथ (युवकों की भारतीय सभा) की कार्य-पालिका की कुछ बैठकें पश्चिम जर्मनी के एक अधिकारी के निवास-स्थान पर हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की बैठकें हुई थीं और इन बैठकों में किन विषयों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) इस संगठन में विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) 11 तारीख के "पैट्रियट" में प्रकाशित इस आशय के एक समाचार को सरकार ने देखा है।

(ख) पूछताछ की जा रही है।

(ग) चुनावों में विदेशी निधियों के प्रयोग का सामान्य प्रश्न विचाराधीन है।

चीनी राजनयिकों का जालंधर जाना

3991. **श्री राम किशन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सितम्बर, 1967 में चीनी दूतावास के कुछ उच्च पदाधिकारी जालन्धर गये थे;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या चीनी राजनयिकों के जालन्धर जाने के कारणों और प्रयोजन के बारे में पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि सितम्बर, 1967 के दौरान चीनी दूतावास के एक उच्च अधिकारी ने जालन्धर का दौरा किया ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

पुलिस द्वारा जयपुर में गोली चलाया जाना

3992. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस कानून के अन्तर्गत तथा किन परिस्थितियों में एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य द्वारा बुलाया जा सकता है;

(ख) क्या यह आवश्यक है कि एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य से पुलिस बुलाने की प्रार्थना केन्द्रीय सरकार के माध्यम से की जानी चाहिये;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से पुलिस भेजने के बारे में राजस्थान की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को किस तारीख तथा किस समय प्रार्थना की थी;

(घ) यदि इस प्रकार की प्रार्थना केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुई थी तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाई की थी और किस तारीख को तथा कब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों को पुलिस बुला भेजने के लिये कहा गया था;

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार को इस प्रकार जारी किया गया आदेश क्या है; और

(च) क्या इस प्रकार के आदेश की प्रतिलिपि, यदि कोई है तो, सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विधि तथा व्यवस्था की गड़बड़ी की हालत में, पुलिस अधिनियम, 1888 के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई भी राज्य दूसरे राज्य से पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकता है ।

(ख) किसी भी राज्य के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह भारत सरकार के माध्यम से दूसरे राज्य से पुलिस सहायता प्राप्त करे ।

(ग) से (च). विधि तथा व्यवस्था की स्थिति के अचानक खराब होने की हालत में राजस्थान सरकार ने 4 और 6 मार्च, 1967 को टेलीफोन पर सशस्त्र पुलिस सहायता के लिये

अनुरोध किया था। जयपुर को सशस्त्र पुलिस भेजने के लिये तुरन्त प्रबन्ध किये गये थे। आवश्यक सहायता देने के लिये राजस्थान सरकार की प्रार्थना उत्तर प्रदेश और मध्य-प्रदेश सरकारों को भेज दी गई थी। कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किये गये थे।

सी० आई० ए० की निधियां

3993. **श्री कृष्णमूर्ति :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न एजेन्सियों द्वारा पेश की गई लगभग उन 30 परियोजनाओं को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है जो सी० आई० ए० की निधियों की सहायता से चल रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). निदेशक, नामग्याल इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नालोजी, गंटोक को निमन्त्रित करने के फ्रैंड्ज आफ इन्डिया कमेटी, अमरीका के एक प्रस्ताव सम्बन्धी एक मामले में सरकार ने स्वीकृति नहीं दी है। इसके अतिरिक्त एशिया फाउंडेशन द्वारा दिये गये 36 प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

अध्यापकों की उपलब्धियां

3994. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार करने के लिए 1967 में राज्यों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Reorientation of Education System

3995 **Shri Mharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been formulated for the purpose of providing good education to all the students—male and female—which may provide for the ever-changing techniques of production within the country and abroad and remove absolute ignorance in every sphere of national life in respect of modern technical know-how available in various countries ; and

(b) the changes to be brought in the present system of education and when ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) The Education Commission which was appointed by Government to advise on "the general principles and policies for the development of education at all stages and in all aspects" has made several recommendations

on this subject and suggested a programme of action spread over about 20 years. These are now under the consideration of Government.

Appointment of Teachers in the Delhi Municipal Corporation

3996 **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the enquiry which was being conducted by the Central Bureau of Investigation into the appointment of 250 extra Teachers in 1962-63 by the Delhi Municipal Corporation has been completed ; and

(b) if so, the findings thereof and the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad). (a) No such enquiry has been conducted by the Central Bureau of Investigation.

(b) Does not arise.

ललितकला अकादमी

3997. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री राममूर्ति : **श्री प० गोपालन :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 सितम्बर, 1967 के अंग्रेजी के एक स्थानीय दैनिक पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ललितकला अकादमी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने कोई जांच करने के आदेश दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). मामले की जांच की जा चुकी है। सितम्बर, 1967 के समाचारपत्रों में छपी सूचना का आधार ललितकला अकादमी के अध्यक्ष द्वारा दिया गया एक बयान बताया गया है। बाद में उन्होंने उस बयान को ठीक करने वाला एक वक्तव्य जारी किया था जिसमें 'अकादमी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार' के उनके नाम से जारी किये गये बयान का उन्होंने खण्डन किया है। अत: सरकार द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी।

Conversions to Christianity in Raipur

3998. **Shri Shri Chand Goel:** **Shri A. B. Vajpayee:**
Shri Sharda Nand: **Shri R. S. Vidyarthi:**
Shri N. S. Sharma:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the activities of a Rickshaw Company by the name of D. R. D. S. at Raipur in converting people to Christianity through inducements;

(b) whether it is a fact that about 150 poor families of Orissa have been converted by them in this manner; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) There is no such Rickshaw Company at Raipur.

(b) No instance of such conversion has come to the notice of the State Government.

(c) Does not arise.

ईसा मसीह के दफनाये जाने के बारे में विवाद

3999. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सर मुहम्मद जफरुल्ला खां के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि ईसा मसीह की मृत्यु 'क्रास' पर नहीं हुई थी परन्तु वह बाद में काश्मीर में आये थे और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें काश्मीर में दफनाया गया था और युजासिफ पीर का जो मकबरा है, वह वास्तव में ईसा मसीह का ही मकबरा है ; और

(ख) क्या सर मुहम्मद जफरुल्ला खां के वक्तव्य के अनुसार कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). जी हां, किन्तु कश्मीर में जिसस क्राइस्ट के शवाधान के सिद्धान्त के समर्थन में किसी प्रकार का पुरातत्वीय साक्ष्य नहीं है ।

Gandhi Harijan Vidyalaya, Madangir, New Delhi

4000. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether a Member of Parliament had complained about the embezzlement of thousands of rupeess in the Gandhi Harijan Vidyalya, Madangri (New Delhi) as referred to in Ministry of Education letter No. F. 47-78/65. BSE. 5, dated the 2nd February, 1965 ; and

(b) if so, the results of the investigation held by Government in this case and the nature of the legal and disciplinary action taken against the guilty persons?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Yes, Sir. This Ministry's letter No. F. 47-78/64. BSE. 5, dated 2-2-1965 refers.

(b) The matter is under consideration of the Standing Committee of the Delhi Municipal Corporation.

Engineering Colleges in J and K

4001. **Shri O. P. Tyagi**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the students of Engineering Colleges in Kashmir have started an agitation regarding their graduation degrees; and

(b) if so, their main demands and the decision proposed to be taken by Government in regard to their demands?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) No, Sir.

(b) Does not arise

राजनैतिक दलों द्वारा बनाई गई सेनाएं

4002. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम किशन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि कुछ राजनैतिक दल अपनी सेनाएं बना रहे हैं और ऐसे कार्य कर रहे हैं जो आमतौर पर पुलिस करती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) कुछ राजनीतिक दलों द्वारा निजी सेनाएं बनाने के समाचार सरकार ने देखे हैं ।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों से प्राप्त समाचारों के अनुसार आसाम और केरल में कुछ राजनीतिक दलों ने स्वयं सेवी कोर संगठित की हैं । तथापि, ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ये स्वयं सेवक पुलिस के कृत्य हड़प रहे हैं ।

Pro-China Farmers' Association in West Bengal

4003. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have received any report from the West Bengal Government that some pro-China elements, who have organised a Farmer's Association, are openly instigating the people to reap the paddy harvest forcibly;

(b) whether it is also a fact that a party named 'Gandara Party' has been formed in Ghazipur to carry on the violent movement in Uttar Pradesh similar to that of Naxalbari; and

(c) if so, the action taken by Government to suppress such elements in the country so that this unlawful movement may not spread all over the country?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) According to the information received from the Government of West Bengal the extremist group of the CPI (M) who organised Naxalbari Krishak Sangram Sahayak Samiti are instigating the people to reap the paddy crop, forcibly. No organisation styled 'Farmers Association' has come to notice.

(b) In Ghazipur (Uttar Pradesh), a youth organisation known as Gandasa Party' subsequently renamed as 'Navjivan Morcha' is reported to have been formed in October, 1967. The object of the party is to wage a violent struggle against the existing order of society and for providing relief to the exploited.

(c) The Government of West Bengal have taken preventive action under the Preventive Detention Act and other specific provisions of law. The Government of Uttar Pradesh are maintaining a close watch on the activities of the 'Navjivan Morcha'.

Financial Assistance to Freedom Fighters

4004. **Shri R. K. Sinha:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have extended financial assistance to the families of persons who were punished under the Terrorist Suppression Act during the period from 1931 to 1941 by Government of Bengal; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). If the Hon'ble Member could give the names and other details of the members of the families concerned, Government would be in a position to say whether any financial assistance has been given to them.

Expenditure on Sports

4005. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the amount spent on sports by the Central Government during the last two years;

(b) the amount out of the total allocations spent on foreign visits in connection with sports;

(c) the amount spent on foreign games in the country;

(d) the amount spent on indigenous games; and

(e) whether Government have not been paying attention towards the indigenous games such as, Kabaddi, Malyuddha, Gullidanda, race etc.?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad):

(a) Rs. 53,59,021

(b) Rs. 9,71,554

(c) Foreign games—Rs. 46,83,738

(d) Rs. 30,124

These figures do not include an expenditure of Rs. 6,45,159 which cannot be exclusively classified under either category.

(e) No Sir.

जम्मू और काश्मीर राज्य में सम्पत्ति की खरीद

4006. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य के नागरिक को शेष भारत में सम्पत्ति खरीदने तथा वहां पर बसने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों के नागरिकों को पारस्परिक आधार पर जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सम्पत्ति अर्जित करने तथा वहां पर बसने की अनुमति है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). संविधान में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है जो जम्मू तथा काश्मीर के निवासियों को देश के किसी भाग में सम्पत्ति खरीदने पर रोक लगाता है। संविधान के अनुच्छेद 35-क के अन्तर्गत जम्मू तथा काश्मीर राज्य अपने स्थायी निवासियों को विशेषाधिकार दे सकता है या अन्य व्यक्तियों पर राज्य में सम्पत्ति खरीदने पर प्रतिबन्ध लगा सकता है। स्थायी निवासियों के हित में, वहां स्थायी रूप से न रहने वाले व्यक्तियों पर परम्परागत प्रतिबन्ध चले आ रहे हैं।

Defamation Cases

4008. **Shri R. S. Vidyarthi:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of gazetted and non-gazetted Central Government employees including police officers and other persons involved in defamation cases from 1966 up-to-date State-wise; and

(b) the number of persons convicted and the amount of fine imposed on them?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Ban on Judges to Accept Government Employment

4009. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Law Commission has recommended a ban on Judges on starting of their own practice or accepting Government employment after retirement on the ground that the prospects of future employment can affect their impartiality in regard to Government on rich persons' cases; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) Yes, Sir. The Law Commission were of the view that with the raising of the age of retirement of High Court Judges to 65 years and increased pensions as recommended by them, it should not cause any hardship

to retired High Court Judges if a total ban was imposed on their practice after retirement or on their accepting any employment under Government after retirement other than as a Judge of the Supreme Court.

(b) The recommendations of the Law Commission were carefully considered by Government, but could not be accepted.

अमरीका के गुप्तचर विभाग के एक विशेषज्ञ का भारत आना

4010. **श्री म० सुदर्शनम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में गुप्त सूचना प्राप्त करने के उन्नत तरीकों के बारे में सरकार को परामर्श देने के लिये हाल ही में कोई अमरीकी विशेषज्ञ भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या थीं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Search for Arms in Ranchi

4011. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he and the Minister of Industrial Development and Company Affairs were present in Ranchi at the time of riots and that the search for arms in mosques by the army authorities was stopped at their instance ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) No, Sir. Neither was any search of mosques made by the Army authorities nor was there hence any occasion to stop it.

Interviews by U. P. S. C.

4012. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the media of language which will be used in the interviews by the Union Public Service Commission after the adoption of the regional languages by different States ; and

(b) whether the present members are capable of interviewing candidates in all the regional languages and if not, whether the help of Interpreters would be sought ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) The scheme of examinations, after all languages mentioned in the Eighth Schedule are introduced as alternative media, is still being evolved by the Union Public Service Commission. It is therefore not possible, at this stage, to state anything definite in the matter.

नौकरी प्रधान योजना

4013. **श्री मरण्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक ऐसी नौकरी प्रधान योजना पर विचार कर रही है जो युवकों की, अध्ययन पूरा करने के बाद वृत्ति ढूंढने में सहायता करने के लिये बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या यह योजना देश भर में क्रियान्वित की जायेगी ; और

(घ) इसके कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). भारत सरकार पहले से ही एक योजना चला रही है जिसके अन्तर्गत मार्गदर्शन सलाहकार और कैरियर मास्टरों को प्रशिक्षण देने के लिये राज्यों में शैक्षिक तथा व्यवसायी मार्गदर्शन विभाग स्थापित किये गये हैं जो कि स्कूलों में विद्यार्थियों को व्यवसाय चुनने में सहायता देंगे। देश के विभिन्न भागों में स्थापित किये गये बहुप्रयोजनीय स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कनिष्ठ तकनीकी स्कूल भी उपयुक्त कार्यों के लिये प्रशिक्षण देते हैं।

भारतीय क्रांति सम्बन्धी पुस्तक

4014. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व अविभाजित पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया था कि श्री सेन द्वारा लिखित '1857 में भारतीय क्रान्ति' में से राव तुलाराम से सम्बन्धित कुछ अंशों को निकाल दिया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भूतपूर्व पंजाब सरकार को किस प्रकार का उत्तर भेजा गया है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप

4015. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चौधरी देवी लाल से कोई ज्ञापन-पत्र मिला है जिसमें हरियाना के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, राव वीरेन्द्र सिंह के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो लगाये गये आरोपों का ब्योरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) राव वीरेन्द्र सिंह के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाने सम्बन्धी कोई ज्ञापन-पत्र चौधरी देवी दयाल से सरकार को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेता जी सुभाष चन्द्र बोस

4016. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वाराणसी से प्रकाशित होने वाले हिन्दी दैनिक समाचारपत्र 'सन्मार्ग' में अक्तूबर, 1967 में प्रकाशित हुए उस समाचार की जानकारी है, जिसमें बताया गया है कि 10 अक्तूबर, 1967 को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चार घन्टे से अधिक समय तक वाराणसी में ठहरे थे और गृह-कार्य मंत्री ने गढ़वाल पहाड़ी क्षेत्र में ऊखीमठ में उनसे भेंट की थी ;

(ख) क्या सरकार ने इस समाचार के सूत्रों के बारे में पता लगाया है ;

(ग) क्या गृह-कार्य मंत्री ने ऊखीमठ में किसी सन्यासी से भेंट की थी ;

(घ) यदि हां, तो वह सन्यासी कौन है और उस सन्यासी से उन्होंने किस कारण भेंट की थी ; और

(ङ) क्या 'सन्मार्ग' में नेताजी के वाराणसी में ठहरने के सम्बन्ध में प्रकाशित हुए समाचार की सत्यता के सम्बन्ध में सरकार कोई जांच करेगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ङ). सरकार का ध्यान 27 अक्तूबर, 1967 के हिन्दी दैनिक 'सन्मार्ग' के बनारस संस्करण में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है—केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री उत्तर काशी के अपने दौरे के दौरान ऊखीमठ में किसी सन्यासी को नहीं मिले, न ही किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से मिले हैं जो अपने आपको नेताजी सुभाष चन्द्र बोस कहता हो । राज्य सरकार ने इस मामले में जांच की है ।

हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया जाना

4017. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री हेमराज : **श्री श्रीचन्द गोयल** :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकार को एक संकल्प भेजा है जिसमें यह मांग की गई है कि हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षत्र को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाय ;

(ख) क्या इस संघ राज्य क्षेत्र को पूर्णराज्य का दर्जा देने के लिये इसकी जनता बराबर मांग करती रही है जिसके बिना, उनके अनुसार इस क्षेत्र का आर्थिक अथवा राजनैतिक विकास नहीं हो सकता ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) ऐसा कोई संकल्प नहीं मिला है।

(ख) हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने की मांग समय-समय पर की जाती रही है।

(ग) सरकार का इस संघ राज्यक्षेत्र का वर्तमान दर्जा बदलने का अभी कोई विचार नहीं है।

काशी विद्यापीठ के कुलपति को पारिश्रमिक

4018. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काशी विद्यापीठ के कुलपति को प्रति मास 4,000 रुपये पारिश्रमिक के रूप में मिल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस हैसियत में ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय किसी अन्य विश्वविद्यालय/काशी विद्यापीठ के उपनियमों में कुलपतियों को ऐसा पारिश्रमिक दिये जाने का कोई उपबन्ध नहीं है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) . काशी विद्यापीठ ने सूचना दी है कि वर्तमान कुलपति द्वारा विद्यापीठ के लिये की गई सेवाओं के कारण, न कि कुलपति की हैसियत से, 1,500 रुपये प्रतिमास मानदेय, 400 रुपये प्रतिमास कार भत्ता, बिना किराये के सुसज्जित निवासस्थान और मुफ्त चिकित्सा दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा अनुदान के लिये ऐसी राशि देने की मन्जूरी नहीं है।

(ग) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है न ही काशी विद्यापीठ के उपनियमों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है।

सेंट्रल हिन्दू स्कूल, वाराणसी

4019. **श्री सरजू पान्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री 28 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3849 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी के सेंट्रल हिन्दू स्कूल के कतिपय शिक्षकों के वेतनमानों का, जैसी कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने सिफारिश की है संशोधन कर दिया गया है ;

(ख) उक्त लाभ के पात्र शिक्षकों की सूची के लिये क्या शर्तें रखी गई थीं ;

(ग) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने सेंट्रल हिन्दू स्कूल के शिक्षकों को उच्च वेतनमान देने के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षकों को उच्च वेतनमान देने के बारे में निश्चित हिदायतें देने के बारे में विचार कर रहा हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे लड़कों तथा लड़कियों के सेंट्रल हिन्दू स्कूल के अध्यापकों के वेतनमानों में 1.4.1964 से परिवर्तन किया गया है । परन्तु विश्वविद्यालय कुछ वरिष्ठ अध्यापकों, जिनको लम्बा अनुभव है परन्तु जिन्हें स्नातकोत्तर वेतनक्रम देने के लिये निर्धारित योग्यतायें नहीं हैं के दावों पर विचार कर रहा है ।

(ख) परिवर्तित स्नातकोत्तर वेतनक्रम का पात्र होने के लिये अध्यापक के पास सम्बन्धित विषय में एम० ए० की डिग्री होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त अध्यापन के लिये विश्वविद्यालय की डिग्री / डिप्लोमा और विषय पढ़ाने का पर्याप्त अनुभव विज्ञान के अध्यापकों के लिये वांछनीय और अन्य अध्यापकों के लिये आवश्यक है ।

(ग) अपने कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करने के लिये बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अध्यादेश हैं । परिवर्तित वेतनक्रम में वेतन निर्धारित करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र इस विश्वविद्यालय ने स्वीकार कर लिया है ।

(घ) जी नहीं ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1951 तथा 1965

4020. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि भारत के कुछ मुस्लिम नेता विदेशों से वित्तीय सहायता लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे ऐसा एडवोकेट तय किया जाये जो 1951 तथा 1965 के अलीगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियमों की विधिमान्यता के विरुद्ध मुकदमा लड़े ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कार्यकलापों को रोकने के लिये उन्होंने कोई कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

न्यायपालिका के बारे में केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

4021. **श्री समर गुह :**
श्री क० लकप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान केरल के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने यह कहा है कि भारत में न्यायाधीश निर्णय देते समय वर्ग-भावना से ऊपर नहीं होते ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सरकार को इस सम्बन्धी समाचारों के बारे में पता लगा है ।

(ख) राज्य सरकार ने हमें सूचना दी है कि मुख्य मंत्री के विरुद्ध न्यायालय के अवमान की कार्यवाही केरल उच्च न्यायालय में निलम्बित है ।

C. I. A. Money for Indian Newspapers

4022. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5348 on the 12th July, 1967 and state the extent of progress since made in the inquiry being conducted regarding the receipt of money by the Indian newspapers from the Central Intelligence Agency of U. S. A. ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : The report is still under consideration.

Churches of Goa

4023. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that churches in Goa are stiil under the control of Portugal;

(b) whether it is also a fact that sometime back a clergyman of Chinchorim protested against this control which was opposed by the clergymen of other churches of the State ; and

(c) if so, whether any party exchanged correspondence with the Central Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Government are not aware of any such incident.

(c) Does not arise.

दिल्ली में बिक्री कर प्रणाली

4025. **श्री मयाबन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली की बिक्री कर प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने के सुझाव केन्द्रीय सरकार को भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इसके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Memorial in Memory of Martyrs

4026. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to raise a memorial in Delhi in the memory of those martyrs who laid down their lives between 1857 and 1947 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether any memorial of such kind is proposed to be raised near the historic Red Fort ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) to (c). The Government have decided to erect a Martyrs' Memorial on the Red Fort precincts to perpetuate the memory of those who fell for the freedom of India. The work has been entrusted to Shri Roy Chowdhury, the well-known sculptor. According to the agreement executed between the Government and Shri Chowdhury, the sculpture would consist of 11 or 12 figures led by Mahatma Gandhi. The figures will be of double life size and in bronze. The memorial is estimated to cost Rs. 9 lakhs, and the work expected to be completed within a period of about 6 years.

जम्मू तथा काश्मीर राज्य को ऋण तथा राजसहायता

4027. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1947 से जम्मू तथा काश्मीर राज्य को प्रतिवर्ष ब्याज सहित कितना ऋण दिया गया ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अब तक कितना ऋण लौटाया गया है और 31 मार्च, 1967 को ब्याज सहित कितना ऋण बकाया था ; और

(ग) 1947 से मार्च 1967 तक उस राज्य को कितनी तथा क्या राजसहायता दी गई ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1981/67**]

(ग) वित्त आयोग के पंचाट के अर्न्तगत संविहित सहायतानुदान, पुनर्वास अनुदान और योजना सहायता, जम्मू तथा काश्मीर मिलीशिया और पुलिस के लिये अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार को खाद्यान्न लाने ले जाने और परिवहन पर व्यय सहित, 13·83 करोड़ की खाद्यान्न के लिये अर्थ-सहायता भी दी गई थी।

बाल भवन, नई दिल्ली में बाल रेलगाड़ी की दुर्घटना

4028. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 नवम्बर, 1967 को बाल भवन, नई दिल्ली में बाल रेलगाड़ी की दुर्घटना हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना में यदि कोई व्यक्ति हताहत हुआ है तो हताहतों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इस दुर्घटना के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां, केवल गाड़ी का इंजन पटरी से उतरा था।

(ख) कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ था।

(ग) उत्तर रेलवे अधिकारियों की सहायता से तुरन्त जांच की गई थी और प्रतिवेदन में की गई सिफारिश पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

मनीपुर से बिक्री कर का वसूल किया जाना

4029. **श्री मेघ चन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966-67 और 1967-68 में आज तक मनीपुर से कुल कितना विक्री-कर वसूल किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : पूछी गई जानकारी इस प्रकार है :

वर्ष	राशि
1966-67	19,17,807 रुपये
1967-68 (31 अक्तूबर, 1967 तक)	12,76,942 रुपये

सैक्शन आफिसरों की वरिष्ठता में संशोधन

4030. **श्री राम चरण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सैक्शन आफिसरों की वरिष्ठता के बारे में दिसम्बर, 1957, में दिये गये आश्वासनों को ध्यान में न रखते हुए 1 नवम्बर, 1957 को तथा 1 मई, 1958 को ग्रेड-2 में पदोन्नत किये गये सैक्शन आफिसरों की वरिष्ठता में 25 अगस्त, 1967 को परिवर्तन किया है;

(ख) क्या वरिष्ठता में यह परिवर्तन केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के नियम 18 (1) के अनुकूल है;

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग और विधि मंत्रालय ने अब निर्धारित की गई पुनरीक्षित वरिष्ठता को विशिष्ठ रूप से स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग). का उत्तर नकारात्मक हो, तो इतने अधिक समय बाद वरिष्ठता में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं और क्या इस बारे में सरकार का पुनर्विचार करने का विचार है, और अगस्त, 1967 से पहले निर्धारित की गई वरिष्ठता को पुनः लागू करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) यह सच है कि 1-11-1957 तथा 1-5-1958 से भूतपूर्व ग्रेड-2 में पदोन्नत किये गये कुछ सैक्शन अफसरों की पारस्परिक वरिष्ठा में परिवर्तन किया गया है और 25 अगस्त, 1967 से इस उद्देश्य के आदेश जारी किये गये हैं। ऐसा करने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग तथा विधि मंत्रालय से परामर्श किया गया है और विधि मंत्रालय ने यह मत दिया है कि इस प्रकार परिवर्तन से आश्वासनों अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों का कोई उल्लंघन नहीं होता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुभाग अधिकारियों (सैक्शन आफिसरों) की वरिष्ठता

4031. **श्री राम चरण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी-एक के कुछ कर्मचारियों की, जिन्हें 1959 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा की भूतपूर्व श्रेणी-2 के पदों पर पदोन्नत किया गया था, केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी-2 में वरिष्ठता 1 नवम्बर, 1957 और 1 मई, 1958 से उस समय लागू वरिष्ठता संबंधी नियमों के आधार पर श्रेणी-2 के पदों पर पदोन्नत किये गये श्रेणी-3 के अनुभाग अधिकारियों के साथ निश्चित की गई थी;

(ख) क्या उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता 1 अक्तूबर, 1962 से पहले ही अन्तिम रूप में निश्चित की जा चुकी थी, जिस दिन केन्द्रीय सचिवालय सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का विकेन्द्रीकरण किया गया

था, और वह उनके मंत्रालय द्वारा 1 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई अनुभाग अधिकारियों की सिविल लिस्ट में अस्थायी तौर पर नहीं दिखाई गई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा दिसम्बर, 1957 में दिये गये आश्वासन के प्रतिकूल तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों, 1962 के नियम 18 (1) के उल्लंघन करके उनके मंत्रालय ने 25 अगस्त, 1967 को उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के अनुभाग अधिकारियों की वरिष्ठता में पुनरीक्षण किया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या 1 अक्तूबर, 1962 से पहले निश्चित की गई वरिष्ठता को बहाल करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी-एक के कर्मचारियों की, जिन्हें 1959 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी-2 के पदों पर पदोन्नत किया गया था, केन्द्रीय सचिवालय की श्रेणी-3 के अफसरों के साथ, जिन्हें 1-11-1957 तथा 1-5-1958 से श्रेणी-2 में पदोन्नत किया गया था, तुलनात्मक वरिष्ठता का प्रश्न सदा विचाराधीन रहा है यद्यपि 1-10-1962 तक की सिविल लिस्ट में यह नहीं बताया गया था कि उनकी वरिष्ठता अस्थायी है ।

(ग) निस्सन्देह 25 अगस्त, 1967 को आदेश जारी करके वरिष्ठता में परिवर्तन किया गया है परन्तु इससे किसी आश्वासन का अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों का उल्लघंन नहीं होता है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Activities of Ambala Christian Missionaries

4032. **Shri Ram Gopal Shalwale** : **Shri Shiv Kumar Shastri** :
Dr. Surya Prakash Puri : **Shri Ram Avtar Sharma** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints regarding the activities of certain Christian missionaries in Ambala ;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : It is understood that some unidentified Christian missionaries sold booklets to students in front of the D. A. V. College, Ambala. On being checked by the Principal of the College, they left the place and did not return. Although complaints have been made to the Police, no cognizable offence has been made out. No further action is, therefore, indicated.

मनीपुर राज्य परिवहन

4033. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर राज्य परिवहन के कर्मचारियों ने नवम्बर, 1967 के दूसरे सप्ताह में कुछ दिन तक प्रतिदिन एक घंटे की "काम रोक हड़ताल" की थी;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की क्या शिकायतें थीं; और

(ग) इस विवाद को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क). जी हां ।

(ख) मनीपुर राज्य परिवहन के एक चालक को पुलिस के दो सब-इन्स्पेक्टरों ने पीटा था ।

(ग) दोषियों के विरुद्ध विधि के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी और उन्हें स्थानान्तरित कर दिया गया था । मनीपुर राज्य परिवहन के कर्मचारियों को इस बात की सूचना दी गई थी और उसके तुरन्त बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई थी ।

लोहा और इस्पात के निर्यात के लिये बड़े पत्तनों में माल जमा करने की सुविधायें

4034. **श्री सूपकार** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के बड़े पत्तनों में माल के जमा करने संबंधी सुविधाओं की कमी के कारण विदेशों को लोहे और इस्पात के निर्यात में काफी बाधायें पड़ती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बाधा को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण

4035. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तकनीकी शिक्षा के लिये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ऋण देती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसी अनेक शिकायतें आई हैं कि इन ऋणों के देने में अत्यधिक विलम्ब किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप अनेक विद्यार्थियों को अपना अध्ययन छोड़ना पड़ता है;

(ग) क्या इस बारे में भी शिकायतें आई हैं कि ऋण बड़ी कठिन शर्तों पर दिये जाते हैं; जिनको अधिकांश मामलों में पूरा नहीं किया जा सकता; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के कारणों को दूर करने और छात्रों को ऋण देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी हां। शिक्षा मंत्रालय की एक योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा के लिये ऋण दिये जाते हैं।

(ख) राशि देने में विलम्ब करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं परन्तु ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है जिसमें किसी विद्यार्थी को इस कारण पढ़ाई बन्द करनी पड़ी हो।

(ग) शिक्षा मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत ऋण दिये जाने की शर्तों के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) छात्रवृत्तियों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा राशि देने की एक प्रक्रिया भारत सरकार ने पहले ही लागू कर दी है।

हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज

4036. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-हिन्दी भाषा भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक कालेज में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कितनी है और इन प्रशिक्षण कालेजों से अब तक कितने प्रशिक्षणार्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं; और

(ग) इन कालेजों पर वार्षिक व्यय कितना होता है और अब तक इन कालेजों पर कुल कितना धन व्यय हो चुका है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) अहिन्दी भाषी राज्यों में, शत-प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान से हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अधीन अभी तक स्थापित किए गए शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की संख्या इस प्रकार है :

आन्ध्र प्रदेश	2 कालेज
असम	1 कालेज (इस वर्ष से चालू होना था)
गुजरात	1 कालेज
केरल	2 कालेज
मद्रास	1 कालेज
महाराष्ट्र	5 अल्प-कालीन प्रशिक्षण केन्द्र
मैसूर	3 कालेज
उड़ीसा	1 कालेज
पश्चिम बंगाल	1 कालेज

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और विवरण लोक सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) इन कालेजों का वार्षिक व्यय हर राज्य में और हर वर्ष में भिन्न-भिन्न है। इन कालेजों के अनुरक्षण के लिए 1966-67 तक अहिन्दी भाषी राज्य सरकारों को दिये गए अनुदान इस प्रकार हैं :

आन्ध्र प्रदेश	3,40,036 रु०
असम	64,000 रु०
गुजरात	5,21,231 रु०
केरल	10,42,149 रु०
मद्रास	2,87,538 रु०
महाराष्ट्र	3,03,105 रु०
मैसूर	5,80,127 रु०
उड़ीसा	1,59,000 रु०
पश्चिम बंगाल	1,39,725 रु०

हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा

4037. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिये नियत धनराशि की तुलना से हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की विकास संबंधी योजना पर कितना धन खर्च किया गया था;

(ख) उसकी उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिये पर्याप्त सुविधाएं हैं जैसी कि अन्य निकटस्थ राज्यों में हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और अन्य निकटस्थ राज्यों के समान सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये कितना समय लगेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा

4038. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन राज्यों में पहले ही उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जो इस वर्ष अथवा आगामी वर्ष से निःशुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा निःशुल्क है :

आन्ध्र प्रदेश	(केवल लड़कियों के लिये)
जम्मू-कश्मीर	
केरल	(केवल मुसलमान लड़कियों के लिये)
मध्य प्रदेश	(केवल लड़कियों के लिये)
मद्रास	
मैसूर	
उड़ीसा	(केवल लड़कियों के लिये)
उत्तर प्रदेश	(केवल लड़कियों के लिये)

ऐसे अन्य राज्य जो उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा का विचार कर रहे हों, उनके संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली में पब्लिक स्कूल

4039. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के हेतु, सरकार का विचार दिल्ली तथा अन्य संघ राज्यों/ क्षेत्रों में ऐसे पब्लिक स्कूल स्थापित करने अथवा उनके स्थापित किये जाने का प्रोत्साहन देने का है, जिनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषाएं होंगी;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या दिल्ली तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में वर्तमान पब्लिक स्कूलों में प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं । जहां तक उन पब्लिक स्कूलों का सम्बन्ध है, जो भारतीय सार्वजनिक विद्यालय-सम्मेलन के सदस्य हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

कोलाघाट पर राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर पुल

4040. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर रूपनारायण नदी पर कोलाघाट सड़क पुल का

निर्माण-कार्य प्राक्कलन डिजाइन और समय के अनुसार पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि रूपनारायण नदी का प्रवाह काफी अवरुद्ध हो गया है और फलस्वरूप (नदी तल में बहाव) की ओर मिट्टी काफी जमा हो गई है;

(घ) क्या इस बारे में कोई नमूना प्रयोग किये गये थे; और

(ङ) यदि हां, तो किसके द्वारा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) मूल प्राक्कलन से अधिक व्यय, मूल डिजाइन में कुछ परिवर्तन तथा निर्माण की अवधि बढ़ाने के बाद पुल पूरा हो गया है । ब्योरा इस प्रकार है :

(1) आरम्भ में 112.22 लाख रुपये की अनुमानित राशि की स्वीकृति दी गई थी । व्यय उससे 24 लाख रुपये अधिक हुआ है जिसके कारण निम्नलिखित हैं :

(एक) मन्जूर किया गया टेंडर स्वीकृत अनुमानित राशि से अधिक राशि का था ।

(दो) सीमेन्ट तथा इस्पात की प्राप्ति की लागत इन वस्तुओं के लिये ठेके में उपबन्धित दर से अधिक थी ।

(तीन) कुछ ऐसे कार्य, जिनके लिये मूल प्राक्कलन में उपबन्ध नहीं था, वास्तव में किये गये थे ।

(2) 14 मुख्य पाटों में से 4 पाटों की लम्बाई में मामूली परिवर्तन और कूप के मंड की मोटाई में वृद्धि खुदाई के दौरान बहुत सख्त मिट्टी का भाग होने के कारण आवश्यक समझी गई थी ।

(3) मिट्टी का बहुत सख्त भाग होने, श्रमिकों की बहुत अधिक कठिनाई और कड़ियां लगाने के दौरान अप्रत्याशिक कठिनाइयों के कारण कूप खोदने में कठिनाइयों से पुल पूरा होने में कुछ विलम्ब हो गया था ।

(ग) इस सड़क पुल के बनने से रूपनारायन नदी के प्रवाह में कोई रुकावट नहीं आई है । नदी में रेत का भरना पुल के निर्माण के बहुत पहले से ही जारी है जिसका नदी के प्रवाह अथवा नदी के नीचे के तल में रेत भरने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव दिखाई नहीं देता ।

(घ) और (ङ). जी नहीं । उन्हें आवश्यक नहीं समझा गया था परन्तु पूना के केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान केन्द्र के निदेशक से विचार-विमर्श किया था जिन्होंने बताया था कि सड़क पुल का प्रस्तावित जल मार्ग सन्तोषजनक है क्योंकि वह नदी के नीचे की ओर वर्तमान रेलवे पुल के जल मार्ग से मामूली सा अधिक है ।

उड़ीसा के अध्यापकों का वेतन मान

4041. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में प्राथमिक स्कूल अध्यापकों को दस रुपये प्रति मास वेतन मिल रहा है जबकि दूसरे राज्यों में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को 100 और 150 रुपये प्रति मास वेतन मिल रहा है; और

(ख) ऐसी भीषण प्रादेशिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा राज्य का कोई प्राथमिक स्कूल का अध्यापक केवल 10 रुपये मासिक वेतन नहीं ले रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जम्मू तथा काश्मीर में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये लोग

4042. **श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर में भारतीय प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया; और

(ख) जम्मू और काश्मीर में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 20 नवम्बर, 1967 को भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत 176 व्यक्ति जेलों में थे ।

(ख) 20 नवम्बर, 1967 को जम्मू तथा काश्मीर राज्य निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत 37 व्यक्ति जेलों में थे ।

भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत जम्मू और काश्मीर में समाचारपत्रों पर प्रतिबन्ध

4043. **श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर में भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत अभी हाल में कितने समाचारपत्रों पर प्रतिबन्ध लगाया गया; और

(ख) क्या यह सच है कि "नवाये काश्मीर" और "मार्तन्ड" पर, जो श्रीनगर के बहुत महत्वपूर्ण दैनिक समाचारपत्र हैं, भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने अक्तूबर, 1967 में छः समाचारपत्रों पर प्रतिबन्ध लगाये जिनमें "नवाये काश्मीर" और "मार्तन्ड" शामिल हैं।

Hindi Assistants

4045. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2439 on the 14th June, 1967 and state :

(a) the number of Hindi Assistants appointed to the Gazetted Class II posts and Class I (Junior Scale) posts during the last eight years ;

(b) if there is none, whether it is a fact that Home Ministry gives preference to the Hindi teachers engaged in the work of Hindi teaching in the matter of appointments to the gazetted posts for Hindi, though they do not possess any experience of translation work ; and

(c) the number of those out of these Hindi teachers who have been appointed as Hindi Officers during the last five years ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में सेवा-निवृत्त लोगों की नियुक्ति

4046. **श्री श्रीचन्द गोयल :**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह देखा गया है कि उच्च सिविल अधिकारी सेवा-निवृत्ति के बाद रोजगार पाने की आशा में अपने कार्यकाल में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों को अनुचित लाभ देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जहां तक ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है, जिनकी सरकार पूर्णतया: अथवा आंशिक रूप से मालिक है अथवा जो सरकार के नियंत्रण में हैं। सरकार अथवा उच्च सिविल कर्मचारियों का उनमें से किसी को अन्य सरकारी उपक्रमों की तुलना में अनुचित लाभ देने का कोई प्रश्न नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को पुन: काम पर लगाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाये जा रहे कड़े सिद्धान्तों का पालन करने का परामर्श दिया गया है।

नियमों के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी अखिल भारतीय सेवाओं का कोई अधिकारी अपनी सेवा-निवृत्ति के 2 वर्ष के अन्दर सरकार की अनुमति के बिना किसी गैर-सरकारी फर्म में नौकरी

नहीं ले सकता है । जब कोई अधिकारी नियमों के अंतर्गत अनुमति के लिये प्रार्थना करता है, तो आवेदन-पत्र की कड़ी छानबीन की जाती है और यदि सेवा-निवृत्त अधिकारी के सेवा में होने के दौरान सम्भावित नियोजक के साथ कोई सम्बन्ध रहे हों, तो गैर-सरकारी क्षेत्र में नियोजन के लिये प्रार्थना सदा ही अस्वीकार कर दी जाती है । यह भी अनुदेश दिये गये हैं कि सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना सेवा में रहते हुए कोई कर्मचारी व्यापारिक सार्थों में सेवा के लिये बातचीन न करे । गृह-कार्य मंत्रालय के ध्यान में किसी उच्च सिविल कर्मचारी के सेवा-निवृत्ति के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में नौकरी प्राप्त करने के बदले में उन्हें अनुचित लाभ देने का कोई मामला नहीं आया है । परन्तु इस प्रकार के किसी मामले को रोकने के लिये हाल ही के वर्षों में यह निदेश जारी किये गये हैं कि सेवा-निवृत्ति के बाद व्यापारिक फर्मों में नौकरी की अनुमति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का कड़ा पालन किया जाये ।

मिजो युवकों से बरामद हुए विस्फोटक पदार्थ

4047. **श्री स० च० बेसरा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो मिजो युवकों की गिरफ्तारी के फलस्वरूप विधानसभा के होस्टल के पीछे भूमि में दबाए हुए बड़ी भारी मात्रा में शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ बरामद किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई विस्तृत जांच करने के आदेश दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या इस मामले में किसी विदेशी सत्ता/व्यक्ति का हाथ है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) नवम्बर के आरम्भ में शिलांग में दो मिजो युवकों की गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप, आदिवासी विद्यार्थियों के लिये होस्टल में, न कि विधानसभा के होस्टल के पीछे, दबे हुए कुछ विस्फोटक पदार्थ पाये गये थे ।

(ख) से (घ). विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 तथा भारत रक्षा नियमों के नियम 36 (क) के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है और उसकी जांच की जा रही है ।

Administration of Catholic Churches in India

4049. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the churches and other immovable property belonging to the Catholic missions in India are registered in the name of the Pope of Rome ;

(b) whether it is also a fact that the Catholic churches are controlled from Rome and that the Indian Christian have been agitating from time to time for their Indianisation ; and

(c) if so, whether Government propose to bring about the Indianisation of Catholic Churches ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : According to the information available, properties of Churches in India are in the hands of foreign or Indian Missionary societies. The Government of India are in favour of transfer to Indian hands of properties owned and controlled by foreign missionary societies in India. Since transfer of properties is a State subject, it has been suggested to the State Governments etc. to advise the local authorities concerned to deal with matters relating to transfer to Indians of foreign mission properties expeditiously.

Incident in Tihar Jail (New Delhi)

4050. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Ram Avtar Sharma : **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any action has been taken by Government on the Enquiry Report on the Incident in the Tihar Jail ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1982/67]**

Central Government Employees

4051. **Shri R. S. Vidyarthi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the total number of employees working under the Central Government at present ;

(b) the number of Gazetted personnel amongst them ;

(c) the number of employees drawing a salary of more than Rs. 2,000 per month ;

(d) the number of employees drawing a salary of more than Rs. 1,000 per month ; and

(e) the number of employees drawing less than Rs. 100 per month ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (e). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1983/67].**

Ladakhi Institute at Bela Road, Delhi

4052. **Shri R. S. Vidyarthi :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the expenditure so far incurred by the Central Government on the Ladakhi Institute at Bela Road, Delhi ;

(b) the number of students who received education in 1966 ;

(c) the number of students so far admitted in 1967 ; and

(d) the number of other schools of such type being run ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) Rs. 5,50,115/-

(b) 99

(c) 95

(d) None else under Delhi Administration.

Scindia's Steam Navigation Co.

4054. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether Government had received certain proposals from the Scindia Steam Navigation Co. for financial assistance for the purpose of purchasing new ships ;

(b) if so, when, and the action taken thereon ; and

(c) if no assistance was given, the reasons therefor?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) to (c). Applications for financial assistance in the form of loans at concessional rate of interest are received by the Shipping Development Fund Committee and not by Government as such. The only application for a loan for acquisition of new ships which is still pending finalisation is that in respect of 3 ships of 11,323 GRT each, built by the company at Lithgow Shipyard in Scotland. The Committee has already sanctioned a loan of Rs. 459.90 lakhs to meet 90% of the cost of these 3 ships but no part of it has yet been disbursed because the company is not able to offer the first mortgage of these ships to the Committee or offer other satisfactory security acceptable to the Committee. The first mortgage of these ships having been given by the company to the Bank of Scotland, the company has been offering only the second mortgage of these ships to the Committee which is not acceptable to the latter.

दिल्ली में हत्याएं

4055. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में दिल्ली में कितनी हत्याएं हुईं ;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनका अभी तक पता नहीं चला है ; और

(ग) उन मामलों की खोज करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) चालू वर्ष में 30-11-1967 तक 60 मामलों में 61 हत्यायें दर्ज की गई हैं ।

(ख) 21

(ग) दोषियों का पता लगाने के लिये भरसक प्रयत्न जारी हैं ।

भ्रष्टाचार के मामले

4056. **श्री हरदयाल देवगुण**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 3 वर्षों में केन्द्रीय जांच विभाग (सी० वी० आई०) को भ्रष्टाचार के कितने मामले सौंपे गये ;

(ख) कितने मामलों में जांच पूरी हो गई है तथा कितने मामलों में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है ; और

(ग) केन्द्रीय जांच विभाग के पास अनिर्णीत पड़े मामलों को निपटाने में कितना समय लगने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) केन्द्रीय जांच विभाग के विशेष पुलिस संस्थापन डिवीजन ने वर्ष 1964-1965 तथा 1966 में भ्रष्टाचार के 3556 नये मामले अपने हाथ में लिये हैं ।

(ख) उसमें से 3536 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और शेष 20 मामलों में जांच अभी जारी है ।

(ग) 4 मामलों में जांच पूरी होने में लगभग 3 मास और 16 मामलों में लगभग एक मास लगने की सम्भावना है ।

राजभाषा (संशोधन) विधेयक

4057. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री किरुतिनन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज भाषा (संशोधन) विधेयक, 1967 के सम्बन्ध में राज्यों की राय पूछी है ।

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने इसका विरोध किया है और किन-किन कारणों से ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने इस आधार पर प्रस्तुत विधेयक का विरोध किया है कि इससे एक राज्य को निषेधाधिकार प्राप्त होता है ; और

(घ) यदि हां, तो मद्रास, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल तथा मैसूर की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). गृह-कार्य मंत्री ने इस विषय पर सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को एक गुप्त पत्र लिखा था कुछ मुख्य मंत्रियों ने, जिन्होंने विस्तारपूर्वक विचार भेजे हैं, अपने पत्रों को गुप्त रखा है । इसे ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर सूचना देना लोक हित में नहीं होगा ।

अंदमान की आदिवासी आदिम जातियां

4058. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह में ओंगीज और जरावा जैसी

आदिवासी आदिम जातियों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इसके उद्देश्य के लिये क्या कार्यवाही की है कि इनका अस्तित्व पूर्णतया समाप्त न होने पाये;

(ग) इन आदिवासी आदिम जातियों की कुल जनसंख्या कितनी है ;

(घ) इन लोगों में साक्षरता का प्रसार किस सीमा तक हुआ है ; और

(ङ) इन लोगों की रोजगार की क्या स्थिति है और ये लोग उस द्वीपसमूह के नागरिक और सामाजिक जीवन में कितना भाग लेते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). ओंगीज की जनसंख्या में कमी हो रही है। उनकी संख्या 1961 की जनगणना में 129 थी जबकि 1951 की जनगणना में वह 150 थी। जारावा अभी तक सभी बाहर वालों के प्रति विरोध की भावना रखते हैं और दूरस्थ तथा अगम्य क्षेत्रों में बिल्कुल पृथक रहते हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या 500 होने का अनुमान है।

ओंगीज की नस्ल आदि के कारण उनकी क्षमता समाप्त हो गई है। उन्हें फेफड़ों तथा चर्म के विभिन्न प्रकार के रोग हैं। ओंगीज की चिकित्सा सम्बन्धी सहायता के लिये लिटिल अंदमान में एक औषधालय है। उनकी खाद्य के लिये अतिरिक्त व्यवस्था करने के लिये नारियल की फसल उगाई गई है। वे अभी भी अविकसित हैं और उनमें तथा जारावों में साक्षरता शून्य है। ओंगीज को निर्माण कार्यों में जो हाल ही में लिटल अंदमान में शुरू किये गये हैं, नौकरी करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय

4059. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में इस समय देशवार कितने भारतीय विद्यार्थी या प्राध्यापक अध्ययन कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से कितने विद्यार्थी छात्रवृत्ति द्वारा पढ़ रहे हैं और कितने अपने व्यय से पढ़ रहे हैं ;

(ग) उनमें से कितने विद्यार्थी प्राकृतिक विज्ञान और कितने मानव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं ; और

(घ) प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के छात्रों/प्राध्यापकों को पृथक-पृथक कितनी विदेशी मुद्रा की अनुमति है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें तारीख 1-1-66 (अद्यतन उपलब्ध) को विदेशों में पढ़ रहे विद्यार्थियों का देशवार

ब्योरा दिखाया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-1984/67**] इन विद्यार्थियों में प्रोफेसरों की संख्या के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है । फिर भी 1965-66 में विदेश गये विद्यार्थियों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण जांच-परीक्षण के तौर पर किया गया और पता चला कि वित्तीय आलंब के साधन निम्नलिखित थे :

साधन	**कुल का प्रतिशत**
छात्रवृत्तियां	15.9
निजी व्यय	31.0
अन्य साधन	53.1

यह माना जा सकता है कि विदेशों में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के लिए विभाजन मोटे तौर पर एक समान है।

(ग) 10,941 विद्यार्थियों में से 1200 मानविकी और 2028 विज्ञान विषयों में पढ़ रहे हैं।

(घ) विदेशी मुद्रा की तादाद अध्ययन के विषय पर निर्भर न करके अध्ययन संस्था और देश पर निर्भर करती है । इस समय विदेशी मुद्रा देने के मान निम्नलिखित हैं :

यू० एस० ए० के लिए	वास्तविक शिक्षा शुल्क और रख रखाव के लिए 210 डालर प्रतिमास ।
यू० के० तथा अन्य देशों के लिए	वास्तविक शिक्षा शुल्क और रख रखाव के लिए 600 पौ० प्रतिवर्ष

कन्याकुमारी में पर्यटकों के लिये सुविधाएं

4060. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कन्याकुमारी में, विशेष रूप से विवेकानन्द शिला मन्दिर में जाने के लिये, पर्यटकों के लिये किन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : कन्याकुमारी में जो कि त्रिवेन्द्रम और नागरकोइल से नियमित बस सेवाओं से जुड़ा है, यात्रियों के लिए भारतीय व पाश्चात्य दोनों ढंग की आवास व्यवस्था उपलब्ध है । विवेकानन्द शिला स्मारक तक पहुंचने की इच्छा रखने वाले पर्यटक वहां नाव द्वारा जा सकते हैं अथवा, यदि उनमें आवश्यक सामर्थ्य है तो स्वामी विवेकानन्द की तरह तैर कर भी पहुंच सकते हैं।

कन्याकुमारी में पर्यटकों के लिये सुविधायें

4061. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी से रामेश्वरम तक पर्यटकों के लिये बस की तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितने विदेशी पर्यटक कन्याकुमारी और रामेश्वरम आते हैं और इन पर्यटक केन्द्रों में विदेशी मुद्रा की कितनी कमाई होती है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) कन्याकुमारी और रामेश्वरम के बीच कोई सीधी बस-सेवा नहीं है। क्योंकि कन्याकुमारी रेल से सम्बद्ध नहीं है, कन्याकुमारी से रामेश्वरम जाने का एक-मात्र सुविधाजनक मार्ग मदुराई से होकर है।

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अलग-अलग पर्यटन केन्द्रों के बारे में इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते।

दिल्ली में अपने देश के पर्यटकों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था

4062. **श्री रवि राय :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् दिल्ली में आने वाले अपने देश के पर्यटकों की संख्या तिगुनी हो गई है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने भारत की राजधानी में अपने देश के पर्यटकों को विशेष सुविधायें देने की दृष्टि से इस स्थिति का अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि अलग-अलग पर्यटन केन्द्रों के पर्यटक आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ख) और (ग). अभी तक नहीं। लेकिन दिल्ली आने वाले पर्यटकों के लिए नगर के दर्शनीय स्थलों की योजित यात्राओं, सूचना और संदर्शन सेवा (गाइड सर्विस) और एक ध्वनि तथा प्रकाश प्रदर्शन की व्यवस्था की गयी है।

शिक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक वार्ता

4063. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के आह्वान पर 21 अगस्त, 1967 को दिल्ली में विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक वार्ता अथवा सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या विचार विमर्श किया गया ; और

(ग) उस सम्मेलन में क्या निर्णय किया गया ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). निम्नलिखित कुछ कार्यप्रणाली सम्बन्धी मामलों पर बातचीत करने के लिए मुख्यरूप से आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों की यह अनौपचारिक बैठक थी :

(i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्बन्धी विवरण को अन्तिम रूप देना ; (ii) तुरन्त कार्यवाई के लिए कार्यक्रम का तादात्म्य (iii) शिक्षा में चौथी पंच वर्षीय आयोजना का पुनरीक्षण ; और (iv) 1968-69 की वार्षिक आयोजना को तैयार करना।

विद्रोही मिजो लोगों का पाकिस्तान जाना

4064. **श्री रणधीर सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 250 विद्रोही मिजो लोगों का एक दल मिजो पहाड़ियों की सीमा से लगे जिरिबम उपखंड के श्रोतांग स्थान से पूर्वी पाकिस्तान में प्रविष्ट होने वाला है ; और

(ख) स्थिति का मुकाबला करने और इन विद्रोहियों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गह कार्य-मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में विषाक्त खाद्य पदार्थ खिलाये जाने की घटनायें

4065. **श्री रणधीर सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन ग्रामीणों को जिन्हें विषाक्त खाद्य पदार्थ खिलाया गया था, पूर्णिमा के दिन दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट बेहोश पाया गया था और उनका माल लूट लिया गया था ;

(ख) अपराधियों का पता लगाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में विषाक्त भोजन खिलाने वाले लोगों का एक सुगठित गिरोह काम कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उस गिरोह को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-** 1985/67]

(ग) पुलिस को ऐसे किसी गिरोह का पता नहीं लगा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आर्थिक प्रशासन संबंधी प्रशासनिक सुधार आयोग

4066. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग राष्ट्र द्वारा निर्धारित आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये आर्थिक प्रशासन के प्रश्न का गहराई से और आगे अध्ययन कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्नलिखित कार्यकारी दल बनाये हैं :

(एक) लघु उद्योग क्षेत्र सम्बन्धी कार्यकारी दल ;

(दो) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन सम्बन्धी कार्यकारी दल ;

(तीन) समवाय विधि प्रशासन सम्बन्धी कार्यकारी दल ; और

(चार) विकास सम्बन्धी नियंत्रण तथा विनियामक संगठनों सम्बन्धी कार्यकारी दल ।

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अपनी सिफारिशें करते समय आयोग इन कार्यकारी दलों के प्रतिवेदनों पर विचार करेगा ।

(ख) कार्यकारी दल अपने अध्ययन में लगे हुए हैं और उनके प्रतिवेदन दो अथवा तीन महीनों में आयोग को प्रस्तुत किये जाने की आशा है ।

Free Education upto Middle and Matric Examinations

4067. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the States in which free education to the boys upto middle and girls upto Matric examination has been provided or decision to this effect has been taken ; and

(b) whether a decision has been taken to provide free education upto the matric examination in the entire country during the Fourth Five Year Plan Period ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) On the basis of the available information, the position about free education for these two categories is as follows :

For boys upto Middle (upto classes VII or VIII).

Andhra Pradesh

Gujarat

Jammu and Kashmir

Kerala

Madhya Pradesh

Madras

Maharashtra

Mysore

Punjab

Rajasthan

For girls upto Secondary/Higher Secondary (upto classes XI/XII).

Andhra Pradesh

Jammu and Kashmir

Kerala (for Muslim Girls only)

Madhya Pradesh

Madras

Mysore (upto class X only)

Orissa

Uttar Pradesh (upto class X only).

(b) No, Sir.

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई आशुलिपियों की परीक्षा

4068. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग की आशुलिपिक परीक्षा में बैठने के लिए सरकार के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को केवल दो अवसर दिए जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1965 को आशुलिपिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बहुत से उम्मीदवारों की आरक्षित सूची वाले व्यक्तियों को किसी कार्यालय में नहीं लिया गया है;

(ग) यदि उक्त भाग (क) और (ग) का उत्तर सकारात्मक है तो क्या सरकार इन उम्मीदवारों को एक और अवसर देने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों तथा परीक्षा के लिये अधिसूचित कुछ अन्य वर्गों को छोड़कर ।

(ख) सभी अभ्यर्थी, जो 1965 की आशुलिपिक परीक्षा के आधार पर आरक्षित सूची में थे, विभिन्न विभागों/कार्यालयों में नाम निर्देशित किये जा चुके हैं ।

(ग) और (घ). संघ लोक सेवा द्वारा ली जाने वाली सभी प्रतियोगात्मक परीक्षाओं पर दो अवसरों का प्रतिबन्ध समान रूप से लागू होता है और इसलिये केवल आशुलिपिकों की परीक्षा के मामले में कोई अपवाद करना सम्भव नहीं होगा ।

Investigations Against Government Employees

4069. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Government employees against whom open enquiries were conducted by the Central Bureau of Investigation from 1965 to November, 1967 ;

(b) the number of gazetted and non-gazetted employees amongst them separately ;

(c) the number of those connected with Defence Services and the number of those connected with Civil Service separately ;

(d) the number of those amongst them prosecuted, the number convicted and the total amount of fine collected from them ; and

(e) the reasons for not prosecuting the remaining employees ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) 7829 Government employees were involved in the new cases taken up by the S. P. E. Division of the C. B. I. during the years 1965 to November, 1967.

(b) Gazetted—973

Non-Gazetted—6856.

(c) Of the 7829 employees, 605 were connected with Defence Services and the remaining with Civil Services.

(d) 629 employees have so far been prosecuted and out of them 206 have so far been convicted. Fines amounting to Rs. 57,876 were imposed by courts on these convicted persons.

(e) Of the remaining employees, cases against a number of them are still pending investigation. As regards those against whom cases have been finalised but who have not been prosecuted, the reasons are that the allegations were not of such a nature, as to warrant prosecution or there was not enough evidence to prosecute. Where the allegations established involved contravention of Departmental Rules the cases have been reported to the Departments concerned for taking departmental action against the suspects. In some of the cases the allegations could not be substantiated at the investigation stage, so the cases against the suspects had to be dropped.

Mizo Hostiles

4070. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Jaggannath Rao Joshi :**
Shri N. K. Sanghi : **Shri D. N. Deb :**
Shri Y. A. Prasad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of hostile Mizos arrested, the number out of them prosecuted and the number of those who have fled to foreign countries ;

(b) the steps taken by Government for extradition of the Mizos who have fled away ;

(c) the names of the countries where they have fled ;

(d) the details of arms and ammunition so far recovered from the possession of hostile Mizos ; and

(e) whether these arms were manufactured in the ordnance factories of the foreign countries, if so, the names of those countries ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) No. of hostile Mizos arrested : 2664.

No. of hostile Mizos convicted : 59

Exact number of Mizo hostiles who have fled away to foreign countries in not known.

(b) and (c). In the wake of the uprising in Mizo Hills some Mizo families fled to Burma and East Pakistan. The Government of Burma have returned the Mizos who had fled to that country, but there has been no favourable response from the Government of Pakistan in respect of Mizos who are still there.

(d) Arms recovered — 1849 (All types),
Ammuuition recovered — 79,892 rounds.

(e) The markings on most of the captured arms and ammunition had been erased. Some weapons and ammunition bore Pakistani markings, while 9 Tear Gas grenades had USA markings.

Pakistani Nationals Visiting Madhya Pradesh

4071. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals who visited Madhya Pradesh since 1962 so far, District-Wise ;

(b) the number among them whose visas were extended and the number who left for Pakistan within the visa period :

(c) the number of those who were ordered to quit during this period and the number who actually left India ; and

(d) the number, if any, who went underground and the number prosecuted and convicted during this period ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

Sale of Mao's Red Book at Aligarh

4072. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Mao's Red Book and some badges were sold at the Aligarh bus stand ;

(b) if so, whether Government have taken any legal action against the sellers ; and

(c) if so, the number thereof and the name of the political party to which they were connected ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have no such information.

(b) and (c). Do not arise:

Foreigners Ordered to Leave India

4073. **Shri Hukam Chand Kachwai**:. Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of German, British, American, Russian and French nationals ordered to leave India since January, 1967 so far; and

(b) the number of those out of them who complied with such orders voluntarily and those who were deported ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The information which is being collected will be laid on the Table of the House when received.

Hindi Teaching through Correspondence

4074. **Shri Raj Deo Singh** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Hindi Directorate's Scheme of Hindi Teaching through correspondence has been accepted by Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the staff sanctioned for it ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the scheme is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1986/67].**

(c) To begin with the following staff has been proposed for the implementation of the scheme :--

Designation	No. of posts
Assistant Director	1
Evalutor	3
Steno-Typist	1
Typist	2

इंजीनियरिंग कालेजों में भेदभाव

4075. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग कालेजों में विद्यार्थियों के प्रवेश के मामले में विभिन्न राज्यों द्वारा कई प्रकार का भेदभाव बरता जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रादेशिक आधारों पर ऐसे भेदभाव में कुछ राज्य सरकारों का हाथ है ; और

(ग) शिक्षा के क्षेत्रों में इस प्रकार के भेदभाव को हटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) कुछ राज्यों द्वारा इंजीनियरी कालिजों में प्रवेश के मामले में राज्य से बाहर के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव रखा जाता है। सरकार को किसी अन्य भेदभाव की जानकारी नहीं है ।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार ने तकनीकी शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् द्वारा की गई इस सिफारिश को मान लिया है कि एक राज्य के कालिजों में 25 प्रतिशत स्थान राज्य के बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिये सुरक्षित किये जाने चाहिए। फिर भी बहुत सी राज्य सरकारों ने अभी तक इस सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया है ।

प्राचीन मन्दिरों की मरम्मत

4076. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरातत्वीय विभाग हाल में द्वारका के द्वारकाधीश मन्दिर की मरम्मत का काम प्रारम्भ करने वाला है ;

(ख) क्या यह विभाग समस्त राज्यों में स्थित महत्वपूर्ण मन्दिरों का समय-समय पर सर्वेक्षण करता रहता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी देखभाल ठीक प्रकार से हो रही है और उनकी समय-समय पर मरम्मत होती रहे ;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान के मन्दिरों का पिछली बार सर्वेक्षण कब किया गया था ; और

(घ) विभाग द्वारा निकट भविष्य में किन-किन मन्दिरों का पुनरुद्धार किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विभाग समय-समय पर राष्ट्रीय स्मारकों के अनुरक्षण को देखता है और उपलब्ध निधियों के अनुसार अत्यावश्यक मरम्मत कराता है।

(ग) जैसा कि ऊपर (ख) में कहा गया है स्मारकों का कोई नियमित सर्वेक्षण नहीं किया जाता किन्तु समय-समय पर स्मारकों की आवश्यकताओं को देखा जाता है और राजस्थान के मन्दिरों के मामले में यह किया गया था।

(घ) भारत का पुरातत्वीय सर्वेक्षण किसी भी स्मारक का नवीकरण नहीं करता। वह पुरातत्वीय सिद्धान्तों के अनुसार उनका अनुरक्षण ही करता है ।

Members of U. P. S. C.

4077. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the members of the U.P.S.C. taken from Government service are not given pension or increase in pension and, therefore, young persons are reluctant to serve on the U.P.S.C. ; and

(b) If so, the action being taken by Government to remove this handicap ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir. Under the Union Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, a person who, at the date of his appointment as Member of the Commission was in Government service is entitled to count his service as Member for the purpose of pension and retirement benefits in accordance with the rules applicable to the Service to which he belongs.

(b) Does not arise.

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की अगस्त, 1967 में हड़ताल के कारण हानि

4078. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1967 में वायुयान तकनीशनों की 9 दिन की हड़ताल के परिणामस्वरूप इण्डियन एयरलाइन्स को कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या तकनीशनों की मांगें पूरी कर दी गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(घ) इस प्रकार की हड़तालों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) लगभग 20 लाख रुपया ।

(ख) और (ग). आई० ए०सी० के एयरक्राफ्ट तकनीशियनों ने अपने प्रबन्धक-वर्ग के साथ कोई विवाद नहीं उपस्थित किया, लेकिन उन्होंने एयर इन्डिया के हड़ताल करने वाले एयरक्राफ्ट तकनीशियनों के साथ सहानुभूति में हड़ताल की । मामला समझौते के द्वारा तै किया गया ।

(घ) सरकार ने कारपोरेशन के अन्तर्गत सब संघों/संस्थाओं को एक परिपत्र जारी कर दिया है जिसमें उन्हें चेतावनी दी गयी है कि भविष्य में अवैध हड़तालों को बड़ी कठोरता की दृष्टि से देखा जायेगा चाहे उन मांगों का कैसा भी औचित्य क्यों न हो जिनके समर्थन में वे अवैध हड़तालें की गयी होंगी । उनका ध्यान उस दण्डात्मक कार्यवाही की ओर दिला दिया गया है जो 'औद्योगिक विवाद अधिनियम' के अन्तर्गत उनके खिलाफ की जा सकती है ।

150 मिजों की गिरफ्तारी

4079. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 अगस्त से 31 अगस्त, 1967 तक मनीपुर राइफल्स और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में मनीपुर के चूड़ाचान्दपुर सब-डिवीजन में 150 मिजो विद्रोही गिरफ्तार किए गये थे ;

(ख) यदि हां, तो की गई सैनिक कार्यवाही का ब्योरा क्या है ; और

(ग) गिरफ्तार किये गये मिजो से की गई पूछताछ के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). 21 और 31 अगस्त, 1967 के बीच सिविल पुलिस और मनीपुर राइफल्स ने 202 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिन पर मनीपुर के चूड़ाचान्दपुर सब-डिवीजन के कई ग्रामों के विद्रोही होने का सन्देह है। छः हथ गोले जो फटे नहीं थे, कुछ वर्दियां और दस्तावेज भी पाये गये हैं।

(ग) पूछताछ तथा छानबीन के बाद 118 व्यक्ति रिहा किये गये और शेष 84 व्यक्तियों के विरुद्ध मनीपुर में लागू किये गये पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मामले दर्ज किये गये। इन मामलों की जांच हो रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वीक्षक (विजिटिंग) समिति

4080. **डा० रानेन सेन :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों के विकास सम्बन्धी प्रस्तावों का निर्धारण करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त वीक्षक समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और कोई प्रतिवेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई वीक्षक समितियों ने 64 विश्वविद्यालयों की चौथी आयोजना की आवश्यकताओं की अब तक जांच की है और अपनी सिफारिशें आयोग को पेश कर दी हैं।

(ख) चूंकि वीक्षक समितियों ने अलग-अलग विभिन्न विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है और चूंकि मौजूदा सुविधाओं तथा विकास के भावी कार्यक्रमों की उपलब्धता पर निर्भर करने वाले प्रत्येक विश्वविद्यालय की सिफारिशें भिन्न-भिन्न हैं, इसलिए सभी विश्वविद्यालयों की मुख्य सिफारिशों को प्रकाशित करना बहुत कठिन है।

(ग) वीक्षक (विजिटिंग) समितियों की सिफारिशों के आधार पर आयोग ने 47 विश्वविद्यालयों की चौथी आयोजना की आवश्यकताओं का अब तक मूल्यांकन किया है। आयोग को

सीमित धनराशि उपलब्ध होने के कारण, इन विश्वविद्यालयों को यह सलाह दी है कि वे प्राथमिकता के आदेश का अनुसरण करें और फिलहाल अपनी स्वीकृत आवश्यकताओं को 70 प्रतिशत के भीतर कुल कार्यक्रमों को सीमित बनाएं ।

मरमागाओ पत्तन

4081. **डा० रानेन सेन :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरमागाओ पत्तन के विकास की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है ;

(घ) क्या इस योजना के लिये विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है ;

(ङ) यदि हां, तो कितनी तथा किस प्रकार की सहायता मांगी गई है ; और

(च) विश्व बैंक ने इस पर क्या निर्णय किया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी राव) : (क) जी हां ।

(ख) इस परियोजना में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :

(1) एक लौह अयस्क गोदी, जिसमें शुरू में 60,000 डी०डब्ल्यू०टी० और अन्त में 100,000 डी०डब्ल्यू०टी० तक के जहाज आने की व्यवस्था हो (2) एक अयस्क चढ़ाने का मैकेनीकल यंत्र, जिसकी 6000 मीटरिक टन प्रतिघन्टा माल जहाज में लादने की क्षमता हो (3) वर्तमान माल गोदियों का आधुनिकीकरण तथा (4) एक खनिज तेल जैटी का निर्माण ।

(ग) 27.28 करोड़ रुपये ।

(घ) से (च). विश्व बैंक की एक सहायक संस्था इण्टरनेशनल डेवेलपमेंट एसोसिएशन से उन उपकरणों तथा सेवाओं पर, जिनके लिये काफी आयात की आवश्यकता है और जिसके लिये विदेशी मुद्रा चाहिए, होने वाले व्यय के लिये ऋण प्राप्त करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

4082. **डा० रानेन सेन :**
श्री श्रीचंद गोयल :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल के महीनों में सड़क दुर्घटनायें बहुत अधिक बढ़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) पिछले तीन महीनों में दिल्ली में कितनी सड़क दुर्घटनायें हुई ;

(घ) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मरे और कितने जख्मी हुए ; और

(ङ) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). जी, नहीं। केन्द्र शासित दिल्ली प्रदेश में 1 सितम्बर से 30 नवम्बर, 1967 तक 2007 सड़क दुर्घटनाएं हुईं जबकि इसी अवधि में 1966 में 2139 सड़क दुर्घटनाएं घटीं।

(घ) 1 सितम्बर से 30 नवम्बर, 1967 की अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में 733 व्यक्ति घायल हुए तथा 73 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(ङ) दिल्ली में दुर्घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है या की जा रही है :

(1) दिसम्बर, 1962 से सुरक्षा की शिक्षा देने के लिये सब इन्सपेक्टर की देख रेख में अलग से कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं।

(2) सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में बच्चों और दूसरे सड़क प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को पत्रिकाएं और चित्र बांटे गये हैं।

(3) विभिन्न स्कूलों में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित चित्र दिखाये गये हैं।

(4) मोटर चालकों को सावधान करने के लिये समस्त स्कूलों के निकट, जो सड़क पर स्थित हैं, चेतावनी संकेत बोर्ड लगा दिये गये हैं।

(5) स्कूलों के निकट उचित स्थानों पर पैदल चलने वालों के लिये निशान लगा दिये गये हैं। उन स्थानों पर सड़क को पैदल चल कर पार करने के भी बोर्ड लगा दिये गये हैं।

(6) भीड़ वाले क्षेत्रों में विशेष कर जहां बड़ी संख्या में स्कूल स्थित हैं मन्द गति से चलने के आदेश दे दिये गये हैं।

(7) शिक्षा संस्थाओं में नियमित रूप से सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के सम्बन्ध में भाषण दिये जाते हैं।

(8) मैसर्स बर्मा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी की सहायता से इरविन रोड, नई दिल्ली में एक यातायात शिक्षण पार्क का निर्माण किया गया है। यह मार्च, 1964 से कार्य कर रहा है। नियत कार्यक्रम के अनुसार प्रातःकाल यातायात पुलिस द्वारा स्कूल के बच्चों को इस पार्क में शिक्षण दिया जाता है। सांयकाल, विशेष आयु के बच्चों के लिये पार्क को खुला रखा जाता है।

(9) मुख्य सड़कों को चौड़ा कर दिया गया है और जहां-जहां आवश्यक समझा गया है वहां आवश्यक संकेत लगा दिये गये हैं। कुछ सड़कों पर साइकिल पथ की भी व्यवस्था कर दी गई है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से बस स्टाप, स्टाल, दुकानों, टैक्सी स्टैन्ड इत्यादि हटा दिये गये हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पद सुरक्षित करना

4083. **श्री अदिचन** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक और अर्ध-सरकारी निकायों ने अभी तक सरकार के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिए अपनी सेवाओं में पद सुरक्षित करने सम्बन्धी निदेश को कार्यान्वित नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सांविधिक और अर्ध-सरकारी निकायों की संख्या और नाम क्या हैं जिन्होंने निदेश का अभी पालन नहीं किया है ;

(ग) निदेश की कार्यान्विति न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन उपक्रमों तथा अर्ध-सरकारी निकायों द्वारा इस निदेश की शीघ्रता से कार्यान्विति की जाये, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). यह प्रश्न कि क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये अपनी सेवाओं में पद सुरक्षित रखने के लिए आदेश जारी कर सकती है या नहीं विचाराधीन था और इस सम्बन्ध में कानूनी सलाह यह दी गई है कि चूंकि संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 सरकारी क्षेत्र उपक्रमों पर लागू नहीं होता अत: इन क्षेत्रों को इस सम्बन्ध में कोई भी नीति अपनाने की छूट है और वे अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रख सकते हैं। फिर भी सरकार इस सम्बन्ध में केवल उन कम्पनियों को निदेश दे सकती है जिनके संस्था के अन्तर्नियम में 'कम्पनी के मामलों' में निदेश देने की व्यवस्था हो। जहां शब्द 'कम्पनी का कार्य' का प्रयोग किया गया है वहां निदेश जारी करना सम्भव नहीं। यदि निदेश जारी करने की अनुमति भी हो तब भी एक उपक्रम के सम्बन्ध में तब तक निदेश जारी करना उचित नहीं होगा जब तक उस कम्पनी की क्षमता के विषय में विचार न जान लिए जायें। हाल ही में राजस्थान स्टेट इलक्ट्रिसिटी बोर्ड के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 12 में 'अन्य प्राधिकारी' में उन सब संवैधानिक या सांविधिक प्राधिकारियों को सम्मिलित किया गया है जिन्हें कानून द्वारा शक्ति दी गई है। यह कोई बात नहीं कि दी गई शक्ति वाणिज्यिक गतिविधियों के सम्बन्ध में प्रयोग की गई हो। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कानूनी सलाह दी है कि सब संस्थाओं/निकायों के सम्बन्ध में एक जैसा नियम लागू नहीं होता। प्रत्येक संस्था की

शक्ति या कार्यों या तत्संगत मामलों के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या लागू होती है। इसकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है। जहां तक सांविधिक और गैर-सरकारी निकायों का सम्बन्ध है सम्बद्ध शासित मंत्रालयों से 1954 में यह कहा गया था कि वे उन सांविधिक निकायों को जो उन पदों की सुरक्षित रखने के आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं, जहां इन आदेशों की अनुमति है, को अनुसरण करने को कहे। यदि किसी मामले में सम्बद्ध अधिनियम निदेश को अनुसरण करने की अनुमति न दें तो मंत्रालयों से निवेदन किया गया था कि वे सांविधिक प्राधिकारियों को उन आदेशों को अपनाने की सिफारिश करें। इसके पश्चात, मार्च, 1954 में गृह-मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बद्ध प्रशासित मंत्रालयों से निवेदन किया था कि वे अपने विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले उपक्रमों को आदेश दें कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए अपनी सेवाओं में केन्द्र सरकार की सेवाओं की भांति स्थान सुरक्षित रखें।

मंत्रालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर उन सरकारी क्षेत्र उपक्रमों, सांविधिक और गैर-सरकारी निकायों, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए अपनी सेवाओं में स्थान आरक्षित रखने के लिए सहमत नहीं हुए हैं, और जिनसे इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है, की सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०**-1987/67]

गृह मंत्रालय उन सम्बद्ध शासित मंत्रालयों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिए सरकारी क्षेत्र उपक्रमों, सांविधिक और गैर-सरकारी निकायों में स्थान आरक्षित करने के प्रश्न पर जोर दे रही है जो अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिए स्थान आरक्षित करने के लिए सहमत नहीं हुई है।

इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी

4084. **श्री अदिचन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी तथा इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रशिक्षित तथा अर्हता प्राप्त अध्यापकों की बहुत कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) डिग्री संस्थाओं में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1966-67 में किए गए सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि डिग्री स्तर पर कुल कमी 23 प्रतिशत की है। डिप्लोमा संस्थाओं के सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण पूर्वी प्रदेश में किया गया था और कमी 16 प्रतिशत की थी। अन्य प्रदेशों में भी कमी इसी अनुक्रम में होने की सम्भावना है। फिर भी यह सच है कि सम्बन्धित निकायों द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं सभी अध्यापकों के पास होते हुए भी उनमें बहुत थोड़े ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें

उद्योग और शिक्षा सम्बन्धी अपेक्षित अनुभव की कमी हो ।

(ख) डिग्री/डिप्लोमा स्तरों पर अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रमों को पहले ही लागू किया जा चुका है ताकि प्रशिक्षित अध्यापकों की नियमित उपलब्धि होती रहे । इन कार्यक्रमों में प्रतिवर्ष लगभग 200 अध्यापक इंजीनियरी कालिजों के लिए और 240 पालिटेक्निकों के लिए प्रशिक्षित करने की परिकल्पना की गई है । इंजीनियरी संस्थाओं में अध्यापकों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने की एक योजना चौथी योजना में भी है ।

दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

4085. **श्री अदिचन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितना धन खर्च किया गया है; और

(ग) विश्वविद्यालय के कब तक अपना कार्य प्रारम्भ करने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) विश्वविद्यालय के लिये कुल आवश्यक 1,000 एकड़ भूमि में से लगभग 600 एकड़ भूमि दिल्ली प्रशासन द्वारा प्राप्त कर ली गई है और बाकी को प्राप्त किये जाने के प्रयत्नों में प्रगति है । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 के अनुसार उपकुलपति और अकादमी मंत्रणा समिति के नियुक्त किये जाने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

(ख) सर्वेक्षण और भूमि को प्राप्त करने पर अब तक कुल 2,42,15,708 रुपये व्यय हुए हैं ।

(ग) विश्वविद्यालय के अगले वर्ष के आरम्भ में स्थापित किये जाने की सम्भावना है ।

पावटे समिति का प्रतिवेदन

4086. **श्री जनार्दनन :** क्या **शिक्षा** मंत्री 2 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7582 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति तथा छात्रों को दाखिला देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई शिकायतों के बारे में पावटे समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस बीच जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या निर्णय किया गया ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) पावटे समिति की रिपोर्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में समिति के निष्कर्ष और सिफारिशों के सम्बन्ध में विचार जानने के लिये परिचलित किया जा रहा है ।

पत्राचार पाठ्यक्रम

4087. **श्री जनार्दनन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्राचार पाठ्यक्रमों की सुविधा का अन्य केन्द्रों में विस्तार करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं;

(ग) उन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) इसे क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य सिफारिशें निम्नांकित हैं :

(i) डाक द्वारा पाठ्यक्रम सुदृढ़ संकाय वाले सुव्यवस्थित विश्वविद्यालयों में प्रारम्भ किये जाने चाहिये और जहां तक सम्भव हो दोहरे पाठ्यक्रमों से बचा जाना चाहिए ।

(ii) डाक द्वारा पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने वाले विश्वविद्यालयों को विभिन्न कालेजों में सम्पर्क कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए और उनके पुस्तकालय और प्रयोगशाला सुविधाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

(iii) डाक द्वारा पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने वाले विश्वविद्यालयों को इन पाठ्यक्रमों के लिए विशेष पुस्तकालय सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए ।

(iv) निम्नलिखित विश्वविद्यालय डाक द्वारा पाठ्यक्रम आरम्भ कर सकते हैं;

(क) कलकत्ता विश्वविद्यालय-पूर्व-विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, बी० ए० और बी० एड ।

(ख) बड़ौदा/गुजरात विश्वविद्यालय-पूर्व-विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, बी० ए० और बी० काम ।

(ग) राजस्थान विश्वविद्यालय-पूर्व-विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, और बी० काम ।

(घ) पंजाबी विश्वविद्यालय-बी० ए० (पंजबी माध्यम)

अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा भी इन पाठ्यक्रमों के चलाए जाने की सम्भावनाओं का पता लगाया जाए ।

(v) दिल्ली विश्वविद्यालय से बी० एस० सी० में, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से इंजीनियरी/टेक्नोलाजी में डिग्री के लिए डाक द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का अनुरोध किया जाए ।

(vi) दिल्ली विश्वविद्यालय से पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए भी सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया जाए या, विकल्प के तौर पर, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यह सुविधा प्रदान करे।

(vii) डाक द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने वाले विश्वविद्यालय अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषाओं के जरिए ये सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं।

(viii) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुदेशात्मक सामग्री के निर्माण के लिए रीति-शास्त्र के विषय में एक वर्कशाप का आयोजन करना वांछनीय होगा।

(ग) और (घ). आयोग ने निर्णय किया कि जो विश्वयिद्यलय प्रादेशिक भाषाओं के जरिए डाक द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना चाहें उनके प्रस्तावों पर 'योग्यता' (मैरिट) के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। तदनुसार, कलकत्ता, बड़ौदा और गुजरात विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे जिस माध्यम से डाक द्वारा पाठ्यक्रमों की सुविधाएं प्रारम्भ करना चाहते हों उसके बारे में बताएं। पंजाबी के जरिए डाक द्वारा पाठ्यक्रम आरम्भ करने के पंजाबी विश्व-विद्यालय के तथा हिन्दी के जरिए डाक द्वारा पाठ्यक्रम आरम्भ करने के राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रस्तावों की जांच की जा रही है। यदि दिल्ली विश्वविद्यालय बी०एस०सी० डिग्री के लिये डाक द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के विचार से सहमत हो, तो उससे अपने प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

एर्णाकुलम फेरोक तटवर्ती सड़क

4088. **श्री नायनार** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एर्णाकुलम से फेरोक तट के अल्प-विकसित तटवर्ती क्षेत्र को आवश्यक संचार सुविधा देने तथा बम्बई के साथ सीधा सम्पर्क प्रदान करने के लिये, एक तटवर्ती सड़क के निर्माण के लिये कोई सहायता करने का है; और

(ख) क्या इस तटवर्ती सड़क से कालीकट और एर्णाकुलम के बीच दूरी काफी कम हो जायेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री मक्तदर्शन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वायुयान चालकों के वेतन

4089. **श्री मधु लिमये** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वायुयान चालकों की तुलनात्मक उपलब्धियों से सम्बन्धित विवाद की इस समय क्या स्थिति है;

(ख) क्या एयर इण्डिया के विमान चालकों ने न्यायाधिकरण का बहिष्कार किया है; और

(ग) न्यायाधिकरण द्वारा अपना पंचाट कब प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन-मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) विवाद राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास फैसले के लिये पड़ा हुआ है जिसने कि सम्बन्धित पक्षों को अपने-अपने लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिये नोटिस दिये हैं। दोनों एयर कारपोरेशनों और इंडियन कार्मशियल पायलट्स एसोसियेशन ने अपने अपने लिखित वक्तव्य न्यायाधिकरण को प्रस्तुत कर दिये हैं ।

(ख) सरकार को ऐसी किसी बात के बारे में मालूम नहीं है।

(ग) सरकार ने पंचाट प्रस्तुत करने की कोई खास तारीख निश्चित नहीं की है। लेकिन यह आशा की जाती है कि इसमें अनावश्यक देरी नहीं की जायेगी।

स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

4090. **श्री मधु लिमये** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम सम्बन्धी अपनी नीति को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) क्या केन्द्र का विचार अनिच्छुक राज्यों पर स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी का अनिवार्य अध्ययन लागू करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इसका विरोध नहीं किया है; और

(घ) इस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। परन्तु जब यह जारी की जाएगी, तो यह सलाह के रूप में होगी।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

स्कूल पाठ्यक्रम समिति

4091. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोठारी शिक्षा आयोग द्वारा नियुक्त स्कूल पाठ्यक्रम समिति के सभी सदस्य केवल दिल्ली के ही थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का विचार स्कूल पाठ्यक्रम सम्बन्धी एक नई समिति बनाने का है जिसमें सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हों ?

शिक्षामंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां । यह शिक्षा आयोग की एक आंतरिक समिति थी, जिसमें केवल आयोग के सदस्य और शिक्षा मंत्रालय तथा शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद के अधिकारी थे । बाद में इसके सभी सदस्यों ने अपना मुख्यालय (हैडक्वार्टर) दिल्ली में रखा ।

(ख) जी नहीं । स्कूल पाठ्यचर्या पर कार्य शै० अ० प्र० रा० परिषद में किया जा रहा है, जो कि देश के सभी भागों के विशेषज्ञों से परामर्श करती है ।

आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों से नेपालियों का प्रव्रजन

4092. **श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के खासी और जैन्तिया पहाड़ी जिले और गारो पहाड़ी जिले में रहने वाले नेपालियों के भारी संख्या में इन इलाकों से बाहर निकाल दिया गया है और वे राज्य के मैदानी इलाकों में शरणार्थियों की हालत में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार ने इन लोगों को उन इलाकों में, जहां ये चले गये हैं, बसाने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या नेपाल सरकार ने उपरोक्त तथ्य की ओर भारतीय सरकार का ध्यान दिलाया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) यह सच नहीं है कि आसाम के खासी और जैन्तिया पहाड़ी जिले और गारो पहाड़ी जिले में रहने वाले नेपालियों को भारी संख्या में इन इलाकों से बाहर निकाल दिया गया है । नोंगपोह क्षेत्र के खासी और जैन्तिया पहाड़ी जिले में सामान्य सामयिक प्रव्रजन के समय पशुओं को चराने के लिये हरी घास की खोज करते समय कुछ छोटी मोटी घटनाएं घटी थीं जिससे नेपाली प्रभावित हुए थे । इस प्रव्रजन को समाचार पत्रों में बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर दिया है ।

(ख) इन घटनाओं को रोकने, जिले में कानून व्यवस्था को बनाये रखने और उनको आवश्यक सहायता देने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई है । बसाने के लिये उन्हें किसी प्रकार की सहायता देना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(ग) जी, हां ।

मेटिक राज्य समिति की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां

4093. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मनीपुर के सागोलमांग क्षेत्र में तथाकथित मेटिक राज्य समिति की राष्ट्र विरोधी तथा लूटमार की गतिविधियों का पता है;

(ख) क्या यह सच है कि उनके कुछ नेताओं को शस्त्रास्त्र सहित हाल ही में उनके छिपे स्थानों से गिरफ्तार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). इस समिति के 65 सदस्यों को जिनमें उसका सभापति भी शामिल है, डाके, अपहरण, कत्ल और शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था । मामले की जांच की जा रही है ।

इम्फाल में भूमि का आबंटन

4094. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 7 या 8 वर्षों में इम्फाल के असैनिक अस्पताल के निकट तथा आसपास बाजार क्षेत्र के भीतर भूमि के प्लाट देकर बसाये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या असैनिक अस्पताल के पूर्व और पश्चिम की ओर के उपरोक्त प्लाट और एक बड़ा पुराना तालाब कुछ व्यक्तियों को किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों के लिये दिये गये थे;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने इस भूमि के कुछ हिस्सों का हस्तांतरण आरम्भ कर दिया है और वे उसके द्वारा बड़ा धन कमा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1960-61 में मनीपुर सरकार ने असैनिक अस्पताल; इम्फाल के निकट तथा आसपास बाजार क्षेत्र के भीतर भूमि के प्लाट निम्नलिखित व्यक्तियों और संस्थाओं को दिये गये :

(1) श्रीमती एम० के० राधाप्यारी देवी

(2) भारत सेवक समाज

(3) मेसर्स फूलचन्द्र एण्ड सन्स

(4) श्री एल० आर० जोयचन्द्र सिंह, एडिटर, प्रजातंत्र ।

(ख) श्रीमती एम० के० राधाप्यारी को यह प्लाट इम्पीरियल टोबेको लि० की एजेन्सी को चलाने के लिये दिया गया था । दूसरा प्लाट भारत सेवक समाज को अपने कार्यालय के निर्माण के लिये अलाट किया गया है । तीसरा प्लाट एक दूकान के लिये अलाट किया गया था । चौथा प्लाट प्रजातन्त्र पत्रिका के भवन निर्माण के लिये अलाट किया गया था ।

(ग) मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि श्रीमती एम० के० राधाप्यारी को अलाट किये गये प्लाट का पश्चिमी भाग सर्वश्री एल० अरुण कुमार सिंह और तगंजम ड्रानजाय सिंह को हस्तान्तरित कर दिया गया था। भूमि किस कीमत पर हस्तान्तरित की गई इसके बारे में जानकारी नहीं है । अन्य तीन प्लाट अभी भी अलाटियों के नाम में हैं।

(घ) मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि श्रीमती एम० के० राधाप्यारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि 1960 में निबटान के समय जब आसाम विनियमन लागू था उस समय भूमि के हस्तान्तरण करने पर कोई रोक नहीं थी। इसके अतिरिक्त अलाटमेन्ट के नियम और शर्तों में भी इस प्रकार के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध नहीं है।

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ का भविष्य

4095. **श्री देविन्दर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के भविष्य पर सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) इस समय पंजाब विश्वविद्यालय के भविष्य के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंजीनियरिंग शिक्षा के स्तर का गिरना

4096. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इंजीनियरिंग शिक्षा का स्तर गिर गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें सुधार करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). इस विचार का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि देश में इंजीनियरिंग शिक्षा के सामान्य स्तर पिछले दिनों में गिर गए हैं। हां, इंजीनियरिंग शिक्षा का स्वतंत्रता के बाद अभूतपूर्व विस्तार हुआ है पर इस विस्तार के अनुकूल योग्य शिक्षक और अन्य शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं की जा सकीं। सरकार इन कमियों को पूरा करने के लिए सतत् प्रयत्न कर रही है।

Arrests under Defence of India Act and Preventive Detention Act

4097. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons arrested under the Defence of India Act in Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh during the past five years; and

(b) the number of persons out of them who have been released and the number of those against whom cases are pending?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) According to the information received from the Government of Madhya Pradesh 9,034 persons were arrested

under the Defence of India Rules during the period 1st October, 1962 to 31st October, 1967. All these persons have been released and no cases are pending at present. The information from the States of Jammu and Kashmir and Uttar Pradesh is being collected and will be laid on the Table of the House.

Madhya Pradesh Employees on Deputation to the Central Government

4098. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) the number of employees of the Government of Madhya Pradesh who are on deputation to the Central Government ; and

(b) the number of Gazetted and Non-Gazetted among them, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 542 as in June, 1967.

(b) (i) Number of Madhya Pradesh Government employees holding Class I (Gazetted) Posts under the Central Government. 91

(ii) Number of such employees as are holding Class II posts under the Central Government. 56*

(iii) Number of such employees as are holding non-Gazetted posts under the Central Government. 395

Defence of India Rules

4099. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons arrested under the Defence of India Rules in the various States duriug the last five years ; and

(b) the number of persons out of them who have been released and the number of persons who are being prosecuted ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Ex-Service Officers

4100. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the age limit prescribed for absorbing ex-Army Officers and soldiers in service in different Ministries ;

(b) whether it is a fact that the persons who have attained the age of 45 years are not eligible for appointment in police service ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the action taken by Government in this connection ?

*Note :—This may also include a few non-Gazetted posts about which separate figures are not readily available.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The following age concessions have been granted to ex-Army Officers and ex-Servicemen for purpose of employment in civil posts under the Central Government:—

(1) **Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers.**

For Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers, Government have reserved a percentage of vacancies in the all-India (including I. P. S.) and Central Civil Services/posts, Class I and II. For these reserved vacancies, those Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers can compete who at the time of joining the pre-Commission training were not overage and were qualified for the relevant Service/post in respect of the educational qualifications. The service rendered by them in the Armed Forces is deducted from their present age and if they were eligible for the relevant Service/post at the time of joining pre-Commission training, they are considered eligible for the Service/post, though at the time of appointment to the Service/post, they may be over-age.

A further concession has been given **viz.** those E. C./S. S. C. Os who were well within the age limit to obtain the prescribed educational qualification and compete at the regular combined competitive examination conducted by the Union Public Service Commission for recruitment to the I. A. S./I. P. S. and other Central Services but having discontinued their studies prior to their selection for the Armed Forces did not possess such qualification at the time of joining pre-Commission training and have not acquired it before their release, should be permitted an opportunity to secure the prescribed qualification after their release from the Armed Forces within a reasonable period and on obtaining such qualification they may be considered eligible to take the regular combined competitive examination conducted by the U. P. S. C. for recruitment to the I. A. S./I. P. S. and other Central Services alongwith the open market candidates for the unreserved vacancies in the Services subject to the condition that they are allowed only one chance to compete at the regular examination; and for this purpose they are allowed age relaxation on the following lines the upper age limit prescribed for the examination should be relaxed uniformally in each case by the duration of an officer's total commitment in the Armed Forces, inclusive of the period spent at pre-Commission training, rounded off to the next complete year. This relaxation would be admissible to the following categories of officers:—

(a) Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers who had not attained the age of 21 years on 1st August of the year preceding the year in which they joined the pre-Commission training, provided that the course of training commenced on or before 31st. July of the relevant year; and

(b) Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers who had not attained the age of 20 years on 1st August of the year preceding the year in which they joined the pre-Commissioned training provided that the course of training commenced on or after 1st. August of the relevant year.

(2) **Ex-Servicemen**

(i) For appointment to Class III and IV posts recruitment to which is made otherwise than on the basis of open competitive examination conducted by the U. P. S. C., the service rendered in the Army by an individual is deducted from his actual age and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit for a post by more than three years (eight years in the case of ex-Servicemen belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes), he is deemed to satisfy the condition for appointment to the post concerned in respect of the maximum age;

(ii) For appointment to Class III and IV posts which are filled through the Employment Exchange the disabled Defence Services personnel are entitled to relaxation of maximum age limit upto 45 years (50 years in the case of disabled Defence Services personnel belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes).

The disabled Defence Services personnel are eligible to the above concessions admissiible to the ex-Servicemen in general and, further, for appointments to Class I, II and III posts, which are filled on the results of a competitive examination conducted by the U. P. S. C., are also allowed a relaxation of the age limit upto three years (eight years in the case of disabled Defence Services personnel belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes) in excess of the prescribed upper age limit, and for the purpose of employment in Class I and II posts recruitment to which is normally made through the U. P. S. C. otherwise than on the results of a competitive examination conducted by the Commission, disabled Defence Services personnel are entitled to a relaxation of the age limit upto 45 years (50 years in the case of disabled personnel belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes).

(b) In Central Reserve Police/Border Security Force, retired/released Army Officers can be re-employed, subject to their suitability, till they attain the age of 55 years.

In regard to the non-gazetted posts in the Central Reserve Police, ex-Servicemen, who are of exemplary or very good character, may be enlisted, provided they are over 23 years of age but under 30 years of age and are otherwise suitable for enlistment.

In the Border Security Force, for recruitment of ex-Army Officers of the rank of Hon. Captain/Hon. Lieutenant/Subedar Major, the maximum age of recruitment has been fixed as 50 years. The age limit in the case of recruitment of ex-Army Officers of the rank of Subedars, Jamadars and Havildars and Naiks in the Border Security Force has been fixed as under :—

Subedar	..	52 years
Jamadar	..	50 years
Havildar	..	45 yeaas
Naik	..	40 years

(c) and (d). Do not arise in so far as the recruitment of ex-Army Officers of the rank of (i) Hon. Captain/Hon. Lieutenant/Subedar Major and (ii) Subedars, Jamadars, and Havildars, in the Border Security Force and the re-employment of retired/released Army Officers in the Central Reserve Police/Border Security Force are concerned. In the case of appointment to non-gazetted posts in the C. R. P. and recruitment of ex-Army Officers of the rank of Naik in the Border Security Force, the age limits have been fixed with a view to ensuring that the people of advanced age are not appointed. Otherwise the Force which is of a para-military character would not be able to discharge the functions entrusted to it effectively.

असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों की मांगें

4101. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक उड्डयन विभाग में काम करने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों

द्वारा रखी गयी कुछ मांगों पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है;

(ख) क्या कर्मचारी संघ के साथ सरकार की बातचीत चल रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :(क) से (ग). नागर विमानन विभाग कर्मचारी यूनियन ने 1964 में निम्नलिखित छः मागें रखी थीं :

(1) निम्नलिखित समितियों की सिफारिशों को कार्यान्वित करना :

(i) वर्कशाप समिति;

(ii) स्टोर्स समिति; और

(iii) यूनीफार्म्स समिति ।

2. निम्नलिखित के वेतनमानों का पुनरीक्षण :

(i) एम० टी० ड्राइवर; और

(ii) टेलीफोन आपरेटर ।

3 चौकीदारों की ड्यूटी के घण्टों को कम करना ।

4. (i) समयोपरि भत्ते की दरों का पुनरीक्षण; और

(ii) आपरेशनल स्टाक के लिये नौ प्रभावी छुट्टियों की मंजूरी ।

5. अराजपत्रित पर्यवेक्षकीय पदों में से 50% पर पदोन्नति केवल प्रवरता के आधार पर; और

6. आयकर, डाक और तार, इत्यादि जैसे अन्य विभागों में प्रचलित मानदण्डों (यार्ड-स्टिक्स) के आधार पर सीनियर क्लर्कों/हेड क्लर्कों/सुपरिन्टेण्डेण्टों के पदों का बनाना ।

मांग नं० 6 को छोड़कर जिस पर अभी विचार किया जा रहा है तथा पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय की विभागीय परिषद में विचार-विमर्श किया जा चुका है, बाकी इन सभी मांगों के बारे में फैसला हो चुका है । यह तै किया गया है कि नागर विमानन विभाग में मिनिस्टीरियल पोस्टों के लिए मानदण्ड, इस विभाग के कुछ कार्यालयों में स्टाफ इन्सपेक्शन यूनिट द्वारा इस समय किये जा रहे अध्ययन के आधार स्थापित किये जायेंगे । इसे जल्दी से जल्दी करने के लिये हर प्रयत्न किया जा रहा है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के महानिदेशक द्वारा टाटा के विमान का प्रयोग किया जाना

4102. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के वर्तमान महानिदेशक के विरुद्ध

इस बात की गम्भीर शिकायत है कि उसने बिहार में कुछ स्थानों के दौरे में टाटा के विमान का प्रयोग किया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं । महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान ने शिक्षा मंत्री के साथ जो कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष हैं, कलकत्ता से भवराह (धनबाद) तक और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशकों/प्रमुखों के सम्मेलन में जो 8 और 9 नवम्बर, 1967 को केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जीलगोरा में हुआ था, में भाग लेने के लिए वापस टाटा वायुयान से यात्रा की थी । वायुयान की व्यवस्था औपचारिक रूप से की गई थी ताकि शिक्षा मंत्री और महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान ठीक समय पर सम्मेलन में पहुंच सकें क्योंकि कोई भी उपयुक्त मिलान करने वाली रेलगाड़ी उपलब्ध नहीं थी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Supreme Court Judgement on Reservation for S. C. and S. T.

4103. **Shri N. S. Sharma :** **Shri Sharda Nand :**
Shri A. B. Vajpayee : **Shri Yajna Datt Sharma :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Supreme Court has recently given a judgement that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not eligible for the reservation of appointments or posts under Article 16 (4) of the Constitution ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy-Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) . (a) No, Sir. What the Supreme Court has observed is that Article 16 (4) of the Constitution does not confer any right on the members of backward classes and there is no Constitutional duty imposed on the Government to make a reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, either at the initial stage of recruitment or at the stage of promotion. In other words, Article 16 (4) is an enabling provision and confers a discretionary power on the State to make a reservation of appointments in favour of backward class of citizens which, in its opinion, is not adequately represented in the services of the State.

(b) Does not arise. The Government have already provided reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services under them, exercising their discretionary powers under Article 16 (4) of the Constitution judiciously and will continue to do so in future.

National Awards to School Teachers in Madhya Pradesh

4104. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Education** be pleased to state the number of school teachers of Madhya Pradesh who have received the National Award so far ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : 60.

Places of Tourist Interest in Madhya Pradesh

4105. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the expenditure incurred on providing transport facilities to the tourists for visiting places of tourists interest in Madhya Pradesh during the last five years ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : Government of India has not incurred any expenditure on providing transport facilities at places of tourist interest in Madhya Pradesh.

High Court of Madhya Pradesh

4106. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of writ petitions disposed of every year by the High Court of Madhya Pradesh from 1957, to-date ;

(b) the number of petitions admitted during this period ; and

(c) whether Government propose to constitute a special bench to expedite disposal of the petitions in view of the increasing number of complaints by Government employees?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दहेज पत्तन

4107. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में दहेज पत्तन का मध्यवर्ती पत्तन के रूप में विकास करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). मुख्य पत्तनों के अतिरिक्त अन्य पत्तनों के विकास के कार्य का कार्यकारी दायित्व सम्बद्ध राज्य सरकारों पर है। गुजरात राज्य दहेज पत्तन को दो चरणों में एक मध्यवर्ती पत्तन के रूप में विकसित कर रहा है। प्रथम चरण के अन्तर्गत एक माल और यात्री जैटी, यात्री शेड गोदाम का निर्माण का कार्य 6 लाख रुपये की लागत से पूरा हो गया है। दूसरे चरण में छोटे घाट, भूमि सुधार, मालबोट की सुविधा, रेलवे साइडिंग इत्यादि का निर्माण शामिल है। इस पर 76.36 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस प्रयोजन के लिये राज्य की चौथी योजना में 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

गाजीपुर में गंगा नदी पर पुल

4108. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री नायनार : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटेल आयोग ने उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के स्थान पर गंगा नदी पर पुल बनाने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां। यह सच है कि योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई पटेल समिति ने इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें दे दी हैं।

(ख) और (ग). इस समिति जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी थे, के प्रतिवेदन की एक प्रति योजना आयोग ने राज्य सरकार को क्रियान्वित करने के लिये भेजी थी। चूंकि गाजीपुर में गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल एक राज्य की सड़क पर गिर गया था अतः इस पुल से सम्बन्धित सिफारिशों पर विचार करना उत्तर प्रदेश सरकार का कर्तव्य है। उसका निर्णय केन्द्रीय सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

Thefts in M. Ps' Residences

4109. **Shri Shiv Charan Lal :**
Shri P. Viswambharan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of thefts in M. Ps'. residences in 1965-66 and 1966-67, so far ;

(b) the number of thefts detected by police and the number of culprits apprehended by them ;

(c) the number of Policemen posted on duty during the night in these areas and how far it is more than those posted in other parts of the city ; and

(d) whether it is also, a fact that a police-post has been set up in M. Ps'. residential area of North and South Avenues New Delhi and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a)

Year	No. of thefts and burglaries reported
1965-66	36
1966-67	28
1-4-67 to 30-11-67	30

(b) During above period 11 cases were challaned and 14 persons were apprehended.

(c) The patrolling in the areas where M.Ps. reside is done by the following staff round the clock as shown below :

	Head Constables	Constables
North Avenue ..	1	6 at a time
Feroze Shah Road, Dr. Rajinder Prasad Road and Electric Lane ..	1	4
South Avenue ..	1	4
Meena Bagh Flats ..	0	3
Feroze Shah Road, Canning Lane ..	0	2

In other parts of the city 4 to 6 policemen are deployed in their respective beats.

(d) Yes, Sir. Two outposts have been set up one each in North and South Avenue to enable the Police to exercise greater vigilance in these areas.

दिल्ली में सड़कें

4110. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सड़कें बनाने अथवा उनकी मरम्मत करने में प्रयोग किये जाने वाला सामान ऐसा है जो एक वर्षा ऋतु के बाद खराब हो जाता है;

(ख) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था ने इन शिकायतों की कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं। दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली प्रशासन की सूचना के अनुसार दिल्ली में नई सड़कें बनाने तथा उनकी मरम्मत के लिये नियत तरीके का संतोषजनक सामान प्रयोग किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Scholarships for Studies in U. S. S. R.

4111. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of Indian students given scholarship by the Government of U. S. S. R. every year for studies during the last 3 years ;

(b) the number of seats reserved every year during the last 3 years for Indian students in the Friendship University, Moscow ;

(c) the number of seats reserved for them every year during the last three years and the number of students sent by Government of India ; and

(d) in case the number of students against the number of seats reserved is less, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) 150 at the rate of 50 scholarships each year, under the U. S. S. R. Government Scholarships Scheme for Post-graduate Studies/Training.

(b)	1964-65	..	50
	1965-66	..	40
	1966-67	..	47

(c) and (d). A statement giving the requisite information is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-1988/67]**

अन्दमान, निकोबार द्वीप समूह में स्थायी औद्योगिक कर्मचारी

4112. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के स्थायी औद्योगिक कर्मचारियों को एक द्वीप से दूसरे द्वीप में स्थानान्तरित होने के समय अपने परिवार को ले जाने के लिये किराया आदि दिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या स्थायी औद्योगिक कर्मचारियों को परिवार को ले जाने का किराया देने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के औद्योगिक-कर्मचारियों की दौरे पर सिवाये विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरित या प्रतिनियुक्ति नहीं की जाती और जब कभी भी जनहित में उनकी सरकारी कार्य पर प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण होता है तो उन्हें नियमित सरकारी सेवा में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों के मूलभूत और अनुपूरक नियमों के अन्तर्गत यात्रा भत्ता दिया जाता है। स्थानान्तरण यात्रा भत्ते में सरकारी खर्चे पर परिवार के सदस्यों का यात्रा भत्ता भी शामिल होता है।

पश्चिमी बंगाल में गोपनीय दस्तावेजों का पकड़ा जाना

4113. **श्री कंवरलाल गुप्त :**
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री सीताराम केसरी :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में हाल ही में गिरफ्तार किये गये विप्लववादी कम्युनिस्टों से गोपनीय दस्तावेज पकड़े गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है इन दस्तावेजों में अति विस्फोटक बम बनाने के सूत्र, गुरिल्ला युद्ध पद्धति की चालों के नक्शे और नागालैंड के कुछ भागों और देश के अन्य भागों में हाथ से बने कुछ नक्शे शामिल हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये विप्लववादी कम्युनिस्ट देश में अव्यवस्था और अराजकता फैलाने के लिये षडयंत्र रच रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 20.11.1967 को गिरफ्तार किये गये विप्लववादी कम्युनिस्टों से गोपनीय दस्तावेज पकड़े गये थे।

(ख) दस्तावेजों में गुरिल्ला युद्ध पद्धति की चालों के निश्चित नक्शे नहीं हैं। फिर भी उनमें नागालैंड और उत्तरी बंगाल के दूसरे क्षेत्रों के मोटे नक्शे और विस्फोटक बम बनाने के सूत्र मिले हैं।

(ग) और (घ). राज्य सरकारें इस बात के प्रति पूर्णतया सतर्क हैं कि ये विप्लववादी कम्युनिस्ट देश में अव्यवस्था और अराजकता के षडयंत्र में सफल न हों और उसके कुछ सक्रिय नेताओं को निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया है।

पश्चिमी बंगाल में हथियारों के लाइसेंसों का जारी किया जाना

4114. **श्री दे० अमात :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा गत आठ मास में कितने शस्त्रों के लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) ये लाइसेंस किन-किन हथियारों के लिये दिये गये थे; और

(ग) जिन व्यक्तियों को ये लाइसेंस दिये गये उनमें से कितने व्यक्ति राजनीतिक दलों से सम्बन्ध रखते हैं और उनकी दल-वार संख्या क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शक्ल) : (क) से (ग). राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Commissioner for Public Grievances

4115. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the whole-time post of the Commissioner for Public Grievances has been abolished ;

(b) whether it is also a fact that this work has been handed over to some other Officer who is already discharging certain other duties; and

(c) if so, the name of the Officer and the reasons for doing so?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Arrangements have been made in Ministries and Departments to attend to public grievances. Pending the constitution of a Lok Ayukt on the lines recommended by the Administrative Reforms Commission, Shri R. Prasad, Secretary (Services) in the Ministry of Home Affairs is attending mainly to the work of co-ordination of the arrangements in the various Ministries and Departments in respect of public grievances. It is considered that this is adequate for the interim period.

Commissioner for Public Grievances

4116. **Shri Ram Sewak Yadav:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of complaints received by the Commissioner for public Grievances and the number of those which were finally disposed of;

(b) whether it is a fact that no action is being taken by Ministries on his decisions;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the steps taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The number of complaints received in the Public Grievances Section till 30-11-1967 was 2194 out of which 1674 have since been finally disposed of.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Do not arise.

Bombay-Agra Road

4117. **Shri Baswant:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of accidents on Bombay-Agra National Highway upto Nasik has increased because of damage to the Highway due to heavy rains; and

(b) if so, the steps taken to keep the Highway in good condition?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b). The requisite information has been asked for from the Government of Maharashtra and will be laid on the Table of the Sabha, when received.

पंजाब में मध्यावधि चुनाव

4118. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व मुख्य मंत्री सरदार गुरनामसिंह के अनुरोध के अनुसार पंजाब में मध्यावधि चुनाव कराने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). सब परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब विधान सभा को भंग न करने और मध्यावधि चुनाव करने का निर्णय किया है।

कलकत्ता होकर जाने वाले विमानों का मार्ग बदलना

4119. **श्री हिमम्तसिंहका** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में हुई हिंसात्मक घटनाओं के कारण इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया के कलकत्ता होकर जाने वाले विमानों का मार्ग परिवर्तन किया गया अथवा उनको रद्द किया गया अथवा उन पर उनका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इण्डिया की अनुसूची में किए गए परिवर्तनों, मार्ग परिवर्तनों तथा विमान सेवा रद्द किए जाने का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस कारण एयर कारपोरेशनों के राजस्व में अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1989/67]**

शनिवार की छुट्टी

4121. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुनः प्रत्येक शनिवार को आधे दिन की छुट्टी अथवा प्रति दूसरे शनिवार को पूरी छुट्टी घोषित करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोठारी आयोग का प्रतिवेदन

4122. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंटरमीडियेट के पश्चात् तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित कर ली है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार और सब राज्य सरकारों ने सिद्धान्त रूप से उन सिफारिशों को स्वीकार करके कार्यान्वित करना मान लिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने में कितने धन की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो बजट में इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, नहीं । उन स्कूल तथा कालेजों की कक्षाओं की पद्धति के बारे में, जो बारह वर्ष के स्कूल के बाद तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम देते हैं, कोठारी शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें अब सक्रिय विचार कर रही हैं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

जम्मू और काश्मीर में राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियां

4123. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** :

श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कई महीनों से काश्मीर घाटी में राष्ट्र-विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि श्रीनगर में पांच सिनेमाघरों में से चार सिनेमाघरों में न तो राष्ट्रीय गीत गाया जाता है और न ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वहां नियमित रूप से राष्ट्र-विरोधी प्रदर्शन और जलूस निकलते रहते हैं और राष्ट्र-विरोधी नारे लगाये जाते हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (घ). यद्यपि काश्मीर घाटी में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी हैं; परन्तु यह सच नहीं है कि काश्मीर घाटी में पिछले कुछ महीनों

में राष्ट्र-विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। जम्मू और काश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि श्रीनगर के सब राष्ट्रीय सिनेमाओं में राष्ट्रीय गीत गाया जाता है और उन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। राज्य सरकार राष्ट्र-विरोधी तत्त्वों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के प्रति सतर्क है।

उत्तर कचार हिल्स में नागाओं का हमला

4124. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान शिलांग से इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 24 नवम्बर, 1967 को 50 सशस्त्र विद्रोही नागाओं ने उत्तर में आसाम के कचार हिल्स में लीके गांव पर हमला कर दिया और कई मकान लूट लिये; और

(ख) यदि हां, तो बार-बार होने वाली ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए क्या सुरक्षा उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां। प्राप्त सूचना के अनुसार 24 नवम्बर, 1967 को लगभग 30 सशस्त्र विद्रोही नागाओं ने उत्तर कचार हिल्स में लीके गांव पर हमला किया और 500 रुपये नकद और कुछ कपड़े जबरदस्ती लूट कर ले गये।

(ख) सूचना प्राप्त होते ही एक विशेष शक्तिशाली दल घटना स्थान पर भेजा गया परन्तु गिरोह को पकड़ा नहीं जा सका। समस्त सीमा-चौकियों को सतर्क कर दिया गया है और सुरक्षा कार्यवाही को मजबूत कर दिया गया है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12

4125. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 22 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1408 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंगल को साफ करने, झोंपड़ी आदि बनाने तथा सम्पर्क सड़कें बनाने पर किये गये व्यय को छोड़कर राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12 से सम्बन्धित अन्य मदों के खर्चे तथा आकस्मिक खर्चे अनुमानित खर्चों से अधिक थे;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मद पर अलग-अलग कितनी धनराशि व्यय करने का अनुमान था और वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) इन बढ़े हुये खर्चों को रोकने और इनका कारण पता लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). मध्य-प्रदेश सरकार से अपेक्षित जानकारी मांगी गई है, परन्तु वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जानकारी प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पाकिस्तानियों द्वारा एक भारतीय राष्ट्रिक का अपहरण

4126. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पूर्व-पाकिस्तान राइफल्स की सहायता से सशस्त्र पाकिस्तानी भारतीय राज्य-क्षेत्र में घुस आये और उन्होंने 23 नवम्बर, 1967 को ग्वालपाड़ा जिले में लखीमारी गांव से एक किसान का अपहरण कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस सप्ताह में यह दूसरी घटना है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां। 23 नवम्बर, 1967 को लगभग आठ बजे कुछ पाकिस्तानी नागरिक पूर्व-पाकिस्तान राइफल्स के व्यक्तियों के साथ ग्वालपाड़ा जिले में लखीमारी गाँव में घुस गये और एक भारतीय नागरिक और जानवरों के चार सिर ले गये।

(ख) जी, हां।

(ग) पाकिस्तानी प्राधिकारियों से इन दोनों मामलों के लिये कड़ा विरोध किया गया है और अपहरण किये गये नागरिक को सुरक्षित लौटाने की मांग की है। विरोध-पत्र में और सीमा क्षेत्र पर होने वाली आवधिक बैठक में पाकिस्तानी प्राधिकारियों से निवेदन किया था कि वे अपनी ओर के सीमा क्षेत्र में अपराधी तत्त्वों पर नियंत्रण रखें और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकें। सतर्कता और निगरानी की कार्यवाही में तेजी कर दी गई है।

धालपुर और पालेसर (उड़ीसा) के बीच पुल का निर्माण

4127. **श्री अ० दीपा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में धालपुर (जिला फूलबनी) और पालेसर (जिला ढेनकनाल) के बीच महानदी पर एक पुल बनाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इसकी जांच की है कि उक्त पुल का निर्माण हो सकता है: और

(ग) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां। स्वयं माननीय सदस्य से ही कुछ समय पूर्व चौथी योजना में धालपुर और पालेसर के बीच महानदी पर केन्द्रीय क्षेत्र में एक ऊपरी पुल बनाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग). यह पुल राज्य सड़क पर बनना है। अतः मुख्यतः राज्य सरकार ही इससे सम्बन्धित है। उक्त प्रस्ताव के प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारी सप्लाई करने के लिये कहा गया था ताकि भारत सरकार इसकी जांच कर सके। अभी तक

जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार को फिर से स्मरण कराया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो जाने तथा चौथी योजना में किये जाने वाले कार्यों को अन्तिम रूप दिये जाने पर निर्णय लिया जायेगा।

उड़ीसा में बांधा और कियाकटे के बीच पुल का निर्माण

4128. **श्री अ० दीपा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में बांधा (फूलबनी जिला) और कियाकटे (ढेनकनाल जिला) के बीच महानदी पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है ;

(ख) क्या पुल के निर्माण की आवश्यकता के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). महानदी पर प्रस्तावित पुल बौद्य (बांधा नहीं) और कयाकाता उड़ीसा राज्य की सड़क पर है। अतः इस परियोजना से मुख्यता उड़ीसा सरकार सम्बद्ध है। कुछ समय पूर्व माननीय सदस्य ने स्वयं केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया था कि वह इस परियोजना का कार्य स्वयं करे। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जांच करने के लिये राज्य सरकार से आवश्यक जानकारी सप्लाई करने के लिये कहा गया था, परन्तु वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा पता लगा है कि इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

संघ लोक सेवा आयोग का अनुसूचित जाति का सदस्य

4129. **श्री सूरज भान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति का कोई सदस्य नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आयोग में अनुसूचित जाति के एक सदस्य को लेने का है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां। अब संघ लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति का कोई सदस्य नहीं है।

(ख) आयोग में किसी भी जाति के सदस्य के लिये स्थान आरक्षित नहीं किया जाता। फिर भी सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करती है और इस समय भी आयोग में एक सदस्य अनुसूचित आदिम जाति का है।

आसाम-नागालैण्ड सीमा का पुनर्निर्धारण

4130. **श्री न० कु० सांधी :**
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने शिवसागर जिले में आसाम और नागालैण्ड के बीच सीमा के पुनर्निर्धारण के लिये भारत के महा-सर्वेक्षण-कर्ता से एक सर्वेक्षण कर्ता दल भेजने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). आसाम सरकार ने अगस्त, 1967 में भारत के महासर्वेक्षण-कर्ता से ताकोक नदी और बालीजन नदी की सीमा के निर्धारण के लिये एक सर्वेक्षण दल भेजने का अनुरोध किया था : भारत का सर्वेक्षण दल आसाम सरकार की सहायता से करने वाले कार्य का अनुमान लगा रहा है ।

बड़े पत्तनों पर मालवाहक जहाजों से माल उतारने में विलम्ब

4131. **श्री न० कु० सांधी :**
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े पत्तनों पर मालवाहक जहाजों को माल उतारने के लिये औसतन 15 दिन तक रुकना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब को न्यूनतम करने के लिये और पत्तनों पर यातायात की भीड़भाड़ को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) माल को देर से उतारने के कारण सरकार को प्रतिवर्ष विलम्ब शुल्क के रूप में दिये जाने वाली राशि क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं । किसी भी मुख्य पत्तन पर मालवाहक जहाजों को औसतन 15 दिन से अधिक नहीं रुकना पड़ता । बम्बई तथा कलकत्ते में कुछ कारण-वश विलम्ब हो जाती है । नवम्बर, 1967 तक कलकत्ते में लगभग 5 और बम्बई में 11 दिन की औसतन विलम्ब हुई है । दूसरी मुख्य पत्तनों में विलम्ब लगभग नहीं के बराबर है ।

(ख) कलकत्ते के पत्तन पर खनिज लोहा और कोयला मशीन द्वारा उतारा जाता है और मशीन द्वारा और सहायता देने के लिये कार्यवाही की जा रही है। द्रव-चलित क्रेन को बिजली से चलने वाले क्रेन में परिवर्तित किया जा रहा है और नौवहन के लिये गहराई में वृद्धि की जा रही है। बम्बई में जहाजों को रजिस्टर्ड करने का कार्य आरम्भ किया गया है। स्थान को बढ़ाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा रही है। अतिरिक्त माल को उतारने तथा चढ़ाने वाले यंत्र को खरीदने में और माल को उतारने और चढ़ाने की प्रणाली में सुधार किया गया है।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पुराने अभिलेखों का अनुसंधान

4132. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने यह सिफारिश की थी कि ब्रिटेन की भांति भारत में भी 30 वर्ष से अधिक पुराने अभिलेख अनुसंधान के लिये उपलब्ध किये जाने चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के विभिन्न मंत्रालय ऐसा करने के लिये सहमत हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन मंत्रालयों ने अपने अभिलेख अनुसंधान के लिये उपलब्ध कर दिये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की सिफारिशें सब मंत्रालयों को भेज दी गई हैं। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय इस बात पर सहमत हो गया है कि 1 जनवरी, 1914 से पहले नेफा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन और तिब्बत के अभिलेखों के अतिरिक्त 30 वर्ष से अधिक समय के अभिलेख अनुसंधान के उपलब्ध हैं। गृह मंत्रालय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की सिफारिशों से आगे गया है काश्मीर संबंधी 1913 से बाद के अभिलेखों के अतिरिक्त और 31 दिसम्बर, 1945 तक के सब अभिलेखों को अनुसंधान हेतु उपलब्ध कराने के लिये, सहमत हो गया है। प्रधान मंत्री सचिवालय भी 30 वर्ष के नियम से सहमत हो गया है। परन्तु कुछ गुप्त बातों और गुप्त कागजों के लिये अनुमति की आवश्यकता है। कुछ मंत्रालयों और विभागों ने ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की है। कुछ दूसरे मंत्रालयों से उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों आदि के अभिलेख कुछ प्रतिबन्धों के आधीन रहते हुये अनुसंधान के लिये उपलब्ध हैं। अभी तक गृह-कार्य मंत्रालय ही एक ऐसा मंत्रालय है जिसने कश्मीर से सम्बन्धित अभिलेखों को छोड़कर सब अन्य अभिलेखों के सम्बन्ध में अनुसंधान सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लिये हैं।

महिलाओं के पालिटेक्निक

4133. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में महिला पोलीटेक्निक स्थापित करने के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1966-67 में इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा को कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ग) 1967-68 और 1968-69 में कितनी वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं।

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अभी तक उड़ीसा में किसी भी महिला पालिटेक्निक की स्थापना नहीं की गई और इसलिये 1966-67 और 1967-68 वर्षों के लिये उड़ीसा सरकार को सहायता भी नहीं दी गई है। राज्य सरकार ने 1968-69 में एक महिला पालिटेक्निक की स्थापना का प्रस्ताव किया है, जिसके लिये भारत सरकार लगभग 80,000 रुपये की सहायता देगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल में प्रौढ़ शिक्षा के लिये सहायता

4134. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 के दौरान सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये 1967-68 में कितनी वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). विकास के किसी शीर्ष विशेष, जैसे सामान्य शिक्षा, पर किये गये वास्तविक खर्च के आधार पर पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं पर केन्द्र से सहायता दी जाती है परन्तु प्रत्येक योजना या उप-शीर्ष के लिये अलग-अलग सहायता नहीं दी जाती। इसलिये यह बताना सम्भव नहीं कि केवल प्रौढ़ शिक्षा के लिये पश्चिम बंगाल की सरकार को केन्द्र से कितनी सहायता दी गई है।

Air Fares

4135, **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the increase in the air-fare between India and Ceylon as a result of devaluation by U. K. ;

(b) whether air-fare between India and other countries has also been increased as a result thereof; and

(c) if so, the details in this regard;

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) to (c). There is no increase in air fares expressed in Indian rupees for travel to and from India to foreign countries, including Ceylon. All basic currency fares in Pounds Sterling have however, been increased by 16.67% in order to maintain the pre-existing relationship. As a result of the devaluation by Ceylon of their currency by 20%, the air fares on the sectors between Ceylon and India have been increased by 25% in Ceylonese currency, so as to conform to the International Air Transport Association approved passenger fare.

वानस्पतिक उद्यान

4136. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने बम्बई के समाचारपत्र 'ब्लिट्ज' दिनांक 7 अक्तूबर, 1967 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वानस्पतिक उद्यान के प्रशासक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उप-सचिव (सतर्कता) वानस्पतिक उद्यान में गये थे, जिसका समाचार 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपने दौरे के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). मामले की जांच की जा रही है।

(ग) उपसचिव को जो कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का सतर्कता कार्य भी कर रहे हैं सीनियर टेक्नीकल असिस्टेंट (फोटोग्राफी) के चुनाव के लिये चयन समिति की बैठक में भाग लेने के लिये भेजा गया था।

(घ) अधिकारी ने स्थायी विभागीय अनुदेशों के अनुपालन में अपनी सामान्य यात्रा रिपोर्ट पेश की थी और इसलिये ऐसी स्थिति में रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखने का विचार नहीं है।

भारत सुरक्षा नियमों और निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत हुई गिरफ्तारियां

4137. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथे सामान्य निर्वाचनों के पश्चात जब से पश्चिमी बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार स्थापित हुई है तब से कितने व्यक्तियों को निवारक निरोध अधिनियम और भारत

सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में कितने व्यक्ति नियोजक, जोतदार तथा ठेकेदार हैं ;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को छोड़ा जा चुका है ; और

(घ) क्या नियोजकों और जोतदारों को निवारक निरोध अधिनियम और भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार करते समय केन्द्रीय सरकार की अनुमति ली गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) चौथे सामान्य निर्वाचनों के पश्चात 30 नवम्बर, 1967 तक पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार के शासन के दौरान 1837 लोगों को निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के अधीन नजरबन्द किया गया था। भारत सुरक्षा नियम, 1962 के अधीन किसी को नजरबन्द नहीं किया गया था।

(ख) कोई नियोजक या ठेकेदार गिरफ्तार नहीं किया गया था और 262 जोतदार गिरफ्तार किये गये थे।

(ग) 355

(घ) निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के अनुसार नजरबन्द करने वाले अधिकारियों ने राज्य सरकार से नजरबन्दी के आदेशों की अनुमति मांगी थी।

नारनौल और सिंघाना के बीच सड़क

4138. **श्री साधूराम** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारनौल और सिंघाना के बीच एक सड़क के निर्माण से खेत्री तांबा परियोजना और दिल्ली के बीच दूरी 15-20 मील से भी अधिक कम हो जायेगी;

(ख) क्या सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है और सड़क का निर्माण कब आरम्भ किया जायेगा और कब पूरा होगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). नारनौल और सिंघाना के बीच एक सड़क पहले है और इस सड़क के राजस्थान के हिस्से में सुधार करने के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता के लिये भारत सरकार को एक प्रस्ताव मिला था। भारत सरकार ने अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत के बराबर लेखानुदान देना स्वीकार किया है बशर्ते कि अधिकतम राशि 4,31,500 रुपये हो और उसके साथ शेष 50 प्रतिशत लागत के लिये ऋण देना स्वीकार किया है।

राज्य सरकार लोक निर्माण विभाग ने कार्य आरम्भ कर दिया है और वह शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है।

दिल्ली पुलिस में महिला कर्मचारी

4139. **श्री रा० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस में इस समय कितनी महिलायें काम कर रही हैं;

(ख) कितनी महिलायें राजपत्रित पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर रही हैं;

(ग) महिला सब-इंस्पैक्टरों सहित 1950 में दिल्ली पुलिस में कितने सब-इंस्पैक्टर्स थे और इनमें से कितने अधिकारियों की पदोन्नति करके उन्हें अब तक पुलिस सुपरिन्टेडेंट बना दिया गया है और इनमें महिलाओं और पुरुषों की संख्या कितनी-कितनी है;

(घ) क्या यह सच है कि पदोन्नति आदि के मामले में पुरुषों की तुलना में महिला पुलिस अधिकारियों के साथ भेदभाव बरता जाता है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या भविष्य में पदोन्नतियों आदि के मामले में महिला पुलिस अधिकारियों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) : महिला कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 122 है जिसका ब्योरा निम्नलिखित है :

इन्सपेक्टर	2
सब-इन्सपेक्टर	4
असिस्टेंट सब-इन्सपेक्टर	3
हैड कांस्टेबल	11
कांस्टेबल	102

(ख) कोई भी नहीं ।

(ग) दिल्ली पुलिस के लिये 1-1-1950 को सब-इंसपेक्टरों की स्वीकृत संख्या 149 थी (जिसमें एक महिला सब-इन्सपेक्टर सम्मिलित है) । अब तक सब-इन्सपेक्टरों में से पुरुष या महिला किसी की भी पदोन्नति पुलिस सुपरिन्टेंडेंट के रूप में नहीं हुई है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) दिल्ली पुलिस में इन्सपेक्टर के दो पद विशेषकर महिलाओं के लिये स्वीकृत हैं । जब वे पदोन्नति के योग्य हो जाते हैं तो ऊँचे पदों पर पदोन्नति के लिये उनके मामलों पर भी विचार किया जाता है ।

मंगलौर बन्दरगाह परियोजना

4140. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यातायात के वह अनुमानित आंकड़े क्या हैं जिनके आधार पर मंगलौर बन्दरगाह परियोजना का कार्य आरम्भ किया गया था;

(ख) इस अनुमान का पुनरीक्षण करने तथा निर्माण कार्य में वर्तमान विराम के क्या कारण हैं;

(ग) क्या बेल्लारी, हास्पेट तथा कुदरेमुख से परिवहन के लिये अयस्क की मात्रा को देखते हुए इन अनुमानित आंकड़ों में वृद्धि करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बन्दरगाह परियोजना तथा रेलवे का सम्पर्क जोड़ने में हुई 12 करोड़ रुपये की हानि के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) मंगलौर बन्दरगाह परियोजना के निर्माण का आरम्भ 20 लाख लोह-अयस्क और 6 लाख टन और माल के यातायात के अनुमान के आधार पर आरम्भ किया गया था जो मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति ने वर्ष 1960 में तैयार किया था।

(ख) और (ग). कुदरेमुख अयस्क के सम्बन्ध में परियोजना पर नियोजन का निर्णय प्रायोगिक संयंत्र के परीक्षणों के परिणाम प्राप्त होने के बाद ही किया जा सकता है जो वर्ष 1969 में किसी समय उपलब्ध होंगे। बेल्लारी-हास्पेट अयस्क के सम्बन्ध में अयस्क की मात्रा का अनुमान लगाना आवश्यक था जो मद्रास और मरमागाओ पत्तनों में से जा सकता है और मंगलौर में से निर्यात के लिये उस क्षेत्र से फालतू अयस्क भेजने के लिये आवश्यक परिवहन की सुविधाओं पर विचार करना भी आवश्यक था।

उपरोक्त संदर्भ में मेगनेटाइट अयस्क के अतिरिक्त अन्य सामान के लिये पत्तन परियोजना के क्षेत्र के बारे में पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया है। पत्तन की यातायात क्षमता का अध्ययन करने के लिये तदनुसार केन्द्रीय सरकार तथा मैसूर राज्य सरकार का एक-एक प्रतिनिधि मिला कर एक संयुक्त दल बनाया गया था। इस दल ने अपने प्रतिवेदन में वर्ष 1971-72 तक 29.60 लाख टन और 1975-76 तक 34.24 लाख टन माल लाने और ले जाने का अनुमान दिया है। परियोजना का क्षेत्र तथा अन्य ब्योरा निश्चित करने के लिये सरकार इस प्रतिवेदन पर विचार कर रही है।

(घ) उपरोक्त (क), (ख) और (ग) भागों के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के कारण यह प्रश्न ही नहीं उठता।

क्लबों में जाति भेद

4141. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि देश में कुछ क्लब सदस्यों के प्रवेश में जातिभेद बरतते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्लबों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

यात्रा और पर्यटन सम्बन्धी अनौपचारिक सम्पर्क समिति

4142. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन आफ इंडिया ने यह सुझाव दिया था कि पर्यटन को बढ़ावा देने से सम्बन्धित मामलों में योजना बनाने और उनका समन्वय करने के लिए भारत में यात्रा और पर्यटन के सम्बन्ध में एक अनौपचारिक सम्पर्क समिति बनाई जाये;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी समिति बनाने के सुझाव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . प्रस्ताव विचाराधीन है ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायत्तशासी निगमों की लेखा-परीक्षा

4143. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र अथवा स्वायत्तशासी कितने निगम उनके मंत्रालय के अधीन स्थापित हैं;

(ख) उनकी स्थापना से उनके खातों की लेखा-परीक्षा लेखा-परीक्षकों अथवा चार्टर्ड अकाउन्टेंटों की कौन सी फर्मों ने की है; और

(ग) 1966 तक उन्हें शुल्क के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) तीन ।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1990/67**]

शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायत्तशासी निगमों के लेखों की जांच

4144. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र अथवा स्वायत्तशासी कितने निगम स्थापित हैं;

(ख) उनकी स्थापना से उनके खातों की लेखापरीक्षा लेखापरीक्षकों अथवा चार्टर्ड अकाउन्टेंटों की कौन सी फर्म कर रही है; और

(ग) 1966 तक शुल्क के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क), (ख) और (ग). एक। (राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम)।

(1) 1954-55 से 31-3-1964 तक मेसर्स वी० सहाय एण्ड कं०, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, चान्दनी चौक, दिल्ली-6. इस फर्म को 5,200/- रुपये दिए गए थे।

(2) 1964-65 से आज तक मेसर्स आर० एस० गुप्ता एन्ड कं०, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, चान्दनी चौक, दिल्ली 6. 1965-66 के अन्त तक इस फर्म को 2,000/- रुपये दिये गये थे।

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायत्तशासी निगमों की लेखा परीक्षा

4145. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र अथवा स्वायत्तशासी कितने निगम स्थापित हैं ;

(ख) उनकी स्थापना से उनके खातों की लेखापरीक्षा लेखापरीक्षकों या चार्टर्ड एकाउन्टेंटों की कौन सी फर्में कर रही हैं; और

(ग) 1966 तक शुल्क के रूप में उन्हें कितनी धनराशि दी गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के पांच उपक्रम हैं।

(ख) और (ग) . उपक्रमों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के स्वायत्तशासी निगम

4146. **श्री काशीनाथ पाण्डे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कितने राजकीय क्षेत्र निगम या स्वायत्त निगम स्थापित किये गये हैं;

(ख) उस विज्ञापन एजेंसी का क्या नाम है जो उनका प्रचार कर रही है;

(ग) क्या वह एजेन्सी पूर्णरूप से भारतीय है; और

(घ) 1966 तक उन्हें कितनी धनराशि कमीशन में रूप में दी गई ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :. (क) एक (राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम) ।

(ख) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने प्रचार के लिए अभी कोई विज्ञापन एजेन्सी नियुक्त नहीं की है ।

(ग) और (घ) . प्रश्न ही नहीं उठता ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी निगमों द्वारा विज्ञापन

4147. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के या स्वायत्तशासी निगम कितने हैं;

(ख) उनका प्रचार कार्य कौन सी विज्ञापन एजेन्सी करती है;

(ग) क्या यह पूर्णरूप से भारतीय है; और

(घ) 1967 तक एजेन्सी को कितना कमीशन दिया गया ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) तीन ।

(ख) से (घ). अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-1991/67]**

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायत्तशासी निगमों द्वारा विज्ञापन

4148. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कितने सरकारी क्षेत्र अथवा स्वायत्तशासी निगमों की स्थापना की गई है ;

(ख) कौनसी विज्ञापन एजेन्सी उनका प्रचार कार्य कर रही है ; और

(ग) क्या वह पूर्णतया भारतीय है; और

(घ) 1966 तक उस एजेंसी को कमीशन के रूप में कितनी रकम दी गई ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के पांच उपक्रम हैं ।

(ख) से (घ). उपक्रमों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली के न्यायालयों में साहूकारों द्वारा दायर की गई जाली डिक्रियां

4149. **श्री रा० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 और 1967 में अब तक दिल्ली के दीवानी न्यायालयों में साहूकारों द्वारा जाली डिक्रियों के बारे में कुल कितने मुकदमे दायर किये गये;

(ख) ऐसे कितने मामलों में दिल्ली के न्यायालयों ने अपने आप ही कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 16 सितम्बर, 1967 की साप्ताहिक पत्रिका 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कोई "किंग ऑफ कोर्ट्स" (न्यायालयों का सम्राट) सभी कानूनी कार्यवाही से बचता आ रहा है और अधिकारी लोग इस बारे में इसके विरुद्ध कार्यवाही करने में असमर्थ हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन जाली डिक्रियों के निष्पादन को रोकने और संबंधित व्यक्तियों को उनकी इस प्रकार की कार्यवाहियों के लिये दंड देने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक ।

(ख) किसी में भी नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Air Travel Concession for Students

4150. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it has been agreed to give half-fare concession to students travelling by the Indian Airlines Corporation ;

(b) if so, the class upto which the said concession is likely to be given ; and

(c) whether this concession would also be given to the students of private schools ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Students of the age-group 12-26 years studying in institutions recognised by Government or Universities are entitled to 50% concessional fares on domestic services.

(b) The concession is not dependant on the class but the age-group.

(c) Yes, Sir, provided such schools are recognised either by Government or by a University.

मंगलौर बन्दरगाह परियोजना

4151. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक बनाये गये नक्शों के अनुसार मंगलौर बन्दरगाह परियोजना की इमारतों, सड़कों तथा जल प्रसार का प्लिन्थ एरिया कितना है; और

(ख) प्लिन्थ एरिया से अधिक भूमि का अर्जन करने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संशोधित वेतनमान दिये जाना

4152. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने विश्वविद्यालयों और कालिजों के प्राध्यापकों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संशोधित वेतनमानों को क्रियान्वित किया है;

(ख) क्या सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किसी राज्य को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संशोधित वेतनमानों को क्रियान्वित करने के लिये अपने हिस्से का खर्च दिया है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा उन्हें कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) जिन राज्यों ने अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित वेतनमानों को क्रियान्वित नहीं किया है, उन्हें इनको क्रियान्वित करवाने के लिये प्रेरित करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाना और जम्मू-काश्मीर तथा केन्द्रशासित क्षेत्र पांडिचेरी की सरकारों ने विश्वविद्यालयों और/या कालिजों के अध्यापकों के वेतनमानों को संशोधित करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं ।

(ख) और (ग) . संशोधित वेतनमानों को कार्यान्वित करने के लिये 1966-67 के दौरान शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित अनुदानों का भुगतान किया गया है :

राज्य	अदा की गई अनुदान की राशि
पश्चिम बंगाल	29.44 लाख रुपये
असम	5.84 लाख ,,
उत्तर प्रदेश	48.00 लाख ,,
आन्ध्र प्रदेश	37.44 लाख ,,

अन्य राज्यों से अनुदानों के लिये विस्तृत प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(घ) संशोधित वेतनमानों की योजना को कार्यान्वित करने का प्रश्न मूलतः राज्य सरकारों से संबंध रखता है । फिर भी केन्द्रीय सरकार शेष राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों को इस मामले में राजी करने का प्रयास कर रही है ।

नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता

4153. **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री रवि राय :
श्री नम्बियार :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री रमानी :
श्री उमानाथ :
श्री एस्थोस :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में से लगभग 12,000 पुस्तकें तथा दस्तावेज गायब हैं और इसके अतिरिक्त 10,000 पुस्तकें क्षतिग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस समय नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में कुल कितनी पुस्तकें हैं और वहां प्रत्येक वर्ष कितनी नई पुस्तकें और आ जाती हैं और हर महीने नेशनल लाइब्रेरी के पुस्तकें देने वाले अनुभाग द्वारा कितनी पुस्तकें अपने सदस्यों को दी जाती हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पुस्तकालय में संग्रहीत पुस्तकों की संख्या 12 लाख से अधिक है। पिछले पांच वर्षों में औसतन 42,050 पुस्तकों का प्रतिवर्ष संग्रह किया गया। 1966-67 वर्ष के दौरान उधार दी गई पुस्तकों की प्रतिमास औसत संख्या 6,419 है।

Pak Agent in Kosi Project

4154. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item appearing in a Hindi Weekly "Panchjanya" published from Lucknow alleging that a Pakistani agent was working as an Engineer in the Kosi Project ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). The information in respect of the allegation in the news item is being collected and it will be laid on the Table of the House in due course.

भूतपूर्व पंजाब के कर्मचारी

4155. **श्री बूटा सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के भूतपूर्व राज्य के कितने कर्मचारियों ने राज्य पदालियों का पुनर्निर्धारण करने के लिये आवेदन किया है;

(ख) क्या इन अभ्यावेदनों के बारे में महासचिवों की समिति ने अपनी सिफारिश भेज दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या समिति द्वारा अपना कार्य पूरा किये जाने के बारे में कोई कालावधि निश्चित की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) 11,547 कर्मचारियों ने अस्थायी रूप से दूसरे राज्य में लगाये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन भेजे हैं।

(ख) 11 विभागों के सम्बन्ध में सिफारिशें प्राप्त हुई हैं।

(ग) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई परन्तु सम्बन्धित सरकारें इस कार्य को शीघ्र करने का प्रयत्न कर रही हैं।

भारत के नौवहन निगम द्वारा पुराने जहाज का खरीदा जाना

4156. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के नौवहन निगम ने स्पेन के किसी स्रोत से 35 लाख रुपये का एक पुराना जहाज खरीदा है;

(ख) क्या इस जहाज को पिछले कई महीनों से अमरीका में गोदी में रोका हुआ है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसकी मरम्मत पर विदेशी मुद्रा में 20 लाख रुपये का खर्च आने का अनुमान है यद्यपि इस जहाज ने भारतीय झण्डे के अधीन एक बार भी सामान नहीं ढोया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे गन्दे सौदे के लिये जिम्मेदारी के बारे में कोई जांच की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जिस जहाज का उल्लेख किया गया है वह मोटर टेंकर "नरवा" है जिसका नाम अब "देश सेवक" रखा गया है। मई 1967 में जब भारतीय नौवहन निगम ने उसे खरीदा था तो वह नार्वे का जहाज था (स्पेन का नहीं)। यह 10531 जी० आर० टी० और 16070 डी० डब्ल्यू० टी० का 1950 में बना जहाज है और भारतीय नौवहन निगम ने 2,32,500 पौंड पर खरीदा था जो 48,82,500 रुपये के बराबर है (न कि 35 लाख रुपये) इतना पुराना जहाज इसलिये खरीदा गया था क्योंकि इण्डियन आयल कार्पोरेशन के लिये केवल 4 वर्ष के लिये उसकी आवश्यकता थी। फिर भी खरीदने से पहले निगम के दो वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों ने उसे देखा था जिन्होंने उसके कुछ पुर्जे खोलकरके देखकर उसके खरीदने की सिफारिश की थी। जहाज की सारी मशीनों को न तो खोला जाता है और न खोलना सम्भव है। लन्दन में जहाज के मूल्य निर्धारित करने वाली एक सुप्रसिद्ध फर्म से उसका मूल्यांकन करवाया गया था और इस मूल्य से कम मूल्य पर सौदा किया

गया था । इसके साथ अनुमान यह था कि विक्रेता लायड रजिस्टर आफ शिपिंग से सर्वोच्च श्रेणी के लिये सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त करके जहाज देंगे । यह कार्य विक्रेता ने पूरा कर दिया था और लायड प्रमाण-पत्र 1971 तक मान्य है ।

(ख) और (ग). यह जहाज कादीज (स्पेन) में 4-5-1967 को दिया गया था । उसके बाद उसके ढांचे में कुछ परिवर्तन किये जाने थे जिससे वह भारतीय समुद्र में चलने के योग्य बन जाये । उसमें लगे जनरेटर आदि कुछ पुर्जों की मरम्मत करना भी आवश्यक हो गया था । मशीनें खोलने पर पता चला कि उसको भली-भांति चलाने के लिये कुछ पुर्जों को भी बदलना होगा । पुराना जहाज खरीदने के बाद इस प्रकार की मरम्मत करने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि एक बार बेचने का निर्णय कर लेने के बाद पहले वाले मालिक उसकी ठीक तरह से देखभाल नहीं करते । जिबराल्टर पर इस जहाज की मरम्मत की गई थी परन्तु वह केवल अनिवार्य पुर्जों की की गई थी क्योंकि उस पत्तन पर मरम्मत की, फालतू पुर्जे प्राप्त करने की और श्रम सम्बन्धी कठिनाइयां थीं । जिबराल्टर पर इन मरम्मतों की लागत 5.36 लाख रुपये थी और 16-7-1967 को भारत के लिये 'लुबरिकेटिंग आयल' लादने के हेतु अमरीका के लिये जहाज चल पड़ा । वह 5-8-1967 को फिलडेलफिया पहुंचा जिसके बाद जहाज के 20 टैंक अच्छी प्रकार से साफ करने थे क्योंकि उनमें पहले गंदा तेल लादा जाता था जबकि अब उनमें लुबरिकेटिंग आयल लादा जाना था जिसके लिये अत्यधिक सफाई की आवश्यकता होती है । अमरीका में भारी खर्च से बचने के लिये जहाज के अधिकारियों तथा चालकों ने स्वयं सारी सफाई की और केवल रसायन वहां से खरीदे गये थे । सफाई का यह काम दो महीने में हुआ था । जब यह जहाज सफाई के लिये फिलडेलफिया में था, उस कालावधि में जितनी मरम्मत की जा सकती थी, वह की गई और बाकी मरम्मत छोड़ दी गई । इस प्रकार फिलडेलफिया में जहाज की मरम्मत पर 5.26 लाख रुपये खर्च किये गये थे और वह 1-10-1967 को वहां से बेटनरौज पत्तन के लिये चल पड़ा था । 15-10-1967 को वहां से लुबरिकेटिंग आयल लादा गया और 18-10-1967 को वह जहाज बेटाऊन के लिये चल पड़ा जहां से और तेल लादना था । 2-11-1967 को वह वहां पहुंचा और वहां से लाद करके 11-11-1967 को भारत के लिये चल पड़ा । इस थोड़ी-थोड़ी क़ालावधि में भी यथा-सम्भव जहाज की मरम्मत की जाती रही और इस प्रकार की मरम्मत पर 69,000 रुपये खर्च हुए । इस प्रकार जहाज की मरम्मत पर कुल खर्च 11.31 लाख रुपये हुआ और न कि 20 लाख रुपये जैसाकि प्रश्न में बताया गया है । यह जहाज अब बम्बई जा रहा है जहां वह अब से एक महीने से कम अवधि में पहुंच जाने की आशा है । लुबरिकेटिंग आयल की इस एक ही लदान के लिये भारतीय नौवहन निगम को एक विदेशी तेल कम्पनी से 20.83 लाख रुपये के बराबर भाड़ा पहले ही मिल चुका है ।

(घ) इस टेंकर को खरीदने में कोई गलती नहीं हुई, इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय सीमा क्षेत्रों पर पाकिस्तानी हमले

4157. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष अक्तूबर और नवम्बर में सशस्त्र पाकिस्तानियों ने

पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा के सीमा क्षेत्रों में अनेक बार भारतीय गांवों पर हमले किये थे ;

(ख) क्या इन हमलों में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स तथा पूर्व पाकिस्तान सरकार की सशस्त्र पुलिस ने इन सशस्त्र पाकिस्तानी हमलावरों की सक्रिय सहायता की थी;

(ग) क्या इन पाकिस्तानी हमलों के दौरान ये हमलावर कुछ भारतीयों को उठा ले गये थे और बहुत से लोगों को घायल कर गये थे और वे बहुत से पशुओं को भी जबरदस्ती हांक ले गये थे; और

(घ) यदि हां, तो सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये और अपहृत भारतीयों को छुड़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां । अक्तूबर और नवम्बर 1967 के दौरान पश्चिम बंगाल में 13, आसाम में 14, और त्रिपुरा में 7 हमले किये गये थे ।

(ख) आसाम सीमा पर दो घटनाओं में हमलावरों के साथ ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के सैनिक थे ।

(ग) इन हमलों में वे 9 भारतीयों को उठा ले गये थे, 11 व्यक्ति घायल हुए और 1 मारा गया था । हमलावर 103 पशु भी हांक ले गये थे ।

(घ) सभी मामलों में पाकिस्तान को रोष-पत्र भेजे गये थे और प्रत्येक रोष-पत्र में और सीमा पर सामयिक बैठकों में भी पाकिस्तान से अनुरोध किया था कि वे सीमा क्षेत्र में अपराधी तत्वों पर नियन्त्रण रखें और इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न होने दें । सतर्कता और गश्त तेज कर दी गई है ।

भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा का भारतीय प्रशासन सेवा में विलय

4158. **श्री प्रताप सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रीय संवर्ग का पुनर्गठन करके भारतीय सीमांत प्रशासन सेवा का दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग में विलय की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग के वर्तमान पदाधिकारियों की सलेक्शन ग्रेड और 'सुपर-टाइम' पदों पर नियुक्ति के बारे में वरिष्ठता की सुरक्षा के लिए क्या उपाय निर्धारित करने का विचार है;

(ग) क्या इस मामले में हिमाचल प्रदेश की सरकार और दिल्ली प्रशासन से परामर्श किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो नये संवर्ग के बनाये जाने के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) योजना की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है ।[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-1992/67**] संयुक्त दिल्ली-हिमाचल प्रदेश संवर्ग की भारतीय प्रशासन सेवा के वण्टन वर्ष पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ग) और (घ). जी नहीं, श्रीमान् । यद्यपि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने योजना के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है उनके अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है ।

जम्बो बोइंग विमान खरीदने के लिये ऋण

4159. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्बो बोइंग विमान खरीदने के लिये अमरीकी बैंकों के एक सार्थ-संघ के साथ सरकार ने ऋण सम्बन्धी एक करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). एयर इंडिया दो बोइंग 74 विमानों (जम्बो जेट) के खरीद की डालर लागत की 6 करोड़ डालर की राशि के भुगतान की वित्त व्यवस्था के लिए ऋण प्राप्त करने के लिये यू० एस० कार्मशियल बैंकों और एक्जिम बैंक के साथ बातचीत कर रही है । बातचीत अन्तिम दौर पर है ।

आयातित वस्तुओं को जहाजों द्वारा लाना

4160. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने समुद्रपार देशों से आयातित वस्तुओं को कान्फ्रेंस लाइन्स के जहाजों द्वारा लाने का प्रबन्ध किया है;

(ख) इस प्रकार अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को नौवहन संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराने में क्या बाधायें हैं; और

(ग) कान्फ्रेंस लाइन्स के जहाजों द्वारा नौवहन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) मंत्रालय कान्फ्रेंस लाइन्स के जहाजों द्वारा सरकार के खर्च पर माल लाने-ले जाने का प्रबन्ध करता रहा है ।

(ख) सरकार अपने माल के लिये प्रबन्ध कर सकती है, यह निजी माल के लिये प्रबन्ध नहीं कर सकती, इसका सम्बन्धित लोगों को प्रबन्ध करना होता है । हां, निजी आयात करने वाले

कान्फ्रेंस लाइन्स के साथ व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा विचार है कि हाल में गठित हुई शिपर्ज कौंसिल्ज इन समस्याओं पर विचार करेगी।

(ग) जहां तक सरकारी माल के बारे में वर्तमान व्यवस्था है यह कांफ्रेंस लाइन्स के साथ ठीक ढंग से चल रही है।

निर्यात व्यापार के लिये जहाज

4161. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल को उतारने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने तथा चढ़ाने की आधुनिक व्यवस्था वाले तीव्रगामी जहाज न होने के कारण प्रतियोगी बाजारों में हमारे निर्यात, विशेषतया मैंगनीज के निर्यात को काफी क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात व्यापार में प्रयोग में लाये जाने वाले जहाजों तथा पश्चिमी देशों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले जहाजों का ब्योरा पृथक-पृथक क्या है और पश्चिमी देशों के जहाजों की तुलना में हमारे देश द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले जहाजों के गुणावगुण क्या हैं; और

(ग) त्रुटियों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रबंध किये गये हैं और अब तक उनसे क्या परिणाम निकले हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). हमारे निर्यात को भारतीय बन्दरगाहों पर माल लादने तथा उतारने की पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण ही क्षति होती है यह क्षति आधनिक तेज गति वाले जहाजों के न होने के कारण नहीं होती। भारतीय जहाजों के लगभग 93 प्रतिशत जहाज पन्द्रह वर्षों से कम अवधि के हैं। मैंगनीज का निर्यात मुख्यतः एफ० ओ० बी० टी० के आधार पर होता है। क्रय करने वालों को भारतीय बन्दरगाहों की शर्तों के अनुसार जहाज लेने होते हैं। साधारणतः जहाजों की क्षमता 10 से 12 हजार टन की होती है। मैंगनीज वाहक जहाज भारत-ब्रिटेन-यूरोप व्यापार मार्गों पर चलते हैं जिनमें आधुनिक उपकरण लगे होते हैं। बन्दरगाह सुविधाओं के मामले में हमारे प्रतियोगी दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, और गेबान हमारे से अच्छी स्थिति में हैं क्योंकि वहां पर 40,000 से 60,000 टन तक के वाहकों का प्रबन्ध है और वहां मशीनों द्वारा लदान की व्यवस्था है, जिसके फलस्वरूप वहां लदान दर अधिक हैं। अपनी बन्दरगाहों के नवीकरण में ही इसका समाधान है। बन्दरगाहों के विकास का कार्यक्रम पहले ही चल रहा है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की विशेष भर्ती

4163. **श्री राम चरण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 21 अप्रैल, 1959 के तारांकित प्रश्न संख्या 1940 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने दिसम्बर 1956 में भारतीय प्रशासनिक सेवा की विशेष

भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण केन्द्रीय सचिवालय के कुछ कर्मचारियों को उस सेवा में लेने का वचन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने कर्मचारियों को भारतीय असैनिक सेवा में नियुक्त कर लिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Indo-German Agreement

4165. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Education** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that an agreement for the exchange of scientists has been entered into between India and the Federal Republic of Germany ;

(b) if so, the number of Indian Scientists who have been sent to the Federal Republic of Germany so far and the number of German Scientists who are working in India ; and

(c) the proportionate share of expenditure on the exchange of scientists to be borne by each Government ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) The Council of Scientific and Industrial Research has entered into an arrangement with the German Academic Exchange Service of the Federal Republic of Germany for exchange of scientists.

(b) Under the arrangement, 40 Indian scientists have visited the Federal Republic of Germany so far. No West German scientist is at present working in any National Laboratory under the exchange programme.

(c) International travel expenses of the scientists are borne by the sending country and the receiving country meets expenses on their board and lodging, and other incidental expenses.

अन्दमान परिवहन विभाग

4166. **श्री गणेश : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 से 1967 तक अन्दमान परिवहन विभाग ने कुल कितने ट्रकों और मोटर साइकलों की नीलामी की है;

(ख) उनको नीलाम करने के क्या कारण थे और प्रत्येक मोटर गाड़ी को कितने समय तक प्रयोग किया गया था; और

(ग) सरकारी परिवहन वर्कशाप में ऐसी कितनी मोटर गाड़ियों की मरम्मत की गई थी अथवा उनको नया रूप दिया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वर्ष 1962-67 के

दौरान परिवहन विभाग ने निम्न गाड़ियों की नीलामी की :

ट्रक	25
लैंड रोवर	1
मोटर साइकल	5

(ख) इन गाड़ियों की मरम्मत से कोई लाभ नहीं होगा। प्रत्येक गाड़ी के प्रयोग की अवधि का ब्योरा एक विवरण में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-1993/67]

(ग) इन गाड़ियों की नीलामी के बाद कोई मरम्मत या इनको नया रूप नहीं दिया गया। 22 नवम्बर, 1962 को जब सरकार ने लैंड रोवर को जब्त किया तो उसकी कुछ मामूली मरम्मत की गई थी।

अन्दमान विशेष वेतन

4167. **श्री गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 29 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2405 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान विशेष वेतन के बारे में गृह-कार्य मंत्रालय के पत्र दिनांक 22 जनवरी, 1951 में दिया गया निर्णय अन्तिम तथा बिना शर्त है;

(ख) यदि हां, तो अन्दमान में जन्म लेने वाले परन्तु मुख्य भूमि से भर्ती होने वाले लोगों को अन्दमान विशेष वेतन न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या अन्दमान का विशेष वेतन पाने के लिये कौन सी अन्य शर्तें हैं और वह किस उपयुक्त प्राधिकारी के आदेशों से दिया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) द्वीपों में लोगों को जाने के लिये प्रोत्साहन के रूप में मुख्य भूमि से आने वाले और प्रतिनियुक्त को अन्दमान विशेष वेतन दिया जाता है। द्वीपों के लोगों को ऐसे प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार के 22 जनवरी, 1951 के आदेश के पीछे यही बात है और उसे नियमित रूप से अमल किया जा रहा है।

घोंघे निकालने के लाइसेंस की नीलामी

4168. **श्री गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 अगस्त, 1967 "डेली टेलीग्राम्स" (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह) में कितने क्षेत्रों में से घोंघे निकालने के लाइसेंसों की नीलामी के लिये विज्ञापन दिया गया था;

(ख) क्या 1 सितम्बर, 1967 को नीलामी के समय कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था;

(ग) क्या नीलामी के समय बोली देने वालों ने इसका विरोध किया था; और

(घ) नीलामी के समय यदि किसी क्षेत्र को छोड़ा गया था तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) नौ

(ख) जी हां। निकोबार द्वीप समूह में क्षे॰ नं० 8 और 9 को 12 सितम्बर, 1967 को जिस दिन वास्तव में नीलामी की गई थी नीलाम नहीं किया गया था।

(घ) आइलैंड ट्रेडिंग कारपोरेशन के प्रतिनिधि श्री अमीन खान ने क्षेत्र नं० 8 और 9 के रद्द किये जाने के विरुद्ध अपना विरोध व्यक्त किया था ।

(घ) प्रशासनिक और सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से क्षेत्र नं० 8 और 9 को शामिल नहीं किया गया था।

संसद् भवन के निकट गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

4169. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 नवम्बर, 1967 को पार्लियामेंट हाउस के निकट 44 व्यक्तियों को, जिनमें महिलायें और बच्चे भी शामिल हैं, बस से घसीट कर गिरफ्तार किया गया था;

(ख) क्या उनको मारा पीटा गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इन सब व्यक्तियों को जेल में अपराधियों के साथ रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत लागू हुए निषेधात्मक आदेशों के उल्लंघन के कारण 44 व्यक्तियों को जिनमें 2 महिलाएं तथा 2 लड़के थे गिरफ्तार किया गया था और पटेल चौक के निकट 23 व्यक्तियों को उस समय पकड़ा गया जब वे बस से उतर कर एक गैर-कानूनी जलूस के रूप में संसद भवन की ओर जाने लगे थे।

दूसरे 21 व्यक्तियों को रैड क्रास रोड पर गिरफ्तार किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल में हिंसा

4170. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व भू-राजस्व मंत्री, श्री एच० के० कोनार

ने संयुक्त मोर्चा सरकार के हटाये जाने पर पश्चिम बंगाल के लोगों से रेलवे, मोटरगाड़ी यातायात तथा अन्य सभी सामान्य गतिविधियों को भंग कर देने के लिये कहा था;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की रक्षा करने तथा लोगों को हिंसात्मक कार्यवाही करने से रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(ग) क्या सरकार को हिंसा तथा गैर-कानूनी कार्य किये जाने तथा हथियार जमा किये जाने के समाचार मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व भू-राजस्व मंत्री श्री एच० के० कोनार ने 16-11-67 को बर्दवान के स्थान पर एक सार्वजनिक सभा में यह कहने के समाचार प्राप्त हुए थे कि यदि राज्य के संयुक्त मंत्रिमंडल को समाप्त कर दिया गया तो सभी मोटर गाड़ियों को रोक दिया जायगा और फैक्ट्रियों में काम बन्द कर दिया जायेगा। इस प्रकार प्रशासन को अस्तव्यस्त कर दिया जायेगा। पश्चिमी बंगाल के बहुत से दैनिक पत्रों में भाषण प्रकाशित हुआ था। और इसका किसी ने भी खण्डन नहीं किया है। उक्त भाषण के सत्यता का विश्वास न करने के राज्य सरकार के पास कोई कारण नहीं हैं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये पर्याप्त कदम उठाये गये हैं।

(ग) हथियारों के जमा किये जाने की कोई जानकारी नहीं है। 22 और 23 नवम्बर के दंगों के अतिरिक्त हिंसा और अराजकता का और कोई समाचार नहीं मिला है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य
STATEMENT BY THE MINISTER

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : 2-3-1966 के निम्न अतारांकित प्रश्न के उत्तर में एक आश्वासन दिया गया था :

(क) प्रकाशित समाचारों अथवा लेखों के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं के सम्पादकों, मुद्रकों, प्रकाशकों अथवा लेखकों के विरुद्ध भारत सुरक्षा नियमों (1962) के अन्तर्गत अब तक कितने अभियोग चलाये गये हैं;

(ख) अन्तर्ग्रस्त समाचारों तथा पत्रिकाओं के क्या नाम हैं; और

(ग) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं ?

2. आवश्यक जानकारी एकत्र करने के बाद 14-6-66 को आश्वासन पूरा कर दिया गया था।

3. आश्वासन के पूरे किये जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना दी की कानपुर के दैनिक पत्र 'सियासत जदीद' के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक के बारे में भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत अभियोग सम्बन्धी जानकारी ठीक नहीं थी। राज्य सरकार ने कहा पहले दी गई यह सूचना कि सम्पादक को उच्च न्यायालय ने मुक्त कर दिया था गलत थी। वास्तविक स्थिति यह थी कि उच्च न्यायालय ने सम्पादक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।

4. राज्य सरकार द्वारा अब दी गई सूचना के अनुसार प्रश्न के उत्तर में यह शुद्धि कर ली जाये।

"इस समाचारपत्र के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक के विरुद्ध एक सामप्रदायिक आपत्तिजनक लेख लिखने के कारण एक केस दर्ज किया गया था। राज्य सरकार ने बाद में अभियोग वापस ले लिया। यह भारत रक्षा नियम, 1962 के बारे में पुरीक्षित नीति को ध्यान में रखते हुए किया गया।"

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सड़क परिवहन करारोपण समिति का अन्तिम प्रतिवेदन

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मै सड़क परिवहन करारोपण जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-1973/67]

नौसेना समामोह सेवा की शर्तें तथा विविध (छठा संशोधन) विनियम, 1967

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (छठा संशोधन) विनियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 25 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 362 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-1974/67]

गोवा, दमण और दीव (समाविष्ट कर्मचारी सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1967

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से गोवा, दमण और दीव (समाविष्ट कर्मचारी) अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत गोवा, दमण और दीव (समाविष्ट कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम,1967 की एक प्रति जो दिनांक 21 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3702 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-1975/67]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है कि लोक सभा द्वारा 28 नवम्बर, 1967 को पास किये गये सूती कपड़ा कम्पनियां (उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था तथा परिसमापन अथवा पुनःस्थापन) विधेयक, 1967 से राज्य सभा 11 दिसम्बर, 1967 को हुई अपनी बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILL AND RESOLUTIONS

सत्रहवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

भूकम्प के कारण कोयना नगर और परियोजना को पहुंची क्षति के बारे में वक्तव्य
STATEMENT Re. DAMAGE TO KOYNANAGAR AND PROJECT DUE TO EARTHQUAKE

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : कोयना बांध का निर्माण कार्य 1956 में आरम्भ किया गया था और जलाशय की सर्वप्रथम आंशिक भराई 1961 में शुरु की गई थी। बिजली उत्पादन का आरम्भ 1962 में हुआ था जोकि अब महाराष्ट्र राज्य में उत्पन्न हो रही कुल बिजली के लगभग 40 प्रतिशत के बराबर है।

पिछले चार वर्षों में हल्के से भूकम्प आए उनका पता लगाने तथा उनको रिकार्ड करने के लिये भूकम्प सूचक संयंत्र लगाए गए। इसकी सलाह विशेषज्ञों की उस समिति ने दी थी जिस को महाराष्ट्र सरकार ने भूकम्पीय व्याघातों के अध्ययन के लिए 1963 में नियुक्त किया था।

इस वर्ष 13 सितम्बर को सुबह 11 बजकर 39 मिनट पर भूकम्प का भारी झटका आया। समिति की बैठक तत्काल ही बुलाई गई और दो जापानी विशेषज्ञों प्रो० ओकामोटो तथा प्रो० तानीमोटो से भी परामर्श किया गया। इन विशेषज्ञों ने बांध स्थल का निरीक्षण भी किया। जापानी विशेषज्ञों का यह मत था कि भूकम्प के भारी झटके तक्षणीय थे और उन्होंने यह राय

प्रकट की कि कोयना बांध कदाचित सितम्बर, 1967 के झटकों से बड़ी तीव्रता के झटके का अनुभव नहीं करेगा।

11 दिसम्बर, 1967 की सुबह चार बजकर बाइस मिनट पर कोयना में भूकम्प के तीव्र झटके रिकार्ड किये गए। ये झटके अपनी विभिन्न तीव्रताओं में अहमदनगर, बेलगांव, बीजापुर, बम्बई, भड़ौच, गोआ, नन्दाद, ऊटी, रत्नगिरि और हैदराबाद में भी अनुभव किए गए। इस भूकम्प की तीव्रता भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर अनुभव किये गए पिछले भूकम्पों की तीव्रता से बहुत अधिक थी। बड़े भूकम्प आने से पहले 10 दिसम्बर की मध्य रात्रि से लेकर 11 दिसम्बर की सुबह तक हलके-हलके झटके आए थे। कोयना में रिकार्ड किया गया मुख्य झटका एक के बाद एक तीन दौरों में आया था। और मुख्य झटके के बाद 11 दिसम्बर को शाम के 3.20 तक लगभग 50 हलके झटके रिकार्ड किये गये। इसके बाद अगले 24 घंटों में पूना की वैधशाला ने 50 और झटके रिकार्ड किये। 12 तारीख को मेरे निरीक्षण के दौरान मैंने 3 हलके झटकों को अनुभव किया इनमें से सबसे तेज ग्यारह बजकर उनचास मिनट पर हुआ जबकि मैं भूगर्भीय बिजली घर में था। भूकम्प विशेषज्ञों का कहना है कि जिस प्रकार का तीव्र झटका 11 दिसम्बर को आया, इसके बाद भी साधारणत: हलके-हलके झटके कई दिनों तक आते रहते हैं। उनका यह भी कहना है कि भूकम्पों के आने के समय तथा स्थान के बारे में पहले से बताने के लिये कोई वैज्ञानिक उपाय नहीं हैं।

11 दिसम्बर को आए अति तीव्र भूकम्प का केन्द्र कोयना से तीन मील दूर था। रिशटर मान के अनुसार इस भूकम्प का परिणाम 7.5 था और इसे बड़ा झटका माना जाता है जिसके कारण इसके केन्द्र के पास महान क्षति हो सकती है। यन्त्रों द्वारा अंकित किये गये आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है किन्तु अनुभव किया जा रहा है कि कोयना नगर के निकट भूकम्प के परिणामस्वरूप आई तीव्रता अनुमानत: गुरुत्व की 20 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की है।

भूवैज्ञानिकों का यह मत रहा है कि कोयना बांध की स्थिति भूगर्भीय दृष्टिकोण से संसार के सबसे दृढ़ भाग में है। इसलिये बड़े भूकम्पों की कोई आशंका नहीं थी। इस पर भी सावधानी के तौर पर बांध तथा तत्सम्बन्धी निर्माण कार्य इस प्रकार किये गये थे कि वे इस मास की 11 तारीख को हुए भूकम्प की 1/4 तीव्रता को वहन कर सकें।

भूकम्प के आने की सूचना मिलते ही मैं तत्काल स्थल पर गया और परियोजना के विविध भागों का विस्तृत निरीक्षण किया। 12 दिसम्बर को मेरे निरीक्षण के दौरान महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री श्री एस० वी० चह्वान तथा उद्योग व बिजली मंत्री श्री आर० ए० पाटिल भी उपस्थित थे। मैं अपने साथ एक भूवैज्ञानिक, बांध निर्माण के कार्यभारी मुख्य अभियन्ता और केन्द्र तथा राज्य के सम्बन्धित अधिकारियों को ले गया था।

निरीक्षण से कोयना परियोजना के महत्वपूर्ण भागों के बारे में जो कुछ पता चला है उसे

नीचे दिया जाता है। महत्वपूर्ण भागों में से जिस एक भाग का निरीक्षण नहीं किया गया वह जल संवाहक प्रणाली (सुरंग) थी क्योंकि उसमें पानी भरा था।

कोयना बांध : बांध बिल्कुल ठीक है वहां किसी प्रकार की क्षति नहीं दिखाई देती। पृथ्वी तथा उसके ऊपर बांध के हिलने से, ऐसा प्रतीत होता है कि उमड़मार्ग पुल, जो बांध से अलग है, तथा मुख्य बांध के बीच के भाग में भी सापेक्ष कम्पन हुआ। फलस्वरूप मुण्डेरों पर तथा पुल की सिल्ली पर दरारें पड़ गईं। ये दरारें कोई बहुत बड़ी नहीं हैं और इनकी मरम्मत हो सकती है। 2002 पर स्थित आपरेशन गेलरी में बहुत कम पानी का स्राव हुआ है, जबकि निरीक्षण के समय पानी का स्तर 2161 था जिससे पता लगता है कि बांध को कोई हानि नहीं पहुंची। बांध के दोनों ओर जुड़ी हुई जमीन में दरारें पड़ गई हैं। ऐसी दरारें साधारणतः तीव्र भूकम्पों के द्वारा पड़ जाती हैं और आसानी से ठीक की जा सकती हैं।

इन्टेक टावर : आम तौर पर इस प्रकार की ऊंची तथा पतली संरचनाओं को तीव्र भूकम्पों से काफी नुक्सान पहुंचता है किन्तु सौभाग्य से इस टावर को कोई खास हानि नहीं पहुंची।

भूमिगत बिजली घर : इस बिजली घर में भूकम्प का कोई असर दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। इस वर्ष 13 सितम्बर के भूकम्प के बाद वसवार तथा ट्रांसफार्मर संवाही सुरंगों में कुछ दरारें पड़ गई थीं। विशेषज्ञों की समिति ने इसका निरीक्षण सितम्बर, 1967 में किया और यह मत व्यक्त किया था कि संभवतः ये दरारें कन्क्रीट पलस्तर में और संरचना के जोड़ों पर आई थीं। इन छोटी सुरंगों के अतिरिक्त और कहीं दरारें नहीं पाई गईं। बिजलीघर की सिविल इन्जीनियरी संरचना में 11 दिसम्बर को आये भूकम्प का कोई प्रभाव नहीं पाया गया है।

भूकम्प के परिणामस्वरूप, पोफाली के बाहरी स्विचयार्ड का एक सर्किट ब्रेकर अपनी जगह से हट गया जिसके कारण उसका इन्सूलेटर टूट गया और इसके परिणामस्वरूप जनित्र रुक गये। जैसे कि पहले कहा जा चुका है बिजलीघर के साजसामान को कोई नुकसान मालूम हुआ दिखाई नहीं देता और बिजली की सप्लाई एक या दो सप्ताह में संभवतः चालू हो जायेगी। बिजली केन्द्र के कार्यभारी इन्जीनियरों का यह विचार है कि सुरक्षा की दृष्टि से मशीनों को चलाने से पूर्व उनकी, खास तौर से वियरिंगों की पूर्ण-रूप से जांच आवश्यक है। यह कार्य आरम्भ कर दिया गया है। मैंने महाराष्ट्र बिजली बोर्ड के अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत आयोग के सदस्य (पन बिजली) तथा सदस्य (अभिकल्प और अनुसंधान) तथा अन्य इन्जीनियरों से कह दिया है कि वे स्थल पर उपस्थित रहें और शीघ्र उत्पादन पुनः चालू कर दें।

कोयना बांध तथा इससे संबंधित कार्यों के निर्माण के लिये कोयना नगर की बस्ती को भूकम्प की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकतर इमारतें गिर पड़ी हैं। केवल वही इमारतें बची हैं जिन्हें लोहे के खम्भों द्वारा बनाया गया था तथा जिनकी छतें चदरों से बनी थीं।

कोयना में लगभग सभी रिहायशी इमारतें, दफ्तर आदि अस्थायी रूप में बनाए गये थे और उनके बनाने में पत्थर, ईंट तथा खपराइलों का प्रयोग किया गया था। यह सब भूकम्प के झटकों को सहन नहीं कर सकते थे। अनुमान है कि कोयना नगर में 33 आदमी मरे और 200 व्यक्ति गम्भीर रूप से जख्मी हुये। इसमें आस पास के गांवों के रहने वाले प्रभावित लोग सम्मिलित नहीं हैं। इस भीषण विपत्ति का बड़ा हिस्सा कोयना नगर को भोगना पड़ा क्योंकि यह भूकम्प के केन्द्र के निकट था और इसकी इमारतें कच्ची थीं।

मैंने इस विपत्ति के सामने भी कोयना के मुख्य अभियन्ता तथा अन्य अधिकारियों को विश्वास से पूर्ण पाया और वे अपने कर्तव्यों को निभाने में तल्लीन थे।

कोयना बांध और तत्सम्बन्धी संरचनाएं हमारी बड़ी नदी घाटी संरचनाओं में से पहले हैं जिन्हें कि ऐसे भीषण भूकम्प का अनुभव करना पड़ा। भविष्य में इस प्रकार की भीषण भूकम्पों की उस क्षेत्र में पुनरावृति के विषय में तथा उससे बचने के लिये संरचनाओं को सुदृढ़ बनाने के उपायों के विषय में राय देने के लिये मैं एक उच्चस्तरीय समिति बनाने के लिये उचित कार्यवाही कर रहा हूं। इस उच्चस्तरीय समिति में भूकम्प विशेषज्ञ तथा इन्जीनियर तथा बाहर के उन देशों के एक विशेषज्ञ को शामिल किया जाएगा जहां भूकम्प आते रहते हैं।

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

श्री राममूर्ति (मदुरै) : 11 दिसम्बर, 1967 को गृह-कार्य मंत्री ने पश्चिमी बंगाल और काश्मीर में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट) की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में एक वक्तव्य दिया था। इस वक्तव्य तथा उस समय पर विभिन्न अन्य सदस्यों के वक्तव्यों का उद्देश्य हमारी पार्टी को बदनाम करना था। 1959 में जब चीन और भारत के झगड़ों का पता चला तो हमारी पार्टी ने यह मांग की थी कि सभी विवादों को बातचीत द्वारा सुलझाया जाना चाहिये। अब भी हमारी वही मांग है। हमें जो राष्ट्र विरोधी कहा जाता है, यह हमारे विरुद्ध राजनैतिक चालें हैं। परन्तु हम अपने शान्ति के मार्ग पर चलते जायेंगे।

नक्सलबाड़ी के नाम पर हमें बदनाम किया जाता है परन्तु यह तो केवल एक भूमि सुधार सम्बन्धी आन्दोलन था। राष्ट्र विरोधी कोई बात नहीं थी। इस आन्दोलन को संयुक्त मोर्चा सरकार ने ही समाप्त किया था, जिसमें हमारी पार्टी भी भागीदार थी।

हमारी पार्टी भारत की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करके ही कार्यक्रम बनाती है और किसी अन्य पार्टी के दबाव में नहीं आती। हमारी पार्टी के रूस और चीन की पार्टियों से भी मतभेद हैं। हमें अपने देश की जनता पर भरोसा है। और हम उसके विश्वास के पात्र हैं। हमारी पार्टी जनता की पार्टी है। इसमें लोग दल बदल कर नहीं आये। हम किसी अन्य देश के पिट्ठू भी नहीं बनना चाहते हैं। हमें अपने कार्यक्रम पर पूरा विश्वास है। किसी प्रकार के निराधार आक्षेप से हम डरने वाले नहीं हैं।

राजभाषा (संशोधन) विधेयक
तथा
राजभाषा के बारे में संकल्प—जारी

OFFICIAL LANGUAGES (AMENDMENT) BILL AND RESOLUTION
Re. OFFICIAL LANGUAGES—Contd.

डा० मैत्रेयी बसु (दारजीलिंग) : भारत में जिस रूप से अंग्रेजी बोली जाती है उससे यही सिद्ध होता है कि यह भाषा भारत में अपना स्थान बना चुकी है। श्री राममूर्ति ने कहा है कि अंग्रेजी भाषा का विकास औद्योगिक क्रान्ति के बाद हुआ है। यह बात ठीक नहीं है। क्या शेक्सपीयर इस क्रान्ति से पहले नहीं हुआ था।

तमिल भाषा एक प्राचीन भाषा है। ईसाई सम्वत् की पहली तीन शताब्दियों में इस भाषा का बहुत विकास हुआ था। उस समय यह सब भाषाओं से अधिक विकसित थी। आज की हिन्दी की उससे किसी प्रकार भी तुलना नहीं की जा सकती। हिन्दी का तो बहुत बाद जन्म हुआ है। उस समय देश के अन्य भागों में या तो पाली और संस्कृत प्रचलित थी। बाद में हिन्दी आयी। हमारे संविधान में देवनागरी लिपि में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया गया है। समय, स्थान और दूरी के कारण भाषा में अन्तर हो जाता है।

भाषाएं बहुत परिवर्तनशील होती हैं। हो सकता है समय के साथ हिन्दी में भी परिवर्तन आ जाये। हिन्दी भाषा में भी परिवर्तन होना अनिवार्य है। मेरा जन्म बिहार में हुआ और मैंने अपनी शिक्षा भी वहीं प्राप्त की थी। बिहार के उस भाग में बंगला, हिन्दी का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है।

हिन्दी हमारी सम्पर्क भाषा है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। पिछले जुलाई महीने मैं मद्रास गयी थी। वहां मैंने देखा कि जनसाधारण वहां भी हिन्दी भाषा भली प्रकार समझता है। हमें किसी भाषा के प्रचार को लोक प्रिय बनाने के लिये दंगे नहीं करने चाहिये। हम हिन्दी को संपर्क भाषा स्वीकार करते हैं परन्तु हमें अंग्रेजी अभी छोड़ना नहीं चाहिये।

Shrimati Sushila Rohatgi (Bilhaur) : Parliament is discussing an important matter today. We have to discuss this matter in a dispassionate way and with all seriousness. I feel Government should have consulted those literateures who have been given awards by Government. It is very unfortunate that they are returning those awards now as a protest against this Bill.

We have learnt that agitations have been started against this Bill. This could be avoided. If passions are aroused, the violence takes place and public property is damaged. It is not proper. This Bill is against the interest of Hindi. I hope it would be suitably amended. I hope the amendments would be accepted and Hindi would be given due recognition. Firstly I want that the entire correspondence i.e. the correspondence from both sides—with Hindi States should be only in Hindi. Secondly, it should not be compulsory for Hindi states to provide English

translation when they write to non-Hindi states. Thirdly, in the case of U.P.S.C. examinations knowledge of English and Hindi should be made compulsory.

I appeal to my countrymen that they should not think in term of South or North. Many unfortunate things are happening. We should not indulge in arson and loot. Hindi is no doubt, official language of our country. We should enrich this language by assimilating more words. It should be more easy. It should be spread by persuation and not by coercion.

I request my brethren in South India to be patient. Their difficulties are genuine. Those difficulties could be removed by mutual understanding. We should encourage the use of our own languages. The three language formula should be implemented urgently.

We should take steps to remove English as early as possible. For that a time limit should be fixed. The annual report on the progress of Hindi should be placed before Parliament and it should be discussed.

We should make Hindi popular but simultaneously we should continue the study of English also. It has got its own importance in international community.

I support this Bill alongwith my amendments.

डा० म० संतोषम् (तिरुचेंड्र) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का आरम्भ ही खराब तरीके से हुआ है। इससे किसी भी दल को तसल्ली नहीं हुई। प्रयास तो किया है कि सबको प्रसन्न किया जाये परन्तु प्रसन्न कोई भी नहीं होगा। इससे देश की एकता को आघात पहुंचेगा। कुछ कहते हैं "हिन्दी कभी भी नहीं" और कुछ कहते है "अंग्रेजी कभी भी नहीं"। हमें प्रयास करना चाहिये कि जो गर्मी इसके द्वारा पैदा हुई है वह समाप्त हो जाये। अब तक इस विधेयक के विरुद्ध गड़बड़ केवल हिन्दी-भाषी राज्यों में हुई है। यदि मद्रास जैसे गैर-हिन्दी भाषी राज्य में यह गड़बड़ नहीं हुई तो उसका कारण यह है कि वहां के लोगों को द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम दल के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। वहां संसद के लिये द०मु०क० दल ने 25 स्थानों पर अपने प्रत्याशी खड़े किये और वह सबमें सफल हुए। कांग्रेस को मद्रास राज्य में लोक-सभा के लिये केवल 3 स्थान प्राप्त हुए।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha then re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

डा० म० संतोषम् : तमिलनाड के लोग तो भाषा के सम्बन्ध में संविधान में संशोधन कराना चाहते हैं। मैं यहां पूरे जोर से कहना चाहता हूँ कि तमिल बोलने वाले व्यक्ति किसी भी समय केवल हिन्दी को सरकारी भाषा नहीं मानेंगे। ऐसा मानने से एक क्षेत्र की भाषा को अन्य

14 क्षेत्रीय भाषाओं से अधिक महत्व दिया जायेगा। यदि हिन्दी को ही राष्ट्रीय भाषा मान लिया गया तो गैर-हिन्दी भाषी लोग दूसरे दर्जे के नागरिक बन जायेंगे। यह बात हमारे मूल अधिकारों के विरुद्ध होगी।

कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हिन्दी से देश में एकता की भावना उत्पन्न होती है। मेरा कहना यह है कि यदि एकता समानता के साथ जुड़ी हुई नहीं है तो वह निरर्थक है। उसमें केवल बनावट ही होगी। संविधान की भावना में समानता के लिये बहुत महत्व दिया गया है।

हम तो इस बात पर जोर देंगे कि अंग्रेजी को ही सम्पर्क भाषा बनाया जाये। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें अंग्रेजी से अधिक प्रेम है परन्तु हम समझौते के रूप में अंग्रेजी को मान रहे हैं। ऐसा मानने में हम एक त्याग कर रहे हैं और इसी प्रकार का त्याग हम हिन्दी भाषी लोगों से भी चाहते हैं। इससे देश में एकता बढ़ेगी।

कुछ लोग हिन्दी की दुहाई देशभक्ति के नाम पर भी देते हैं। देशभक्ति दो प्रकार की होती है। एक तो वह जिसका आधार केवल भावना होती है और दूसरा वह जो तर्क पर तथा व्यावहारिकता पर आधारित होती है। हम चाहते हैं कि व्यावहारिकता पर आधारित देशभक्ति अच्छी होती है। मैं तो कहता हूं कि जो व्यक्ति 14 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा समझता है वह भी देशभक्त है। हमें यदि कोई घातक बीमारी दूर करने के लिये अंग्रेजी दवाई खानी पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमने अंग्रेजी भाषा द्वारा अंग्रेजों को यहां से निकाल दिया। इसलिये इस भाषा को दासता का चिह्न नहीं कह सकते। इस भाषा के द्वारा हमारे नवयुवक दूसरे देशों में रोजगार भी प्राप्त कर सकेंगे।

मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को वापिस लिया जाये तथा भाषा के बारे में संविधान में संशोधन किया जाये।

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam): Mr. Deputy-Speaker, the whole country is agitated over the language problem. In the south some years back a few people burnt themselves alive over the language issue. Some of the emotional stresses resulted as a consequence thereof could have been avoided.

Only patriotism could have made one language as the national language of the whole country. The slogans and symbols can be used for sometime only. If they are sustained for a long time then they are reflected in the national feeling. But we were very inactive in this respect for a very long time. This caused ill-will among the people. People even began to call that Hindi imperialism would not be tolerated. They wanted to retain the language of the imperialists namely English. I am not against English language as such. I want people to learn other European languages also.

Although I support the Bill but I do not welcome it. It is at the most a compromise though it is not a good thing in the matter of national language.

Through this Bill we are giving English a permanent place. There would inevitably be bilingualism in the central services. Hindi would be there only in name even in Hindi-speaking States.

If you want to have English or Hindi in some States only it would not continue for long. No language can become the real national language by its partial use. Our effort should be to make Hiudi a living national language.

We should use Hindi in literary, official and commercial uses. We should have a constructive agitation for use of Hindi. Hindi is easier to learn than many Southern languages. Hindi cannot progress by orthodox methods. I want non-Hindi States to take initiative for the development of Hindi as there is much scope for the development of Hindi. Even Shri Anbazhagan and Shri Namboodiripad have stated that they are not very particular about English.

श्री मुरासोली मारान (मद्रास दक्षिण) : हमारा दल भाषा के बारे में संविधान में संशोधन चाहता है। विधेयक में परस्पर विरोधी बातें लिखी हुई हैं। इसके अनुसार हिन्दी-भाषी लोगों को पहले दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है तथा गैर-हिन्दी भाषी लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। 1965 में तो श्री के० एस० रामास्वामी ने कहा था जो कि आजकल केन्द्र के गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री हैं कि भाषा के बारे में संविधान में संशोधन होना चाहिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा है कि हिन्दी को राष्ट्र की सम्पर्क भाषा बनाना चाहिये तथा अंग्रेजी को अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा बनाना चाहिये। यदि ऐसा ही है तो अंग्रेजी को ही क्यों न दोनों—राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों के लिये प्रयोग में लाया जाये। अंग्रेजी के द्वारा हम टेक्नोलोजी तथा विज्ञान भी सीख सकते हैं।

यदि आप अंग्रेजी को विदेशी भाषा कहते हैं तो हम हिन्दी को विदेशी भाषा समझते हैं।

1951 में 34 प्रतिशत लोग हिन्दी को अपनी मातृभाषा लिखते थे परन्तु 1961 में केवल 23 प्रतिशत ने हिन्दी को अपनी मातृभाषा लिखवाया। अब भोजपुरी तथा राजस्थानी भाषा वाले भी अपनी भाषाओं का विकास चाहते हैं। पहले इन सबको हिन्दी में ही शामिल किया जाता था। हमारा दल तो भारत की सब भाषाओं का विकास चाहता है। आप भाषा के नाम पर सारे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। यह लोकतन्त्र के विरुद्ध है। क्या यह भाषाई साम्राज्यवाद नहीं है ? आपने संविधान के अनुच्छेद 351 की भी अवहेलना कर रखी है।

प्रधान-मंत्री ने कहा है कि भाषा के बारे में पुनः विचार होना चाहिये। वह अपने पिता के आश्वासनों को कार्यान्वित क्यों नहीं करतीं ? 1949 में भी भाषा के प्रश्न पर सब गैर-हिन्दी भाषी नेता हिन्दी के विरुद्ध थे।

डा० सुब्बारायन ने भाषा आयोग के प्रतिवेदन में अपने विमत्ति टिप्पण में कहा है कि भारत जैसे बड़े देश के लिये एक से अधिक राजभाषायें बनाने की सम्भावना अथवा वांछनीयता के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि संविधान सभा में हिन्दी भाषी लोगों के महत्व के कारण ही हिन्दी को यह सम्मान दिया गया था।

इस संसद् के लिये संविधान बहुत सम्मानित दस्तावेज नहीं है। संविधान में संशोधन करना एक राष्ट्रीय खेल बन गया है। इन परिस्थितियों में, एक ऐसे मामले में जिसमें लोगों का जीवन तथा साहित्य खतरे में हो, संविधान में संशोधन करने से हमें बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिये।

इस बात की आशंका है कि हिन्दी भाषा गुट भारत का परशिया बनना चाहता है और भारत की राजनीति को अपने हाथ में रखना चाहता है। यह आशंका वास्तविक अथवा काल्पनिक हो सकती है इसे दूर करना हिन्दी भाषी लोगों की जिम्मेदारी है। कुछ रोजगारों को पेशकश करके लोगों की भाषा सम्बन्धी लालसा नहीं दबाई जा सकती। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम हिन्दी साम्राज्यवाद से अन्त तक लड़ते रहेंगे।

Shri Achal Singh (Agra) : The present situation is posing a great threat to the freedom of our country and the democracy. It is a matter of regret that undesirable things are happening in the country over the language question. This will not achieve any purpose.

Hindi has been recognised as the national language in the constitution. But it does not mean that the feelings of non-Hindi speaking people will be ignored. In fact, we have to march ahead together. In the present circumstances, therefore, it will be better if both Hindi and English are retained, because the main object of a language should be the maintenance of the unity of the country. It is necessary that the Bill be passed in the form in which it is acceptable to both Hindi and non-Hindi speaking people.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : हम इस विधेयक तथा संकल्प का समर्थन करते हैं यद्यपि ऐसा करना पूर्णतया सन्तोषजनक नहीं है। संशोधन विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किये गये हैं। आशा करता हूं कि सभा सर्वसम्मति से कुछ संशोधनों के लिए सहमत हो जायेगी।

वर्तमान विधेयक में जो त्रुटियां समझी गई हैं, उनके कारण सरकार के विरुद्ध जिन भावनाओं से उत्तेजित होकर लेखकों तथा कवियों सहित हिन्दी बोलने वाले राज्यों में लोगों ने जो राय व्यक्त की है, हम उसका अनादर नहीं कर सकते। यह बात हमारे लिये शर्म की है कि हम उस निर्णय को क्रियान्वित नहीं कर सकते जो संविधान बनाते समय किया गया था। अतः अब हमें दो बातों को दूर करना चाहिये। पहली तो यह कि इस विषय पर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के बहुत से लोगों द्वारा बहुत अधिक बल दिया जा रहा है और दूसरी यह कि अंग्रेजी के लिये इतना जोश प्रकट किया जा रहा है। भाषा जैसे मामले पर, जिस पर एक बार राष्ट्रीय सर्वसम्मति हो चुकी है, झगड़ा नहीं करना चाहिए।

पहले हमारी सांस्कृतिक एकता थी किन्तु इस औद्योगिक युग में हमें उस सांस्कृतिक एकता को एक नया रूप देना है। प्राचीन काल में हमें सांस्कृतिक एकता प्राप्त थी और अब औद्योगिक क्रान्ति के आधुनिक युग में हमारी यह जिम्मेवारी है कि वह सांस्कृतिक एकता इस प्रकार क्रियान्वित की जाये कि सारे देश में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक सांमजस्य हो। हमें इसी

दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हिन्दी लादे जाने की भावना पहले से ही है। इसका कारण यह है कि हमारी अपनी भाषाओं अर्थात् भारत की दूसरी राष्ट्रीय भाषाओं को उचित मान्यता तथा प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।

महाराष्ट्र से निर्वाचित सदस्य श्री नाना पटेल यहां नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी नहीं जानते हैं। कई अन्य सदस्य इसी कारण अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अध्यक्ष महोदय के सभी चौदह भाषाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में आश्वासन को सचमुच और सचाई से क्यों नहीं क्रियान्वित किया जाता ? सरकार सभा को इस बारे में क्यों नहीं बता सकती कि वह आश्वासन क्रियान्वित किया जायेगा ? यदि ऐसा आश्वासन दिया जाये तो कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि सभी भाषाओं को प्रोत्साहन मिले तो यह छोटे-छोटे विवाद समाप्त हो जायेंगे। सभी राज्यों को यह अधिकार क्यों न दे दिया जाये कि वे अपनी-अपनी भाषाओं में पत्र व्यवहार करें तथा उसका अनुवाद करा लिया जाये। सरकार इस सम्बन्ध में समझौता क्यों नहीं कर लेती ?

सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कोई मतैक्य किया जाये तथा अहिन्दी भाषी राज्यों को आश्वासन दिया जाये कि हिन्दी लादने का कोई विचार नहीं है। सरकार पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व भी है कि केवल वही संशोधन माने जायें जिन पर सहमति हो और पत्र व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक राष्ट्रीय भाषा के अधिकार के आधार पर उस समझौते को माना जाना चाहिये।

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : The feelings aroused as a consequence of the Bill, which is now before the House, are natural. It is necessary that this problem should be discussed in a calm and quiet way. It is a matter of satisfaction that both supporters and opponents of Hindi and the responsible people are trying to see that the language problem does not affect the unity and freedom of the country.

There are some defects in the Bill in its present form. Appropriate changes in the Bill are necessary to remove those defects The present situation would not have arisen if all the political parties and the State Governments were consulted and a consensus obtained before the introduction of this Bill in Parliament.

It is a matter of great regret that some Members are pleading for the indefinite continuance of English as the official language of our country. English is being retained for all time to come through the Bill. Those who think it against their national dignity to continue English as official language, are being forced to accept it in that position. We are sure that the time will come when they will realise that our own language should be our official language and a foreign language should not occupy that position.

The acts of violence are detrimental to the solidarity of the country. I feel that the anger of the people is natural if they feel that English is being imposed on them. The question of language is a national question- Therefore, it will be proper if the people belonging to all parties jointly consider this question and find out a reasonable solution.

Hindi-speaking people do not want to impose Hindi on non-Hindi people. But at the same time English should be imposed on those who do not want it. Steps should be taken to popularise Hindi so that all should accept it as the official language of the country.

The policy of the Ministry of Education on two language formula or three language formula has been indecisive. The Government will have to decide about a popular education policy so that our languages can develop and we may be able to get support for Hindi as an official language. I hope all the parties will consider the amendments to the Bill and accept them with unanimity.

Shri Rabi Ray (Puri) : I am a non-Hindi speaking person but I speak in Hindustani in this House. I will now speak in Oriya to demonstrate the affinity between Hindi, Oriya, Assamiya, Bengali and Marathi.

[श्री चपला कान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Shri C. K. Bhattacharya in the Chair]

इसके पश्चात श्री रवि राय उड़िया में बोले ।
Shri Rabi Ray then spoke in Oriya

Shri Rabi Ray: I will now speak in Hindi.

The S. S. P. does not want to impose Hindi on non-Hindi speaking regions. Dr. Ram Manohar Lohiya wanted a proper place for Indian languages. Our stand is that we should do away with English and adopt Indian languages in its place. The use of English is proving a handicap in the way of development of Indian languages and their coming closer to each other.

We supported the anti-English agitation by the students in this Uttar Pradesh. The campaign is being carried not only by those who belong to non-Hindi speaking areas. The reason is that they feel that the country must get rid of foreign language now and adopt one of its own languages as the official language.

The late Pandit Jawaharlal Nehru argued that the knowledge of modern science, and technology can only be acquired through English. His view is not correct. Dr. Satyen Bose and other well-known people had expressed the view that the knowledge of a subject can be acquired better through one's own language.

Our party is not against Tamil. The members of our party courted arrest ten years ago for the introduction of Tamil in Tamilnad. The language policy of the Congress has antagonised the Tamilians. In fact, it is not Hindi which is the enemy of Tamil. On the other hand, English is the real enemy.

The policy of our party regarding this Bill is as follows:

(1) Each state legislature will be free to decide the language of communication with the centre.

(2) Hindi should not be imposed upon those States which have not adopted Hindi for communication with the Centre.

3. Such States, which have not adopted Hindi, may use their own language at the State level and English may be continued for communication with the Centre as long as they choose.

4. In those States, which have adopted Hindi, the Central offices will work in Hindi.

5. In those States, which have not adopted Hindi, English or mother tongue may be used and Hindi will not be imposed

6. The staff belonging to Hindi-speaking States, will work in Hindi in the Central offices located in Parliament and those belonging to non-Hindi speaking States may work in English or regional language.

7. The knowledge of English should not be made compulsory in U. P. S. C. examinations for examinees from Hindi speaking areas.

8. The Central services may be reserved, state-wise, on the basis of population.

9. The language entered in the eighth schedule of the constitution will be used.

10. A number of languages may be used at the Centre.

श्री अरुमुगम (टेंकासी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यद्यपि, संविधान सभा ने हिन्दी को देश की राज भाषा के रूप में स्वीकार किया और इस परिवर्तन के लिए 15 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई, तथापि अहिन्दी भाषी राज्यों के लोग चाहते हैं कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में जारी रखा जाये, इसी मांग को पूरा करने के लिए राजभाषा विधेयक, 1963 प्रस्तुत किया गया था किन्तु इससे अहिन्दी भाषी लोगों का यह डर दूर नहीं हो सका कि यदि अंग्रेजी को इसकी वर्तमान स्थिति से तुरन्त हटा दिया गया तो हिन्दी भाषी लोग उन पर हावी हो जायेंगे। पंडित नेहरू ने अहिन्दी भाषियों की भावनाओं को समझकर ऐसे स्पष्ट आश्वासन दिये थे कि अहिन्दी भाषी लोग अंग्रेजी का केन्द्रीय राजभाषा के रूप में तब तक प्रयोग कर सकते हैं जब तक कि वे स्वयं ही हिन्दी नहीं अपनाते। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि हिन्दी उन पर नहीं लादी जायेगी। बाद में श्री शास्त्री जी ने भी इन आश्वासनों से सहमति व्यक्त की। प्रस्तुत विधेयक में ही आश्वासन निहित हैं।

यह आशंका ठीक नहीं है कि कोई एक अहिन्दी भाषी क्षेत्र हिन्दी को राजभाषा बनाने के विषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। विधेयक के खण्ड 3 (1) के द्वितीय परन्तुक में यह उपबन्ध किया गया है कि कोई भी अहिन्दी भाषी क्षेत्र कभी भी केन्द्र के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार आरम्भ कर सकता है। यह स्पष्ट है कि यदि अधिकांश अहिन्दी भाषी राज्य हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में अपनायें तो कोई एक राज्य उसे नहीं रोक सकता।

मद्रास में कुछ लोग चाहते हैं कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री के आश्वासनों को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। यह निरर्थक है क्योंकि अनुच्छेद 343 (3) के द्वारा संसद को 1965 के पश्चात् भी अंग्रेजी जारी रखने का स्पष्ट अधिकार मिला हुआ है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत संसद् ने पहले ही राजभाषा अधिनियम, 1963 को अधिनियमित किया हुआ है। इस संशोधन द्वारा अहिन्दी भाषी लोगों को पहले ही आश्वासन दिया गया है कि वे जब तक चाहें अंग्रेजी जारी रख सकते हैं। इसलिये यह संशोधन विधेयक ही काफी है।

हिन्दी को राजभाषा बनाये जाने का विरोध समाज का एक ऐसा वर्ग कर रहा है जो अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह जानता है। वे कह रहे हैं कि अंग्रेजी के बिना विज्ञान की शिक्षा नहीं मिल सकेगी। वही लोग विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने का भी विरोध कर रहे हैं।

इस बारे में निर्णय पहले ही हो चुका है कि हिन्दी भारत की राजभाषा होगी। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के कुछ लोगों तथा विद्यार्थियों पर दिल्ली में धावे हुए।

हमें त्रिभाषा सूत्र क्रियान्वित करने के लिये प्रभावशाली पग उठाने चाहिये। हमें अखिल भारतीय सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये क्षेत्रीय भाषाओं की अनुमति दे देनी चाहिये। यद्यपि विधेयक तथा संकल्प द्वारा सभी आशायें पूरी नहीं हो सकती हैं तथापि यह विधेयक उचित और बीच का रास्ता है जिसके द्वारा हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और अहिन्दी भाषी लोगों को यह आश्वासन दिया गया है कि वे जब तक चाहें अंग्रेजी जारी रख सकते हैं। इसलिये इस विधेयक और संकल्प का समर्थन किया जाना चाहिये।

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun): The people belonging to Hindi-speaking areas have produced the largest number of soldiers and they are the people who are largest producers of wheat. English language has given famines and unemployment and it has made this country a defeated country. It is an emblem of slavery of the British rulers and the earlier it was banished from our country, the better will it be. English should give place to Indian languages.

I have come across a book which is being taught in the sixth class in Delhi schools. Sanskrit is one of the languages enumerated in the Eighth Schedule of the constitution, but in that book it has not been shown in that list and its place has been given to English. Such misleading information is harmful and the Government should look into it.

I oppose the stand of Shri Vajpayee regarding equality of English and Hindi. English may continue for some time in secondary position but it cannot become a national language.

Shri Frank Anthony did not go to jail for even a single day yet since he speaks in English here, he is given 35 minutes to take part in a debate. I have defeated big guns of the Congress at the hustings yet I am given only five minutes to speak here because I speak in Hindi.

I want the language of Gita and that of Vedas which was advocated by Maharishi Dayanand should be introduced in this country. Then alone there will be peace here.

Those who love English and cannot live without it should leave this country bag and baggage. We are not against Bangla, Kannada, Malayalam but we are against English. Till such time as English is banished we will not rest content nor will let others live in peace.

Shri Amar Singh Sehgal (Bilaspur): Mr. Chairman, I was born in a Hindi-speaking State and so I love Hindi language more. I also learnt Tamil and Telgu when I was in Belore jail.

I appeal to my brothers of the South that it is not difficult for them to learn Hindi and as such they should learn this language. All our Indian languages should be given a place of

pride. In Madhya Pradesh the Higher Secondary Examinations would be conducted in Hindi and other 14 languages mentioned in the Constitution.

I support the amendment of Shrimati Sucheta Kripalani :

In 1857 when Swami Vivekanand went to Trivandrum the people there told him that they were not Aryans but Dravidians. But Swami Vivekanand told them that they were not Dravidians but Aryans. These are questions of fact.

I would request the Hon. Minister to introduce Hindi in place of English in Engineering, Medical and other Technical Institutions. All universities should recognise Hindi. One can differ about the timing for switch over.

The examinations of the U. P. S. C. should be held in Hindi and other Indian languages. the Central services all States should be given jobs on the basis of their population.

The Government has committed a mistake that they did not do their best to popularise Hindi in States. We should ponder over it in a serious manner. All parties should view this question in unison. I have great regard for all the 14 languages mentioned in the constitution of India.

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी) : सभापति महोदय, इस चर्चा में कुछ सदस्यों ने गांधी जी का नाम लिया है। परन्तु गांधी जी ने हिन्दी की नहीं अपितु हिन्दुस्तानी का समर्थन किया था तथा वह भी दो लिपियों में। मैंने इस बात का उल्लेख संविधान सभा में भी किया था परन्तु उस समय गांधी जी की बात इन लोगों ने नहीं मानी और वह बात रद्द कर दी।

मेरे बहुत से मित्रों ने अपनी-अपनी भाषाओं का समर्थन किया। मैंने भी स्वयं तमिल का समर्थन किया और कहा कि इसका अच्छा साहित्य है। इसलिये इसे देश की सरकारी भाषा बनाया जाये। उस समय भी कांग्रेस दल में भाषा के प्रश्न पर एक मत नहीं था। तथा हिन्दी को केवल एक ही मत के अधिक होने से सरकारी भाषा माना गया।

Sari O. P. Tyagi (Moradabad): No Sir, he is giving incorrect information. There was unanimity about the language issue. It was only the question of script that it was approved by a majority of one only.

श्री मुहम्मद इस्माइल : दक्षिण के लोग हिन्दी के सरकारी भाषा बनाने के आरंभ से ही विरोधी रहे हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

1937 में भी जब राजाजी मद्रास के मुख्य मंत्री थे तथा हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाना चाहते थे तो वहां इसका विरोध किया गया था। 1938 में लगभग 2000 व्यक्ति इस सम्बन्ध में जेलों में गये। 1952 में दोबारा जब राजाजी फिर मुख्य मंत्री बने तो वह हिन्दी को लागू करना चाहते थे। वहां फिर आन्दोलन हुए। अब राजाजी भी समझ गये हैं कि जनता हिन्दी को नहीं चाहती और वह भी इसके विरोधी हैं। संविधान में तो 14 भाषाओं का उल्लेख है।

फिर क्या कारण है कि केवल हिन्दी के बारे में इतना शोर मचाया जाता है ? इस प्रकार भाषाओं में समानता कहां आयेगी ?

फिर ऐसा भी कुछ करना चाहिए जिससे हिन्दी तथा गैर-हिन्दी राज्यों के लोगों पर बराबर बोझ पड़े । हिन्दी मानने से तो ऐसा हो नहीं सकता । इससे हिन्दी भाषी लोग लाभ में रहेंगे ।

भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ है । इस कारण अब मातृ भाषाओं का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया है । यदि हिन्दी को ही रखा गया तो ऐसा समय आ जायेगा कि हिन्दी बोलने वालों का ही राज्य हो जायेगा । यदि आप देश की एकता की बात करते हैं तो मैं हिन्दी भाषी लोगों से अपील करूंगा कि वे दूसरे लोगों के हितों का भी ध्यान रखें ।

अब वह नागरी लिपि की भी बात करते हैं और चाहते हैं कि बाकी भाषायें भी नागरी में लिखी जायें । इस प्रकार तो अन्य सब भाषायें धीरे-धीरे समाप्त हो जायेंगी ।

इसलिये केवल अंग्रेजी को अपनाने से ही सब पर बराबर बोझ पड़ेगा ।

विधेयक को पढ़ने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह अंग्रेजी को समाप्त करना चाहते हैं ।

यदि अंग्रेजी को रखा तो इससे अन्य भाषायें समाप्त नहीं हो जायेंगी । परन्तु यदि हमने हिन्दी को अपना लिया तो फिर अन्य सब भाषायें समाप्त हो जायेंगी ।

अंग्रेजी भाषा ने हमारे बहुत से नायकों को प्रेरणा दी तथा विचार दिये । यदि हमने अंग्रेजी को हटा दिया तो शैक्षणिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में हम पीछे रह जायेंगे । मैं चाहता हूँ कि निर्णय करने से पूर्व इन बातों पर ध्यान दिया जाये ।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh): Mr. Deputy-Speaker, in their speeches Seth Govind Das and Acharya Kripalani had stated that Hindi was accepted as the official language unanimously. The difference of opinion was only about numerals. Since Seth Govind Das has come now in the House, we may know from him what actually happend then.

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात तो संविधान सभा की चर्चा से पता लग सकती है ।

Shri K. G. Deshmukh (Amravati): Sir, my state is in Central India. It is neither in South nor in North. My language is also different from that of North and South India. Thus I want to take a balanced view. I think that no language should be imposed on anybody. In my view this quarrel is not between the North India and South India. It is a fight against English language. Now we are a free nation and Hindi has been recognised as our official language in our constitution. This decision was a unanimous decision. It is not proper to go against that decision. It was also decided that after fifteen years Hindi will take the place of English. Hindi has not been made so popular during these years and the result is before us. There is some resistance from Madras against Hindi being adopted as sole official language. I also feel that no language should be imposed on anybody. So far as the official correspondence is concerned, it should be in Hindi and to Non-Hindi-speaking states English translation should be

made available. Apart from that the non-Hindi speaking states should be provided all assistance for making Hindi popular there.

The Central Government should use both Hindi and English in its correspondence with states like Maharashtra and Gujarat, but later on when these states are prepared for Hindi only English should be discarded. It is not correct to make English and Hindi as compulsory.

The most objectionable aspect of this Bill is in regard to granting of veto power to states. It means a small state like Nagaland will have the power to block the way in declaration of Hindi being the sole official language of the country. This type of power should not be given to states. In foreign countries, when we speak English, we are ridiculed by foreigners. In Moscow once our ambassador had to face a very embarrassing situation on account of this. It is not in keeping with dignity of our country to have a foreign language as official language. I am not from Hindi speaking area but when our constitution recognises Hindi as official, all of us must bow before that decision of the Constituent Assembly. I suggest that all the languages mentioned in the schedule of the constitution should be made the media of examination conducted by the U. P. S. C. Hindi should be given the status of official language because it is our link language.

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : श्रीमान मेरा मैसूर राज्य है जो कि एक गैर हिन्दी भाषा-भाषी राज्य है । जब से देश स्वतन्त्र हुआ है हमारे समक्ष बहुत सी समस्याएं आयी हैं । परन्तु सब से जटिल समस्या भाषा की समस्या है ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain): Sir, we request that time for discussion on this subject should be extended by five hours.

Mr. Deputy Speaker: I will convey this to the Hon. Speaker. I cannot decide about this.

श्री जे० मुहम्मद इमाम : भाषा के प्रश्न पर इस सदन तथा इससे बाहर बहुत सी अप्रिय घटनाएं हुई हैं । जैसे यहां पर विधेयक की एक प्रति को जलाया गया था और बाहर डाकघरों और रेलगाड़ियों और दूसरी प्रकार की सार्वजनिक सम्पति को जलाया गया है । इस विषय का सम्बन्ध देश की एकता से है । इसलिये हमें देश को सबसे अधिक महत्व देते हुए ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये कि जिससे एकता को ठेस पहुँचे । भारत एक विशाल देश है जहां अनेक भाषायें प्रयोग में लायी जाती हैं । सभी भाषाओं का अपने-अपने क्षेत्र में बहुत महत्व है । इस अनेकता में हमें एकता को बनाये रखना है । इस महान कार्य में हम सबको मिलकर कार्य करना है । यदि हम क्षेत्रीय भावनाओं को अधिक महत्व देगें तो देश की एकता को बहुत हानि होगी । और देश की अखण्डता को बहुत खतरा हो सकता है । आज की स्थिति से यह स्पष्ट है कि हमारे देश में विघटनकारी तत्व बहुत सक्रिय हैं । स्वतन्त्रता से पूर्व ऐसी बात नहीं थी । उस समय भाषा का भी कोई विवाद नहीं था । और उस समय सभी अंग्रेजी को स्वीकार करते थे । दो सौ वर्षों तक इसके प्रयोग से हमारा इससे विशेष सम्बन्ध स्थापित हो गया है । मेरे लिये तो हिन्दी से अंग्रेजी सरल भाषा है । मेरे विचार में तो हमारे देश ने अंग्रेजी के कारण बहुत प्रगति की है । इस भाषा के कारण हमारे देश के विभिन्न राज्यों में एकता की भावना पनपी है । यदि अब हिन्दी इसके स्थान पर लायी जाये तो बहुत कठिनाइयां खड़ी हो जायंगी ।

हमें हिन्दी को एकमात्र राजभाषा घोषित करने से पहिले इसके गुणों पर विचार करना चाहिये। श्री इस्माइल के अनुसार संविधान सभा में इसे केवल एक मत के बहुमत से राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।

हिन्दी के बारे में कहा जाता है कि यह एक अविकसित भाषा है। इसका साहित्य भी उच्च कोटि का नहीं है। यह देश के बहुमत की भाषा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि अंग्रेजी को हटा दिया जाये तो बहुत कठिन स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। इससे अनेकों सरकारी कर्मचारियों को मुश्किल हो जायेगी। गैर हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के लोगों का बहुत घाटा रहेगा। उनको रोजगार ढूढ़ने में बहुत कठिनाई होगी। इस प्रकार देश की जनता के एक बहुत बड़े भाग को मुश्किल में डाल दिया जायेगा।

न्यायपालिका में काम करने वालों की विशेषरूप से बहुत कठिनाई होगी। मद्रास तथा ऐसे अन्य गैर-हिन्दी क्षेत्रों के अधिवक्ताओं का भविष्य समाप्त हो जायेगा। इसी प्रकार केन्द्रीय सचिवालय में अधिकारियों और दूसरे कर्मचारियों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। भविष्य में केवल वही लोग सरकारी सेवा में आ सकेंगे जिन्हें हिन्दी का अच्छा ज्ञान होगा। इस प्रकार गैर-हिन्दी क्षेत्रों के लोगों को सेवा में आने के लिये पहले हिन्दी ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हमें इन सब बातों की ओर ध्यान देना होगा।

कोठारी आयोग ने तीन भाषाओं वाले सूत्र की सिफारिश की है। परन्तु अब यदि अंग्रेजी को समाप्त कर दिया जाये तो हिन्दी क्षेत्र वालों को केवल एक भाषा सीखनी होगी जबकि अन्य क्षेत्रों को दो भाषाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। इस प्रकार गैर हिन्दी क्षेत्रों के लोगों को अधिक भार उठाना पड़ेगा।

दक्षिण के लोगों को पहले भी यह शिकायत है कि देश की राजधानी दिल्ली में अर्थात उत्तर में, होने के कारण दक्षिण वालों के उत्थान की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। इसीलिये हमारे मित्र श्री हनुमन्तैया ने सुझाव दिया था कि देश का प्रधान मंत्री बारी-बारी से उत्तर और दक्षिण भारत से चुना जाना चाहिये। हिन्दी के लादे जाने के भय ने लोगों के मन में बहुत हलचल उत्पन्न कर दी है। उन्हें भय है कि वे उत्तर वालों के एक प्रकार से दास बना दिये जायेंगे। इससे देश की अखण्डता को खतरा उत्पन्न हो जायेगा। इसलिये हमें सावधान होना चाहिए।

देश की एकता सर्वप्रथम बात होनी चाहिये। हमें सब प्रयत्न करना चाहिए कि देश की एकता बनी रहे और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये कि जिससे हमारे लिये खतरा खड़ा हो जाये। हिन्दी समर्थकों को विशेष रूप से इस ओर ध्यान देना चाहिये। दक्षिण वालों को अपनी भाषाओं से विशेष लगाव है। यदि देश की राजधानी दक्षिण में होती तो दक्षिण की भाषा को मुख्य स्थान प्राप्त होता। राजधानी की स्थिति के कारण हमें किसी अनुचित बात को नहीं करना चाहिये।

हाल ही में हिन्दी क्षेत्रों में भाषा के प्रश्न पर दंगे हुए हैं परन्तु हर्ष का विषय है कि गैर-हिन्दी क्षेत्रों में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। इस प्रकार के दंगे निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिये किये जा रहे हैं।

हमें देश की एकता तथा अखण्डता को सर्वोपरि मान कर संकीर्णता को त्याग कर कार्य करना चाहिये।

Shri Sheo Narain (Basti) : It is a fact that all of us have taken oath of loyalty to our constitution. We should prove true to that oath.

According to our constitution Hindi is our national and official language. I want to say some words in its support. I want to ask my friends belonging D. M. K. as to whether they know that it was English language which made us slave? It is suicidal to support English. I agree that Hindi should not be imposed but at the same time we should see that English is also not imposed on us. I very well know that this opposition to Hindi has been started by a few I. A. S, and I. P. S. officers who do not want to lose their grip by discarding English. They have their own vested interest in English being retained as official language. I hold the Government of India responsible for not implementing the decision of Constituent Assembly. I want to know what the Government has been doing all these years. Now this Government is undermining services of Mahatma Gandhi by passing this Bill.

Devnagari script can be used for Bengali, Gajarati and Marathi. Dr. Rajendra Prasad had the credit for getting the Hindi language this status. It was on his instance that Hindi in Devnagari script was declared our official language.

Now this Bill has been brought to perpetuate English here. We cannot tolerate this. Two percent English speaking people want to dominate over ninetyeight per cent. people of our country. How is it proper? I want to make clear to the Government that we cannot go against decision of constituent Assembly. This Bill should be suitably amended. We know about the happenings outside. I want that Hindi states should not be asked to provide English translation of all communications.

I do not know how far is it correct to give the right of veto to state Governments. By giving this right you are imposing dictatorship in an indirect manner.

We should not do anything against the wishes of Gandhiji. He was a staunch supporter of Hindi. With these words, I request that this Bill should be suitably amended.

Shri Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur) : If you want to destroy a country you should destroy its culture and language. The English have done this. Lord Macaulay did the greatest disservice to this country, when he introduced English language as medium of education in this country.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

It was decided that Hindi would be introduced after twenty years but unfortunately nothing was done in this regard. This Government is responsible for this. In South India people are not against Hindi. The Congress Party committed a mistake in 1916 by entering Lucknow

Pact. But the Britishers were very cunning. They organised Justice Party in Madras. There a rift between Brahmins and non-Brahmins was created. This D. M. K. is the successor of that Party. It is said that we should maintain the unity of our country at all costs. We should not forget that English was responsible for making country a slave country. Sanskrit is the source of all languages except Tamil. It is a live language. We should now declare English as dead language.

Those, who want to break away from the country, have been threatening to do so since long. They have insulted the sentiments of Hindi speaking people. I want to make it clear that we are not against any Indian language. We are against English which is a foreign language. We will not allow Hindi being given a secondary position. We cannot tolerate English being imposed on this country for ever.

I feel that there should be equal representation for all the states in central services. I would prefer it to be on the basis of population of each state. I warn the Government that it should give up the policy of appeasement. This policy was responsible for the partition of country. Now they want to appease a few English speaking people. It is not in the interest of the country. Unity of the country should be preserved at all costs.

The languages listed in eighth schedule of the constitution should be given all encouragement. English is not mentioned there. How can we retain this language? I do not know why these people are so much enamoured of English. We have been fighting for freedom for one thousand years. Now we can allow anybody deprive us from the benefits of freedom. We have to preserve our country's unity at all costs.

It is said that we have not got books on science in our own languages. I do not agree with this view. I can say that Germany and other Western countries learnt and took inspiration from our country's ancient books.

We can give some more time for complete switch over to Hindi but we cannot allow English to remain as official language for ever. We do not oppose any Indian language. I support the amendments moved by Shri Prakash Vir Shastri.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मुझे दो बातें सुनकर बहुत दुख हुआ है। एक तो कट्टरता की बात है। यह अच्छी चीज नहीं हैं। लोकतन्त्र में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों की बात की ओर ध्यान देना चाहिये और सहनशील होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि हिन्दी एक विदेशी भाषा है। यह कहना ठीक नहीं है। मैं देश के सभी भागों में गया हूं और देखा है कि सभी स्थानों पर हिन्दी का प्रयोग होता है। मद्रास, केरल, मैसूर आदि राज्यों में भी जनसाधारण हिन्दी जानते और बोलते हैं। जो यह कहते हैं कि हिन्दी विदेशी भाषा है। वास्तव में वे स्वयं विदेशी हैं। लोकतन्त्र में बहुमत की बात पर अमल किया जाता है। इस देश के 34 प्रतिशत लोग हिन्दी बोलते हैं। कई कहते हैं 42 प्रतिशत हिन्दी बोलते हैं। हम भी किसी विदेशी भाषा को अपने देश में सदा के लिये राजभाषा नहीं बना सकते। रूस के राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और रूसी भाषा दोनो अनिवार्य हैं। प्रजातन्त्र एक प्रकार के समझौते से चलता है। यह एकता का स्रोत है। इस विधेयक में समझौते की बात है। इस प्रजातांत्रिक

भावना को सामने रखकर तैयार किया गया है।

हमारे देश में हिन्दी का प्रमुख स्थान है। अन्य भाषाओं की अपेक्षा यह अधिक लोगों की भाषा है। इस विधेयक में हिन्दी को जो महत्व दिया गया है, वह उसको मिलना ही चाहिये। हां, यह किसी पर लादी नहीं जानी चाहिये। मुझे पूरी आशा है कि दस वर्षों के बाद मद्रास के लोग ही मांग करेंगे कि हम हिन्दी चाहते हैं।

200 वर्षों से हमारे यहां अंग्रेजी का बोलबाला रहा। परन्तु फिर भी हमारे देश के केवल 2 प्रतिशत लोगों की यह भाषा बन सकी है। इससे यही सिद्ध होता है कि अंग्रेजी यहां नहीं रह सकती। हिन्दी सद्भावना और भाईचारे की भाषा है और अंग्रेजी केवल कुछ लोगों के लिए सुविधा की भाषा है। जितना जल्दी हम इसे त्याग दें अच्छा होगा।

जो लोग हिन्दी का विरोध कर रहे हैं, वे वास्तव में हिन्दी चाहते हैं परन्तु राजनैतिक कारणों के लिये हिन्दी का विरोध कर रहे हैं। मेरे विचार में यह विधेयक एक प्रकार का समझौता है और मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : आप हमें बात करने का अवसर नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा के बिना कहना चाहता हूं कि हिन्दी भाषा सम्बन्धी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद।

इसके पश्चात् श्री नी० श्रीकान्तन नायर सभा भवन से बाहर चले गये।
Shri N. Sreekantan Nair then left the House

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : इस विधेयक पर पिछले चार दिनों से चर्चा हो रही है और भाषा समस्या के सभी पहलुओं पर विचार प्रकट किये गये हैं। इस विषय में विभिन्न दलों में बहुत मतभेद है। इसी कारण यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था। कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसे प्रश्न उठाने का प्रयत्न किया है कि जिनका समाधान बहुत पहले हो चुका है। एक तो यह कि इस देश की राजभाषा हिन्दी ही है। इसमें किसी को भी सन्देह नहीं है। फिर भी इस देश के कुछ भाग ऐसे हैं कि जहां पर के लोगों की मांग है अभी अंग्रेजी भाषा हटाया नहीं जाना चाहिये। यह हमारा दायित्व है कि उनकी मुश्किल समझें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे दो भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों ने गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों को आश्वासन दिये थे कि जब तक वे नहीं चाहेंगे केवल हिन्दी को लागू नहीं किया जायेगा। हम वही कुछ कर रहे हैं जोकि गांधी जी चाहते थे। हां, उन आदर्शों तक पहुंचने में हमें कुछ रुकावटों को दूर करना है।

यहां पर यह मांग की गई है कि संविधान में संशोधन करके अंग्रेजी को सदा के लिये राजभाषा बना दिया जाये। यह नहीं किया जा सकता। क्योंकि कहीं भी एक विदेशी भाषा को स्थायी रूप से राजभाषा नहीं बनाया जा सकता।

इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि भारत की कोई एक भाषा ही यहां की राजभाषा बनायी जा सकती है। इस प्रश्न पर संविधान सभा में बड़े ध्यान से विचार किया गया था और

निर्णय किया था कि हिन्दी ही यहां की राष्ट्रभाषा हो सकती है और इसे इस देश के अधिकांश लोग बोलते हैं। हमें इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर निर्णय करना है। इससे देश की एकता और अखण्डता का सम्बन्ध है।

हिन्दी के विकास की बात कही गई है। हो सकता है इस बारे में कुछ गलती हुई हो परन्तु मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि भविष्य में हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि हिन्दी ही देश की राष्ट्रभाषा बने। मुझे साथ में यह भी कहना है कि इसके लिये हमें सभी लोगों को तैयार करना होगा। आप पिछले सौ वर्षों का इतिहास देखें तो पता चलेगा कि हमारे देश की राजभाषा सदैव जनसाधारण की भाषा से भिन्न रही है। कभी यह पाली भाषा थी। फिर फारसी थी उसके बाद अंग्रेजी बनी। विदेशी शासकों ने जनता की भाषा को अधिक महत्व नहीं दिया। अब हम हिन्दी किसी पर लादना नहीं चाहते हैं। हमें मद्रास आदि के लोगों को मनाना है। हिन्दी साम्राज्यवाद की कोई बात नहीं है। हमें अपने साथियों को समझाना है। मैत्रीपूर्ण भावना से उनको सहमत करना है। यह सभी भारतीयों का दायित्व है। जो केवल अंग्रेजी चाहते हैं वे गलती में हैं। हमें अंग्रेजी से लाभ उठाना है परन्तु इसे हम एकमात्र राजभाषा नहीं बना सकते।

हम सभी राष्ट्रीय भाषाओं का विकास करना चाहते हैं। परन्तु एक सम्पर्क भाषा का होना बहुत आवश्यक है। और वह भाषा हिन्दी ही हो सकती है। परन्तु हमें इसको मानने के लिये सभी को तैयार करना है।

अतः हमने इस विधेयक में यह उपबन्ध रखा है कि जब तक सभी राज्य सहमत नहीं हो जाते तब तक हमें अंग्रेजी को नहीं छोड़ना चाहिये। यह कहना उचित नहीं है कि हम किसी राज्य विशेष को निषेधाधिकार दे रहे हैं। संसद को यह अधिनियम पास करने के लिये कोई भी मजबूर नहीं कर रहा है। यह तो संसद् सद्भावना में कर रही है। कुछ लोगों ने हिन्दी की आलोचना की है, परन्तु उन्हें हिन्दी विरोधी या राष्ट्र-विरोधी कहना उचित नहीं। हमें इस मामले में और अधिक धैर्य का परिचय देना होगा। पहली बार हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी जनता किसी भी एक भारतीय भाषा को राजभाषा बनाने के लिये तैयार है और इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिये हमें और धैर्य की आवश्यकता होगी। विधेयक को पास करने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं हो जायेगा। इसके लिये हमें प्रयास करने की आवश्यकता होगी। हमने तीन भाषाओं के फार्मूले को स्वीकार किया है। इसमें हिन्दी को भी स्थान दिया गया है और अधिकांश राज्यों ने इसे स्वीकार किया है।

द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सदस्य भी लोकतन्त्रवादी हैं। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं लेकिन मूलरूप में वे लोकतन्त्रवादी हैं। जब कोई व्यक्ति लोकतन्त्रवादी होता है तो इसका अर्थ यह होता है कि यदि वह सन्तुष्ट हो जाये तो वह अपने को परिवर्तित करने के लिये तैयार रहता है। जब समस्त देश हिन्दी को स्वीकार कर रहा है तो वे भी हिन्दी सीखेंगे। दक्षिण के लोग राष्ट्रीय जीवन में भाग लेने के बहुत उत्सुक हैं। दक्षिण के लोगों का वास्तविक आग्रह भारत को

पहचानना है । समय आयेगा जब दक्षिण के लोग स्वंय बाकी देश के साथ हो जायेंगे और हिन्दी को अपनायेंगे । जिन लोगों को इसमें शंका है वे न तो अपने प्रति और न ही अपनी मातृभूमि के प्रति वफादार हैं । यह विधेयक एक समझौता है और दोनों ही पक्ष सदा समझौतों की आलोचना करते हैं । हमारा विचार है कि ऐसे स्पष्टीकरण संशोधनों को, जो इस विधेयक की भावना के अनुकूल हैं, स्वीकार किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय :

प्रस्ताव संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

Motion No. 1 was put and negatived

संशोधन संख्या 2 से 8, 129, 9, 90, 80, 95 और 157 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 2 to 8, 129, 9, 90, 80, 95 and 157 were put and negatived

प्रस्ताव संख्या 10 नियम बाह्य ठहराया गया

MOTION No. 10 WAS RULED OUT OF ORDER

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 का संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाये"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

Lok Sabha Divided

पक्ष में :	224
विपक्ष में :	75

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION Re. FOURTH FIVE YEAR PLAN

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Home Minister should give a statement regarding the ill treatment given in the court to the two U.P. Ministers.

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : If it is a fact it is shameful.

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur) : The Hon. Minister should make a statement in this connection.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर चर्चा के लिये स्वीकृत दे चुका हूं ।

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : Prosperity of our country depends upon our plans. It is regretted that importance has not been given to the Fourth Plan.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

We want to utilise the maximum sources of our country for its development. In fact Jan Sangh has asked to increase the period of Five Year Plans. So that the sources of the country may be utilised for its development. It has been said that the Fourth Plan has been delayed

[श्री गुरबचन सिंह ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

because of the difficulties created by Pakistani aggression and drought. Planned development of the country should also be taken into consideration.

The aim of planning is to achieve self-sufficiency, provide basic requirement of the people and also ensure employment minimum standard of living for its people. The Planning Commission goes in its own ways and it did not pay attention to the requirements of the country in its various fields.

A Commission should be appointed to go into the shortcomings of the Third Plan. The Commission should find out the shortfall in resources, foreign aid and fulfilment of targets.

We have not been able to achieve self-sufficiency in food-grains and have to import large quantities of food-grains.

In my opinion it is the result of wrong priorities. Top priorities should have been given to agriculture in our Plans. Adequate attention has not been paid to augment of our defence production. Plan objectives and priorities should change according to the changed circumstances. Alongwith agriculture high priority should also be given to small scale industries so as to provide full employment to rural population. Power generation should also be given an important place in our plans. Shelving of the Fourth Plan has created a sense of complacency in the country. Plans give inspiration to the people. Government should put an end to plan holiday and take to planning with full vigour.

Shri Rabi Ray (Puri) : Planning Commission has indicated that there will be no plans for the next three years. Inspite of planning, monopoly control has increased in our country. Will the Government give new orientation to planning in order to check concentration of wealth in a few hands ?

Whether the Government is drawing up any scheme to put a check on consumption of modern luxuries for sometime and to impose ceiling on incomes ?

Shri Randhir Singh (Rohtak) : At this stage it is necessary to reframe our plan. Cheap credit on a long term basis should be provided to farmers.

Today a tractor costs fifteen to twenty thousand rupees. More factories should be established for the production of tractors and fertilizers in the country. In that case the production of fertilizer will be doubled and the farmers would be able to get tractors at reasonable low prices.

Shri Madhu Limaye : No plan can be formulated unless Government have price policy. The Government have also no labour and industrial policy. There is a wide gap between income and expenditure of the Government. It compelled the Government to have recourse

to deficit financing. Whether the Government will take all these aspects into consideration before formulating the Fourth Plan ?

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Increasing capitalism is responsible for delaying the Fourth Plan. It is said that there are enough resources in our country provided the Government is intending to utilise them. Ceiling on incomes, abolition of privy purses and check on tax evasion would provide adequate resources for Fourth Plan. We would have to make progress in agriculture and industries. These land reforms are not useful. we should have to stop the progress of Capitalism.

श्री नायनार (पालघाट) : तीन पंचवर्षीय योजनाओं के परिणामस्वरूप एकाधिकारवाद, बेरोजगारी, तथा क्षेत्रीय असमानता बढ़ गई है। पिछली तीन योजनाओं में सरकारी क्षेत्र में 2,852 रुपये करोड़ लगाये गये जबकि इसी अवधि में केरल में 27.19 करोड़ रुपये लगाये गये। जनसंख्या के अनुसार केरल के लिये 101.07 करोड़ रुपये नियत किये जाने चाहिये थे। चौथी योजना को अन्तिम रूप देते समय सरकार को केरल की, जो औद्योगिक पिछड़ेपन, बेरोजगारी तथा अन्य बातों से पीड़ित है, आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर विचार करना चाहिये। यहां तक कि सूक्ष्म औजार के कारखाने की स्थापना को भी स्थगित कर दिया गया है और यही स्थिति जहाजरानी उद्योग की भी है।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : कुछ समय पूर्व प्रधान मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तानी आक्रमण, सूखे की स्थिति तथा अन्य कारणों से चौथी योजना को स्थगित कर दिया गया है। परन्तु ऐसी स्थिति 1965 से पूर्व भी थी। सरकार ऐसे नौकरशाहों और बड़े पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस देश में कुछ समय तक कोई योजना न हो।

योजना का एक उद्देश्य कम विकसित राज्यों का विकास करना और संसाधनों को इन राज्यों में लगाना है ताकि देश में असंतुलन को रोका जा सके। मैं यह जानना चाहूंगा कि योजना में इस असंतुलन तथा कुछ विकसित राज्य में धन के बढ़ते हुए जमाव को रोकने के लिये तथा सम्पूर्ण देश में योजना का काम ठीक ढंग से चलाने के लिये क्या ठोस कदम उठाये जायेंगे।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में साधनों का बाहुल्य है, जिनसे लाभ नहीं उठाया गया है। यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के काम-काज में सुधार किया जाये तो हमें किसी भी योजना के लिये पर्याप्त साधन प्राप्त हो सकते हैं।

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam) : With the postponment of the Fourth Five Year Plan the progress of the country will stop.

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) : It is a great pleasure that the people are having great respect for the plan. The Government wants that all the parts of the country should develop rapidly. All efforts would be made to correct regional disparities in development. But it should be appreciated that disparities, which existed for hundreds of years cannot be removed in a few years.

The question of development of Kerala was also raised. It was stated that Kerala did not get adequate share of the total investment in the last Plans. The real fact is this that per capital investment in Kerala is higher than in many other States. It is not proper to say that we have borrowed these plans from Soviet Union. We have learnt a lot from them. Today the most important problem before the country is how to get the capital. The Government will pay attention to the increased production of tractors and fertilizers. Attention will also be paid to the question of providing credit to agriculturists.

So far as the question of employment is concerned all will agree that employment should be provided to all and the essential requirements of all the people should be met.

There is no question of giving up Planning. Government is stick to planned economic development. A number of factors were responsible to create difficult resources position. After the Pakistani aggression a number of countries had abruptly stopped the aid on which our development plans had relied. It was then thought that we should have plans for which we depended on ourselves. It was done with the consent of the House.

A part from the Pakistani aggression, drought has also added to our difficulties. During the Third Plan we were able to increase the per capita income by 3½ per cent. We should also bear in mind the experience of other countries with regard to the rate of development. In other countries also there have been variations in the rates of development.

Our national income has considerably gone down. We have to make all efforts to check the deteriorating situation. Agriculture production has to be increased and exports have to be stepped up.

We have to change our tactics according to the changed circumstances. We can only achieve prosperity by planned economic development.

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार 14 दिसम्बर, 1967/23 अग्रहायण, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 14th December, 1967/Agrahayana 23, 1889 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow—13-7-68—600.